POLICE TRAINING COLLEGE

पुलिस प्रशिक्षण कालेज

CRIMINAL MINOR ACTS

विविध अपराध अधिनियम

K. D. SINGH
IPS

D.O. No.....

Addl. Commissioner of Police
Principal
Police Training College, Delhi Police
Jharoda Kalan, New Delhi-110072

Dated.....

प्राक्कथन

इस विविध अपराध अधिनियम का प्रकाशन दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु सिपाहियों (पुरुष/स्त्री) के लिए है। प्रशिक्षण देते समय यह अनुभव किया गया कि ये प्रशिक्षु विविध अपराध अधिनियम को कानूनी भाषा के कम ज्ञान के कारण समझने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इन प्रशिक्षुओं की इस समस्या के निवारण हेतु यह अनुभव किया गया कि उन्हे विविध अपराध अधिनियम से संबंधित उत्तम पाठ्य सामग्री (हिन्दी/अंग्रेजी) में उपलब्ध कराई जाए।

विधि संकाय ने यह पुस्तक हिंदी/अंग्रेजी में बनाई है ताकि प्रशिक्षु विविध अपराध अधिनियमों को आसानी से समझ सके। इस प्रकाशन में 22 विविध अधिनियमों को हिंदी व अंग्रेजी में उदाहरण व नवीनतम सुसंगत निर्णयों के साथ शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक उन्हें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी और भविष्य में उनके कर्त्तव्यों के पालन में उपयोगी होगी।

श्री0 एस0 बी0 देओल, विशेष आयुक्त पुलिस (प्रशिक्षण), दिल्ली के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण ने हमारा अत्यधिक उत्साहवर्धन किया जिसके परिणाम स्वरुप हम इस प्रकाशन को इतने कम समय में पूर्ण करने में सफल रहे हैं।

मैं विधि-संकाय के अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होनें इस पुस्तक को अपनी लगन व सूझ-बूझ के साथ श्री के.के. तिवारी, वरिष्ठ अभियोजन के निरीक्षण में बहुत कम समय में तैयार किया है। इसके साथ्ज्ञ ही पी.टी.सी. मुद्रणालय के अधिकारी व कर्मचारी, जिन्होनें श्री यशवन्त सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, (प्रशिक्षण) के निरीक्षाण में उत्कृष्ट मृद्रण कार्य किया है, भी बधाई के पात्र हैं।

के.डि.सिंह
12/9/06

(के0डी0सिंह), आई0 पी0 एस0
अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/प्राचार्य
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, झडौंदा कलां, नई दिल्ली।

आमुख

विविध अपराध पर यह पुस्तक विधि-विभाग, पी.टी.सी. के सहायक लोक अभियोजकों द्वारा मेरे अधीक्षण में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ प्रशिक्षण के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

इस पुस्तक में सभी महत्वपूर्ण एवं सुसंगत अधिनियम को शामिल किया गया है। यथ-स्थान न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के अन्त में ''क्या करना है एवं क्या नहीं करना है (Do's & Don'ts) का भी उल्लेख किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक विषय से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यापहारिक रुप से मार्ग-दर्शक का कार्य करेगी।

मैं श्री एस. बी. देओल विशेष आयुक्त पुलिस (प्रशिक्षण) का आभारी हूँ, जिन्होने विविध अपराध अधिनियम पर पुस्तक लिखने को प्रेरित किया।

मैं श्री के.डी.सिंह. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/प्राचार्य पी.टी.सी. का आभारी हूँ जिनकी निरन्तर प्रेरणा एवं उपयोगी सुझावों से यह पुस्तक पूर्ण हो सकी।

मैं श्री यशवन्त सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस (प्रशिक्षण) पी.टी.सी. का भी उनके उपयोगी सहयोग के लिए आभारी हूँ।

अन्त में मैं श्री आनन्द जाम्भुलकर, श्री अरविन्द जांगिड़ श्री कमाल अख्तर, श्री कुन्दन कोहली, सहायक लोक अभियोजक, प्रधान सिपाही रोहतास सिंह, सिपाही विजय ठाकरान एवं सिपाही रामफूल को उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

इस पुस्तक में सुधार हेतु पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

दिनांक :

(के. के. तिवारी)
वरिष्ठ अभियोजक
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज झडौंदा कलां,
नई दिल्ली।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयुध अधिनियम (Arms Act)1959	1
2.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) 1961	12
3.	दिल्ली सार्वजनिक (धूत) जुआ अधिनियम (Delhi public grambling Act)1955	18
4.	रेलवे अधिनियम (The Railways Act, 1989)	21
5.	बंदियों की शिनाख्त (Identification of prisoners) अधिनियम 1920	29
6.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) Juvenile justice (care and protection of children) Act, 2000	31
7.	मोटर यान अधिनियम, (The Motor Vehicles Act 1988)	45
8.	मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) 1985	54
9.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National security Act) 1980	70
10.	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन)अधिनियम(The Police (Inciment to Disaffection)Act)1922	74
11.	पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम (Police Force restriction of rights Act)1966	76
12.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) 1988	78
13.	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (The Prevention of Cruelty of animal Act) 1960	85
14.	लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम (Prevention of Damage to public property Act)1984	88
15.	अनैतिक व्यापक (निवारण) अधिनियम, Immoral traffic(prevention) act 1956	90
16.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियन, (Protection of Civil Right Act)1955	95
17.	महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन (निषेद) अधिनियम, (The indecent representation of Women (prohibition) Act, 1986	102
18.	रेलवे संपत्ति (विविधविरु) कब्जा) अधिनियम, (The Railway property (unlawful possession)act,1966	104
19.	पंजाब आबकारी अधिनियम (Punjab Excise Act) 1914	106
20.	अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम Scheduled Caste And Scheduled Tribes (Prevention Of Atrocities)Act1989.	114
21.	महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharastra Control of organised Crime Act)1999	120
22.	महिलाओं का घरेलु हिंसा के संरक्षण अधिनियम, (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005	128

आयुध अधिनियम 1959
Arms Act 1959
(Act No. 54 of 1995)

उद्देश्य (Object) :- इस अधिनियम का उद्देश्य आयुधों एवं गोलाबारुद (arms & ammunition) से संबंधित विधि को एकत्रित और संशोधित (consolidate and amend) करना है। इस अधि-नियम से पहले आयुध अधिनियम 1878 लागू था।

अनिल कुमार, ए. आई. आर. 1980 एस.सी.52 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस नए अधिनियम का उद्देश्य पुराने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं मे जो कि आयुधों के विनियम से संबंधित है, सुधार करना या परिवर्तन करना है। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है।

धारा-2. परिभाषाऐं (Definitions) - **इस अधिनियम की धारा 2 में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:-**

धारा 2 (a) - अर्जन (acquisition)
2 (b) - गोला बारुद (ammunition)
2 (c) - आयुध (Arms)
2 (e) - अग्नायुध (fire-arms)
2 (h) - प्रतिषिद्ध गोला बारूद (Prohibited ammunition)
2 (i) - प्रतिषिद्ध आयुध (Prohibited arms)
3 (f) - अनुज्ञापन अधिकारी (Licesing authority) etc.

धारा 2 (ए)- अर्जन (acquisition) अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रुप में स्वीकार करना आता है।

2(बी)-गोला बारुद (ammunition) गोला बारुद के किसी अग्नायुध के लिए गोला बारुद अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं- (1)राकेट, बम्ब, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र। (2) टारपीडो को काम में लाने और अन्त: समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं। (3) विस्फोटा या विखण्डनीय सामग्री या अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य चीज़, (4) अग्नायुधों के लिए भरण और इसके लिए साधन (5) पतीले और घर्षण नलिकाएं, आदि।

2(c)-आयुध (Arms)-

आयुध के आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए अस्त्रों के रुप में किसी भी वर्णन की वस्तुएं, और अग्नायुध, तीक्षण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र, और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं।

किंतु:-

1. घरेलू या कृषिक उपयोग के लिए, उदाहरणार्थ :- लाठी, छडी आदि।
2. वे शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रुप में उपयोग में लाये जाने के लिए हैं, या
3. काम के शस्त्रों में समपरिवर्तित किये जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

2(e)- अग्नायुध (fire-arms)

अग्नायुधों से, किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा क्रिया से किसी भी प्रकार चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र, तथा तोपें हथगोले, राकेट या किसी भी उपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के शस्त्र, अग्नायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी।

2(h)- प्रतिषिद्ध गोला बारूद (Prohibited ammunition) अन्य ऐसी चीज़ को अन्तर्विष्ट रखने वाला, या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोलाबारुद अभिप्रेत है और राकेट, बमख ग्रेनेड अस्त्र, टारपीडों को काम में लाने और अन्तः समुद्री सेरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केन्द्रीय सरकार सरकरी बजट में, अधिासूचना द्वारा प्रतिषिद्धि गोला बारुद होना विनिर्दिष्ट करे, अर्न्तगत आती है।

2(i)- प्रतिषिद्ध आयुध (Proshibited arms) से

(1) वे अग्निशस्त्र जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े (ट्रिगर) पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े (ट्रिगर) पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों का अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाये अर्थात अस्त्र छूटते रहें, अथवा

(2) किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर (हानिकारक) द्रव, गैस या ऐसी ही चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हो, अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत तापों, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्निशस्त्र (आग्नेयास्त्र) और ऐसे अन्य हथियार आते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट मे अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्धि आयुध होना विनिर्दिष्ट करे।

3(f)- अनुज्ञापन अधिकारी (Licesing authority) etc. से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों के अधीन लाईसेंस जारी करने या नवीकरम करने के लिए सशक्त आफीसर या प्राधीकारी अभिप्रेत है और सके अन्तर्गत सरकार आती है।

धारा 3 - अग्नायुधों और गोला बारुद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति (Licence for acquisition and possession of fireamr & ammutition)- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना कोई अग्नायुध या गोला बारुद:-

1. न तो अर्जित करेगा,
2. न अपने कब्जे में रखेगा
3. न लेकर चलेगा।

परन्तु कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों में अग्नायुध या गोला बारुद को लेकर वहन कर सकेगा-

1. अग्नायुध या गोला बारुद की मरम्मत के लिए, या
2. अनुज्ञप्ति के नवीकरण (renewal) के लिए, या
3. अनुज्ञप्ति धारक के उपयोग के लिए

किन्तु अनुज्ञप्ति धारक के उपयोग के लिए उसे लेकर तभी बहन कर सकेगा-

(ए) जब अनुज्ञप्तिधारक साथ में उपस्थित है, या

(बी) उससे लिखित प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपधारा(1) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति किसी समय पर तीन से अधिक अग्नायुध न अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न वहन करेगा।

(3) उपधारा (2) की कोई बात अग्नायुधों के किसी व्यौहारी (dealer) या राइफिज क्लव सर राइफिल संगम के किसी सदस्य पर जो प्वाइंट 22 बोर राइफिल या गोली चलाने के लक्ष्य के अभ्यास के लिए हवाई राइफिल के प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्रान्त हो, लागू नहीं होगी।

धारा 4 - कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति (Licence for acquisition and posesion of arms of specified description in certain cases)- किसी क्षेत्र की विद्यमान परिस्थिजियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार लोक हित में यदि आवश्यक समझे तो अग्नायुधों से भिन्न आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए भी विनियमित कर सकती है अर्थात अधिसूचना के अनुसार लाईसेंस आवश्यक होगा।

Notification (अधिसूचना) 2 अक्टूबर 1999- FB/451/79-Home

To regulate the manufacture, sales or possession for sale knives of 7.52 c.m. or more in length and 1.722 c.m or more in breath.

धारा 5 - आयुधों और गोला बारुद के विनिर्माण विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति (Licence for manufacture, sale, etc., of arms & ammunitions)-

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे निर्धारित किये जाये या किसी गोला बारुद को तब तक-

(ए) न तो उपयोग में लायेगा, विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, और न

(बी) विक्रय या अन्तरण के लिए दर्शित या प्रस्तुत (expose or offer)करेगा न उन्हें विक्रय अन्तरण, समपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि (test or proof) के लिए अपने कब्जे में रखेगा

जब तक कि वह इस अधिनियम और इस के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनेज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो।

धारा 6-बन्दूक के नाल के छोटा किये जाने या नकली अग्निशस्त्रों को असली अग्निशस्त्रों में परिवर्तन करने के लिए लाइसेंस (Licence for the shortening of guns or conversion of imitation fire-arms into fire arms) - कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र की नाल को छोटा या किसी नकली अग्निशस्त्रों को असली अग्निशस्त्र में संपरिवर्तित तब तक न करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस इस निमित्त धारित करता हो।

स्पष्टीकरण - इस धारा में नकली अग्निशस्त्र पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अग्निशस्त्र जैसी प्रतीत होती हो भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने के योग्य हो या न हो।

धारा 7- प्रतिषिद्ध हथियारों या प्रतिषिद्ध गोली-बारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध (prohibition of accquistion or possession, or of manufacture or sale] of prohibited arms or prohibited a mmunition)- कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिषिद्ध हथियार या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद को तब तक न तो - (क) अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, और न (ख) प्रयोग, विनिर्माण, विक्रय, हस्तांतरण, परिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत, परख या सिद्ध करेगा, और न (ग)

विक्रय या हस्तांतकरण के लिए प्रदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, हस्तांतरण, परिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रतिषिद्ध के लिए अपने कब्जे में रखेगा।

तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत न किया गया हो।

धारा 8- जिन अग्निशस्त्रों पर पहचान चिन्ह न हो, उनके विक्रय या हस्तांतरम का प्रतिषेध (prohibition of sale or transfer of firearms not bearing identification marks)-(1) कोई भी व्यक्ति किसी अग्निशस्त्र पर अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह न मिटाएगा, न हटोगा, न परिवर्तित कहेगा और न कूटरचित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्निशस्त्र का विक्रय या हस्तांतरम नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो।

(3) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्निशस्त्र हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह न हो जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान मिटाया, हटाया परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह उपधारित किया जोगा कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो।

(4) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्निशस्त्र हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न हो जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मिटाया हटाया परिपर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह पधारित किया जोगा कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह उससे मिटाया, हटाया परिवर्तित या कूटरचित किया हो,

परन्तु ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा है, इस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता।

धारा 9 -तरुण (युवा) व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्निशस्त्रों आदि के अर्जन या कब्ते का या उनके विक्रय या हस्तांरण का प्रतिषेध (Prohibition of acquisition or possession by, or of sale or transfer to young persons and certain other persons of fore arms, etc.)--
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी--

(क) जो भी व्यक्ति--

(1) जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न हो, अन्यथा

(2) किसी ऐसे अपराध को दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक अपचार शामिल हो किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया गया हो, उस दण्डादेश की समाप्ति के पश्चात पांच वर्ष की कालवधि के दौरान किसी भी समय, अथवा

(3) जिसे दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बंधपत्र के दौरान किसी समय, कोई अग्निशस्त्र या गोलाबारुद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न ही वहन करेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी अग्निशस्त्र या गोलाबारुद का विक्रय या हस्तांतरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्निशस्त्र या गोलाबारुद को परिवर्तित, मरम्मत, उसकी परख या सिद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबत वह जानता है या वह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह -

1) किसी अग्निशस्त्र या गोलाबारुद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खण्ड (क) के अधीन प्रतिष्ज्ञिद्ध है, अथवा

2) ऐसे विक्रय या हस्तांतरण या ऐसे परिवर्तन, मरम्मत, या सिद्ध करने के समय पागल हो।

धारा 10- हथियारों आदि के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस (Licence for import and export of arms. etc.) - (1) कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी हथियारों या गोलाबारुद को समुद्र भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भार में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके तद्ध ीन बनो गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी लाइसेंस इस संबंध में नहीं रखता हो।।

धारा 11- हथियारों आदि का आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति (Power to progibit import or export of arms etc.) - केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गो और वर्णन के हथियारों या गोलावारुद को, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत के अंदर लाने या भारत के बाहर ले जाने के लिए प्रतिषिद्ध (मनाही) कर सकेगी।

धारा 12- हथियारों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति (Power to restrict or prohibit transport or arms) - (1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट के अधिसूचना द्वारा-

(क) निर्देश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णनों के हथियारों को गोलाबारुद का, नही करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम या इसके तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस निमित्त न रखता हो, अथवा

(ख) ऐसे हथियारों या गोलाबारुद का भारत के समुद्री बन्दरगाह या विमान पत्तन में जहाज से हस्तांतरण किया जाता है उनका इस धारा के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है।

लाईसेंस से संबंधित प्रावधान (Provisions relating to Licences) -

इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार - लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति अधिकारी को दिया जाएगा, और वह ऐसे प्रारुप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस भी देनी होगी जैसी निर्धारित की गई हो। आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति अधिकारी लाईसेंस दिए जाने के लिए आवश्यक जांच करने के बाद या तो लाईसेंस जारी करेगा या नहीं।

धारा 15 के अनुसार - लाईसेंस 3 वर्ष तक के लिए जारी किया जा सकता है लेकिन धारा 17 के अनुसार जिन शर्तों के अधीन लाईसेंस जारी किया गया है उनके उल्लंघन होने पर लाईसेंस को अवधी की समाप्ति के पूर्व ही निलम्बित किया जा सकता है, वापिस लिया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है धारा 18 के अनुसार जहां अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा लाईसेंस देने से मना कर दिया है या लाईसेंस देने के बाद उसे वापिस ले लिया गया है या निलम्बित कर दिया गया है या उसकी शर्तो में परिवर्तित कर दिया गया है, वहां व्यथित व्यक्ति अपीलीय अधि कारी को निर्धारित समय के भीतर एवं प्रक्रिया के अनुसार अपील कर सकता है। परन्तु सरकार द्वारा या उसके निर्देश से किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

शक्तियां और प्रक्रिया (Powers & procedure)

धारा 19- लाईसेंस आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति (Power to demand production of licence etc.) इस धारा के अनुसार - कोई भी पुलिस अधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु विशेष रुप से अधिकृत किया गया अन्य कोई आफीसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोलाबास्रूद वहन कर रहा हो। (Carry) अपना लाईसेस दिखाने की मांग कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति लाईसेस दिखाने में असमर्थ रहता है तो सम्बंधित अधिकारी उसे जब्त कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करे या संबंधित अधिकारी को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति गलत नाम या पता दे रहा है या फरार होने का उसका आशय है तो ऐसा अधिकारी उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 20- संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का प्रवहण (यातायात) करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी (Arrest of person conveying arms, etc, under suspicius circumstances) इस धारा के अनुसार - जहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद को चाहे उनके लिए लाईसेंस हो या न हो ऐसी रीति में या ऐसी परिस्थितियों के अधीन लेकर चलता हुआ या रखे हुए पाया जाए जिससे यह संदेह करने के युक्तियुक्त न्याय संगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा वे कि विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं या प्रयोग किये जा सकते है तो कोई मजिस्ट्रेट कोई पुलिस अधिकारी या अन्य कोई लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान, यान (Vehicle) या यातायात के किसी भी अन्य साधन में नियोजन या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे आयुध या गोलाबारुद उससे अभिगृहीत (seize) कर सकेगा।

Offence s and penalties (अपराध और शक्तियाँ) -

धारा 25- कुछ अपराधों के लिए दण्ड (Punishment for certain Offences) -

1. जो कोई -
   - (ए) धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोला बारुद का निर्माण, विक्रय, अन्तरण, मरम्मत, परख करेगा या उसे विक्रय, अन्तरण, मरम्मत या परख के लिए अपने कब्जे में रखेगा अथवा
   - (बी) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अन्यायुध में संपरिवर्तित करेगा,
   - (सी) विलुप्त **********
   - (डी) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के हथियार या गोला-बारुद को भारत लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
   - (1-ए) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्ही प्रतिषिध आयुधों या प्रतिषिध गोलाबारुद को अर्जित करेगा, और अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(1-एए)जो कोई विनिर्माण करता है बेचता है हस्तांतरित करता है बदलता है ठीक करता है, परीक्षण करता है प्रदर्शित करता है, या बेचने या हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखता है या अपने कब्जे में रखता है बिक्री हेतु परिवर्तन हेतु, परीक्षण करने हेतु, धारा 7 के विरुद्ध निषिद्ध हथियार या गोला बारुद को तो वह कारावास के दण्ड का भागी होगा जो 7 वर्ष से कम नहीं हो सकती परन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।

(1-एएए)जो कोई व्यक्ति किसी हथियार या गोला बारुद को धारा 24-क के अधीन जारी अधि सूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखता है या धारा 24-ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में वहन करता है या अन्यथा अपने कब्जे में रखता है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(1-बी) जो कोई

क) धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुधयों गोला बारुद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा, अथवा

ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्द किया भी स्थान में ऐसे वर्ग या प्रकार के जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई भी आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा,

ग) धारा 8 की उपधारा 1 व 2 का उल्लंघन करेगा

घ) धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड क का उपखण्ड (2) व (3) का उल्लंघन करेगा

ड) धारा 9 का उल्लंघन 1 के खण्ड ख उल्लंघन करेगा।

च) धारा 10 का उल्लंघन करेगा।

छ) धारा 12 का उल्लंघन करेगा।

ज) धारा 21 की उपधारा (1) का उल्लंघन करेगी।

झ) धारा 44 का उल्लंघन करेगा।

वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधी एक वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, न्यायालय किन्हीं पर्याप्त एवं विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे एक वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(1-सी)यदि उपरोक्त कोई अपराध विक्षुब्ध क्षेत्र में किया जाता है तो उपधारा 1-बी में किसी बात के होते हुए भी कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का उपखण्ड (1) का उल्लघन करेगा वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीड होगा।

(3) जो धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्डों का उल्लंघन करेगा वह छः माह की अवधी के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) जो धारा 17 के उपधारा (1) या उपधारा (10) के पालन करने में असफल होगा वह छः माह की अवधि के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(5) जो धारा 19 की अपेक्षा में गलत नाम पता देगा या नाम पता देने से इन्कार करेगा वह छः माह की अवधि के कारावास से या 250 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

भगवान स्वरुप बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 एस.सी.सी. 675 के मामले में यह निर्णित किया गया कि यदि पिता के पास लाईसेंस है और उसके पुत्र द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा मे उस बन्दूक का प्रयोग किया गया है तब मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे धारा 25-ए के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि मामले का निर्धारण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जायेगा।

गुणवत्त लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1972 सु. को. 1756 के मामले में ये निर्धारित किया गया कि धारा 25 (1) ए के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए आशय, विश्वास या ज्ञान का होना आवश्यक है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अग्नेयायुध पर कब्जा रखता है, कब्जा शरीरिक या मानसिक हो सकता है, जिस व्यक्ति के शक्ति और नियंत्रण में ऐसा अग्नेयायुध है तब यह समझा जायेगा कि वह उस व्यक्ति के कब्जे में है।

मेधा सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर 1995 एस. सी. 2339 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जहां प्रधान सिपाही द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं उससे पिस्तौल एवं कारतूस बरामद किये गये हो उसी (प्रधान सिपाही) की शिकायत पर एफ. आई आर. दर्ज की गई, तो ऐसे केस में जहां वह स्वयं ही शिकायतकर्ता है, उसे अनुसंधान नहीं करना चाहिए। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अन्वेषण हो सके।

लेकिन **राज्य बनाम जयपॉल (2004) 5 एस.सी.सी. 223** के मामले में यह निर्धारित किया गया कि उसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है अनुसंधान करना कानून के द्वारा मना नहीं है ऐसे अनुसंधान को तभी एक तरफ या दरकिनान किया जा सकता है। यदि उसमें अनुसंधान कर्ता द्वारा किसी भी तरह से पक्षपात किया गया है या उसकी पूर्ण संभावना है।

धारा 26 - गुप्तउल्लंघन (Secret contraventions)-(1) जो कोई धारा 3, 9, 10 या 12 के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक-सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या यातायात के किसी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञान न हो, वह छः मास से कम न होने वाली किंतु सात वर्ष तक हो सकने वाली अवधी के कारावास से और जुर्माने भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 5, 6, 7, या 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक या किसी रेल, विमान जलयान यान या यातायात के किसी व्यक्ति को ज्ञात न हों वह पांच वर्षो से कम न होने वाली किंतु दस वर्ष तक की हो सकने वाली अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 27- आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दण्ड (Punishment for using arms, etc.)

1. जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारुद को उपयोग में लायेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

2. जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्ही प्रतिषद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारुद का उपयोग में लायेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नही होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3. जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारुद को प्रयोग में लायेगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग में या कार्य के परिणाम स्वरुप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 28- कुछ स्थितियों में अग्नायुधा या नकली अग्नायुध के उपयोग करने पर या कब्जे में रखने पर दण्ड (Punishment for use and possession of fire arms or imitation firearms in certain cases) इस धारा के अनुसार जो कोई अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को रोकने के आशय से किसी अग्नेयायुध या नकली अग्नेयायुध को किसी भी उपयोग में चाहे वह कैसा भी क्यों न हो लायेगा या लाने का प्रयत्न करेगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

धारा 29- जानते हुए बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति के हथियार आदि क्रय करने के लिए या हथियार आदि ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने के लिए जो उन्हें कब्जे मे रखने का हकदार न हो, दण्ड (Punishment for knoingly purchasing arms, ect., from unlicensed person or for delivering arms, etc., to person not entitled to possess the same) जो कोई

(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्निशस्त्र या कोई भी अन्य हथियार जैसे निर्धारित की जाए, या कोई गोलावारुद वह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन लाइसेंस या प्राधिकृत नहीं है। या

(ख) कोई हथियार या गोलाबारुद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चित किए बिना प्रदान करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य त्तसमय प्रवृत विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी विधि द्वारा प्रतिषिद्धि नहीं है,

यह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 30 - लाइसेंसा या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति लाइसेंस की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या इसके तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन कहेगा। जिसके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 31 - पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड (Punishment for subsequent offences) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाएगा तो वह पश्चात कथित अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के दुगने दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 38 - अपराधों का संज्ञेय होना (Offences to be cognizable) - इस अधिनियम के अधीन हर अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ के अंदर संज्ञेय होगा।

धारा 39 - कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक (Previous senction of the Disctrict Magistrate necessary in certain cases) किसी व्यक्ति के विरुद्धधारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

धारा 45 - कुछ दशाओं में यह अधिनियम लागू नहीं होगा (Act not to apply in certain cases) - यह अधिनियम ऐसे आयुधा या गोलावारुद पर लागू नहीं होगा जो - किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य के पालन में प्राप्त किया गया है, कब्जे में रखा गया है या लेकर चला जा रहा है या केंद्र सरकार के आदेशों द्वारा या उनके अधीन किन्हीं अन्य बलों (Forces)द्वारा अपने कर्तव्य के पालन में प्राप्त किया जाए, कब्जे में रखा जाये, लेकर चला जाए, इत्यादि।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) यदि पुलिस अधिकारी स्वयं शिकायत करता हो तो आगे अनुसंधान किसी अन्य पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अनुसंधान हो सके। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेधा सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए आई आर 1995 सु0 कोर्ट ने के मामले में मत व्यक्त किया।
(2) अगर हथियार आग्नेय अस्त्र हैं तो Ballastic विभाग की राय प्राप्त करना।
(3) आयुध अधिनियम की धारा 39 की पूर्व अनुमति प्राप्त करना।
(4) चालान के साथ आयुध अधिनियम के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न करना।
(5) सूचना के आधार पर Raiding Party तैयार करना जिसमें पब्लिक गवाह शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
(6) अपराधी को तुरंत काबू करके उसकी सरसरी तलाशी लेना।
(7) यदि हथियार मुखबरी के आधार पर बरामद होता है तो पब्लिक के गवाह को कार्यवाही में शामिल करना।
(8) बरामद हथियार की कार्यवाही स्वतंत्र गवाह के सामने करना, फर्दो पर हस्ताक्षर करवाना
(9) अपराधी को गिरफ्तार करना।
(10) आग्नेय अस्त्र की स्थिति में Sources of supply की जानकारी हेतु अपराधी से पूछताछ करना।
(11) जहां से हथियार बरामद होता है उस स्थान का पूर्ण विवरण देना।
(12) यहां तक सम्भव हो तलाशी स्वतंत्र गवाह से करवाना।
(13) यदि हथियार किसी व्यक्ति के शरीर से मिलता है तो रुक्का में उस अंग सहित पूर्ण विवरण देना।
(14) हथियार का खाका मौके पर तैयार करना।
(15) चाकू की लम्बाई आदि नापने वाले पैमाने का रुक्के में जिक्र करना।
(16) चाकू पर जो कुछ लिखा या छपा है उसका वर्णन करना।
(17) यदि चाकू बटनगार/गिरारीदार या किसी नमूना आकार में है का जिक्र रुक्के में करना।
(18) मौके पर की गई कार्यवाही का केस डायरी में वर्णन करना।

(19) पुलन्दा शील करने के बाद शील निष्पक्ष आदमी के हवाले करना। कौनसी शील का प्रयोग किया गया है का वर्णन करना।

(20) यदि बरामद हथियार रबड़ बैंड में लगा हुआ मिलता है तो रबड़ बैड को भी कब्जे में लिया जाए।

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) अगर पुलिस अधिकारी स्वयं शिकायत करता है तो उसे स्वयं आगे का अन्वेषण नहीं करना चाहिए।

(2) बिना धारा 39 की मंजूरी के चलान पेश नहीं करना चाहिए।

(3) बिना नोटिफिकेशन की प्रति के बिना चालान दाखिल न करे।

(4) झूठा मुकदमा नहीं बनाना चाहिए।

(5) झूठा गवाह नहीं बनाना चाहिए।

(6) घटना स्थल को गलत नहीं दर्शाना चाहिए।

(7) पब्लिक गवाह को शामिल करने को नहीं टालना चाहिए।

****

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

(Dowry Prohibition Act) 1961

(1961 का अधिनियम संख्या 28)

इस अधिनियम में कुल दस धारायें हैं। धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। धारा 3 व 4 में इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय मुख्य अपराध हैं। धारा 4-ए दहेज के संबंध में विज्ञापन आदि को प्रतिषेध करती है एवं धारा 5 दहेज लेने या देने के करार को शून्य घोषित करती है। धारा 6 के अनुसार दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होगा। धारा 7 इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के संज्ञान से संबंधित है तथा धारा 8 के अनुसार कुछ प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अशमनीय होंगे। धारा 8-ए कुछ मामलों में सबूत के भार (Burden of proof) से संबंधित है तथा धारा 8-बी दहेज प्रतिषेध अधिकारियों (Dpwry prohibition officers) की नियुक्ति से संबंधित है।

उद्देश्य (Object) - इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज लेने व देने का प्रतिषेध करना है।

धारा 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार (Short title, Extent and commencement)-

(1) इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में होगा।

यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ।

धारा 2- दहेज की परिभाषा (Definition of Dowry) - इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य है:-

(ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए, या

(बी) विवाह के किसी पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, विवाह करने के संबंध में, विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिए प्रतिज्ञा की गई किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है किंतु इसमें उन व्यक्तियों की दशा में मेहर सम्मिलित नहीं होगा जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधान 'शरियत' लागू होता है।

मधुसूदन महरोत्रा बनाम किशोर चन्द भण्डारी 1988 सु.को.के. 854 के मामले में कहा गया कि विवाह तय करते समय वधु के माता-पिता या अभिभावकों को सामान सूची जिसके अंतर्गत आभूषण भी शामिल हैं सौपी जाती है तो वह प्रथमदृष्टया दहेज की मांग समझी जाएगी।

राजीव बनाम रामकिशन जैसवाल क्रि. लॉ. ज. 1994 के मामले में कहा गया कि कोई भी संपत्ति जो वधु के अभिभावकों द्वारा दी गई है यह आवश्यक नहीं है कि वह शादी के प्रतिफल (consideration) के रुप में दी गई हो, यदि केवल शादी के संबंध में दी गई है तो वह दहेज मानी जाएगी।

इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 30 में दिया गया है।

यहाँ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें स्त्री धन को स्पष्ट किया गया है। इस धारा के अनुसार – हिन्दु स्त्री द्वारा कब्जाकृत कोई संपति भले ही वह इस अधि नियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, पूर्ण स्वामी के रुप में (as full owner) न कि मर्यादित स्वामी (Limited owner) के रुप में धारित की जायेगी। धारा 14 स्पष्टीकरण के अनुसार संपंति के अंतर्गत वह चल और अचल सम्पत्ति शामिल है जो कि हिन्दु स्त्री ने विभातन में या भरण पोषण के बकाया के बदले में या दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो, अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात या अपने कौशल या परिश्रम द्वारा या क्रय द्वारा या चिरभोग (जो संपंति पहले से चली आ रही हो) द्वारा या किसी अन्य रीति में चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की है और कोई ऐसी संपंति भी है जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व स्त्री धन के रुप में स्वयं द्वारा धारित थी।

धारा 3– दहेज देने या लेने के लिए दण्ड (Penalty for giving or taking Dowry)– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जो कोई भी दहेज देता है या लेता है अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधी के कारावास से जो पांच वर्ष की होगी और 15 हजार रुपयों या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दंण्डित किया जायेगा, परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किये गये यथोचित और विशेष कारणों से (पांच वर्ष) के कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्न पर या उनके संबंध में लागू नहीं होगी–

(ए) विवाह के समय वधु को दी गई भेंट

परन्तु ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जायेगी,

(बी) विवाह के समय वर को दी गई भेंटे

परन्तु ऐसी भेटें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जायेगी।

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें वधू द्वारा या उसकी ओर से या वधू के किसी संबंधी व्यक्ति द्वारा दी गई हो, ऐसी भेंटें रुढिगत प्रकृति की हो उनका मूल्य उस व्यक्ति की, जिसेक द्वारा या जिसकी ओर भेटें दी गई है, वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए, अत्याधिक नहीं है।

धारा 4 – दहेज मांगने के लिए दण्ड (Penalty for demanding Dowry) यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षत: या परोक्षत: वर या वधु के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है, तो कारावास से जिसकी अवधि छ: मास से कम नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से जो दस हजार रुपयों तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 4–ए – विज्ञापन पर प्रतिबंध (Ban of advertisement) – यदि कोई व्यक्ति किसी नियतकालिक समाचार पत्र, समाचार पत्र में कोई राशी किसी व्यवस्था के अंश या अपनी संपत्ति के किसी अंश या राशि अथवा दोनों को देने की प्रस्थावना करता है।

(क) किसी विज्ञापन द्वारा, अपने पुत्र या पुत्री या अन्य रिश्तेदार के विवाह के प्रतिफल के रुप में कोई राशि किसी व्यवस्था के अंश या अपनी संपति के किसी अंश या राशि अथवा दोनों देनो की प्रस्थापना करता है।

(ख) उपरोक्त खण्ड क में उल्लेखित कोई विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित या मुद्रित करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छ: माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने

से जो 15 हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय अपने निर्णय में विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए छः माह से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

धारा 5- दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा (Agreement for giving or taking Dowry to be void) इस धारा के अनुसार दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा।

धारा 6- दहेज का पत्नी या उसके उत्तराधिकारों के लाभ के लिए होना (Dowry to be for the benefit of the wife or her heirs)-

(1) जब कोई दहेज उस स्त्री के अतिरिक्त जिस संबंध में वह प्राप्त किया गया है, अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जावे तो वह व्यक्ति उसे स्त्री को हस्तांतरित कर देगा:

(ए) यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया हो, तो विवाह से (तीन मास) के भीतर या

(बी) यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ हो तो ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर, या

(सी) स्त्री की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के (तीन मास) के भीतर और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रुप में स्त्री के लाभ हेतु धारण करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में यथोअपेक्षित उसके लिए विनिर्दिष्ट समय से भीतर या उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित कोई संपति अन्तरण करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5000 रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपयों तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन संपति के लिए स्वत्तव धारण करने वाली कोई स्त्री उसे प्राप्त करने के पूर्व मर जाये, तो उस स्त्री के वारिस उस संपति को त्तसमय धारण करने वाले व्यक्ति से पाने का दावा करने के लिए अधिकारी होंगे:

परन्तु जहां ऐसी किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सम्पति:-

(ए) यदि उसकी कोई सन्तान न हो, तो उसके माता-पिता को अन्तरित होगी, या

(बी) यदि उसकी सन्तान हो, तो ऐसी सन्तानों को अन्तरित होगी और ऐसे अन्तरण के लम्बित रहने के दौरान ऐसी सन्तानों के लिए न्यास में धारित की जायेगी।

धारा 7 - अपराधों के संज्ञान (Cognizence of offences)-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी - इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय नहीं करेगा।

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के सिवाय नहीं करेगा -

(1) अपने स्वत: के ज्ञान पर या तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट जो ऐसा अपराध करने से संबंधित हो, या

(2) किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा परिवाद पर या माता-पिता या ऐसे व्यक्ति के अन्य रिश्तेदार या किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा परिवाद करने पर,

(3) मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्धोष किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम द्वारा अधिकृत कोई दण्डादेश पारित करना विधि संगत होगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थायें या संगठन से तात्पर्य केन्द्रीय या राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में मान्यता दी गई सामाजिक कल्याण संस्थायें या संगठन हैं।

धारा 8 - अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय और अजमानतीय तथा अशमनीय होना (Offences to be cognixable for certain purposes and to be non-bailable and non- compoundable)

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन के अपराधों पर ऐसे लागू होगी मानों कि वे संज्ञेय अपराध हो-

(ए) ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए,

(बी) किसी व्यक्ति की वारण्ट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के अलावा अन्य विषयों के प्रयोजनों के लिए।

(2) इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा।

धारा 8-ए कुछ मामलों में सबूत का भार (Burden of proof in certain cases)-जहां कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए धारा 3 के अनुसार अथवा दहेज की मांग करने के लिए धारा 4 के अधीन अभियोजित किया जाता है। तो यह सिद्ध करने का भार उसने उन धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया है, उसी पर होगा।

धारा 8-बी दहेज प्रतिषेध अधिकारी (Dowry prohibition officers) इस धारा के अनुसार-

(1) राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है और वह क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें वे इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(2) प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेंगे अर्थात्-

(क) यह देखना कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(ख) दहेज की मांग करने या लेने का दुष्प्रेरणा करने का, जहां तक हो सके निवारण करना।

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करना।

(घ) ऐसे अतिरिक्त कार्यों का पालन करना जैसे कि राज्य सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियें को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन उनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से करने में सलाह देने और सहायता देने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में, जिसमें कि ऐसा अधि कारी अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ताओं जिसमें कम से कम 2 महिलायें होंगी, सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) यदि दहेज के मामले के किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इस बात का साक्ष्य इकट्ठा करना कि मृत्यु विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर हुई है या नहीं। यदि मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है तो धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा लागू होगी।
(2) यदि किसी अन्य कारण से स्त्री को शादी के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है और इसकी वजह स्त्री को आत्महत्या करनी पड़ती है तब दूष्प्रेरण का साक्ष्य इकट्ठा करना। जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की उपधारणा लागू हो सके।
(3) विवाह के होने के संबंध में साक्ष्य इकट्ठे करना।
(4) शादी के समय दिये गये उपहारों की सूची प्राप्त करना।
(5) यदि विवाहित स्त्री के साथ किसी प्रकार की क्रूरता की गई है तो उसके बारे में साक्ष्य इकट्ठे करना।
(6) पीड़ित महिला की शिकायत को सहानुभूति पूर्वक सुनना।
(7) दोनों पक्षों को बुलवाकर आम सहमति बनाने की कोशिश करना।
(8) इस विषय में दोनों पक्षों को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष पेश करना।
(9) यदि आम सहमति नहीं बनती है तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज करना व अग्रिम कार्यवाही करना।
(10) अन्वेषण के दौरान पीड़ित महिला से दहेज के सामान (स्त्री धन) की सूचि प्राप्त करना।
(11) यदि महिला को प्रताड़ित किया गया है तो उसके सबूत इकट्ठे करना।
(12) स्त्री धन बरामद करना व कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित को वापिस दिलवाना।
(13) यदि पीड़ित महिला की हालत गम्भीर है तो तुरन्त उसका ब्यान दर्ज करना।
(14) यदि पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता-पिता को बुलवाना व आवश्यक जानकारी लेना।
(15) तुरन्त इलाका एस.डी.एम को सूचित करना।
(16) मृत्यु के कारणों को पता लगाना एवं आवश्यक सबूत कब्जे में लेना।
(17) 174/176 सी आर पी सी कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त करना।
(18) 176 सी आर पी सी की कार्यवाही होने की स्थिति मे एसडीएम को गवाहों की सूचि में रखना।

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) स्त्री धन की सूची बनाते समय असावधानी नहीं बरतनी चाहिए।
(2) दहेज के मामले में पीड़ित पक्ष बहुत से व्यक्तियों का नाम अपराधियों की सूचि में लिखवा देते हैं। अन्वेषण अधिकारी को उन सभी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें

गिरफ्तार करना चाहिए जबकि उनके विरुद्ध ठोस एवं पर्याप्त सबूत हों। जैसा कि सलामत अली एवं अन्य बनाम बिहार राज्य ए.आई, आर 1995 में सु0 कोर्ट ने कहा है।

(3) बिना वारन्ट के गिरफ्तार नहीं करना है।

(4) अन्वेषण अधिकारी को किसी भी पक्ष या अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर झूठा अन्वेषण नहीं करना चाहिए।

(5) पीड़ित महिला का ब्यान झूठा नहीं लिखना चाहिए।

(6) दहेज मृत्यु के मामले में मरणासन्न महिला का झूठा ब्यान नही लिखना चाहिए।

(7) पीड़ित व्यक्ति या महिला के ब्यान लिखते समय किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

(8) पीड़ित महिला के साथ अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए।

****

दिल्ली सार्वजनिक (धूत) जुआ अधिनियम 1955

Delhi Public Grambling Act 1955

धारा 1, 3, 4, 5, 12 व 13

धारा 1 - संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ Short title, extent & commencement.

(1) यह अधिनियम दिल्ली सार्वजनिक 1955 के नाम से जाना जाता है।

(2) इसका विस्तार दिल्ली के संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस दिन लागू हुआ समझा जायेगा जिस दिन मुख्य आयुक्त द्वारा सरकारी अधिसूचना में अधि सूचित किया गया हो। (24 Fec, 1956 see Notification no F-2 (134)/54. Home, dated 23rd Feb 1956, Delhi State Gazatte Extra Pt. IV, Sec-II, dated 18th March, 1956, p-15)

(4) इस अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं।

धारा 2 - परिभाषायें Definitions :-

जुआ (Gameing) 'जुआ' में सम्मिलित है बाजी लगाना, सिवाय घोड़ो की दौड़ पर लेकिन इसमें लाटरी सम्मिलित नहीं है।

सामान्य जुआ घर (common gameing house) से तात्पर्य कोई भी स्थान जुए का उपकरण जुआ खेलने के लिए रखा गया है या जुए के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है।

धारा 3- जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भार साधक होने के लिए दण्ड (Penelty for owning or keeping of having charge of a gaming house) जो कोई ऐसी सीमाओं के भीतर जिनको यह अधिनियम लागू होता है किसी घर कमरा, या तम्बू या अहाता, या वाहन या यान का स्वामी या प्रयोगकर्ता होते हुए जुआ घर चलायेगा या प्रयुक्त करेगा और जो कोई-ऐसे जुआ घर को चलाये जाने या प्रयुक्त करने की जानबूझकर अनुज्ञा देगा और जो कोई ऐसे जुआ घर की देखरेख करेगा या उसके प्रबन्ध या संचालन करेगा, और कोई ऐसे जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उधार धन देगा वह छः महिने तक के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 4- जुआ घर में पाये जाने के लिए दण्ड (Penelty for being found in gaming house) जो कोई जुआ घर में जुआ खेलते हुए पाया जायेगा वह तीन महीने तक के कारावास से और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। और जुआ घर में जुए के दौरान उपस्थित व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि वह जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए वहां था। जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो।

यह साबित करने का भार कि वहां जुआ खेलने के लिए उपस्थित नहीं था उसी व्यक्ति पर होता है जिसके बारे में संदेह है कि वह जुआ के प्रयोजन से उपस्थित था।

धारा 5- प्रवेश करने और पुलिस को प्रवेश और प्राधिकृत करने की शक्ति (Power to entre and authorise police to enter and search)जिला मजिस्ट्रेट, या अन्य कोई अधिकारी जिसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति निहित है या पुलिस अधीक्षक, विश्वसनीय सूचना पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी

वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करता है कि कोई घर, कमरा, तम्बू अहाता, स्थान या वाहन या यान सामान्य जुआ घर के रुप में प्रयोग हो रहा है तो वह या तो स्वयं प्रवेश कर सकता है या अपने वारण्ट द्वारा अन्य पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से निम्न का न होगा, दिन या रात में यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग द्वारा प्रवेश करने के लिए प्रधिकृत कर सकेगा।

और ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें वह या ऐसा अधिकारी अन्दर पाता है चाहे वे उस समय जुआ खेल रहे हो या तो स्वयं अभिरक्षा में ले सकेगा या अभिरक्षा में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

और जुआ खेलने के सभी उपकरणों को और धनों को और धनों के लिए प्रतिभूतियों को और मूल्यवान वस्तुओं को जो वहां पायी जाए और जिसके बारे में यह सन्देह है कि जुआ खेलने के प्रयोजन से उनका प्रयोग किया गया है या किया जाना आशायित है, कब्जे में ले सकेगा या कब्जे में लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

और ऐसे घर, या कमरा, या तम्बू या अहाता, या वाहन या यान या स्थान के जिसमें वह या ऐसा अधिकारी प्रवेश कर चुका हो सब भागों की, जब उसके या ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि जुआ खेलने के उपकरण उसमें छिपाए हुए हैं उन व्यक्तियों के शरीरो की भी जिनको उसने या ऐसे अधिकारी ने अभिरक्षा में लिया है, तलाशी ले सकेगा या तलाशी लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

और ऐसी तलाशी में पाये गये जुआ खेलने के सभी उपकरणों को अभिगृहित कर सकेगा या अभिगृहित करने के लिए और कब्जा लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 12 - सार्वजनिक मार्ग में जुआ खेलना और पक्षियों और पशुओं को लड़ने के लिए छोड़ना (Gaming and setting birds and animals to fight in public streets) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो ताश, पासें या जुआ खेलने के किसी अन्य उपकरणों से है जो मात्र कौशल के खेल से भिन्न किसी खेल में प्रयुक्त किये जाते हैं धन के लिए या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के लिए किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या आम रास्ते में जो पूर्वोक्त सीमाओं के अन्दर स्थित हो, खेलता पाया जाये या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किन्हीं पक्षियों को या पशुओं को किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या आम रास्ते पर लड़ने के लिए छोडेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को जो वहां उपस्थित हो और पक्षियों और पशुओं की सार्वजनिक लड़ाई में सहायता और दुष्प्रेरण कर रहा हो वारण्ट के बिना पकड़ सकेगा।
जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा जायेगा तो उसे बिना विलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जायेगा और 1000 रुपये से अनधिक के जुर्माने से या तीन मास तक की अवधि के सादा या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा।

धारा 13 - अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना (Exemption of games or mere Skill) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई भी बात मात्र कौशल के लिए कहीं भी खेलें गये किसी खेल को लागू नहीं समझी जायेगी।

धारा 15- पश्चावर्ती अपराध के लिए दण्ड (Penalty for subsequent offence) जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अपराध के लिए दोबारा दण्डित किया जायेगा तब उसे उक्त धाराओं में दिए गए जुर्माने के दोगुने से दण्डित किया जायेगा।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) यदि किसी बन्द स्थान में जुआ हो रहा है तो वहां प्रवेश करने से पहले वारन्ट ले फिर प्रवेश करें। जैसा कि धारा 5 में उपबन्धित है।

(2) वारन्ट लेने के लिए किए गए आवेदन में उस स्थान का वर्णन नक्शा सहित करें। जिस स्थान की तलाशी लेनी है।

(3) यदि वारन्ट लेने का समय नहीं है तो उन परिस्थितियों का स्पष्ट रुप से उल्लेख करे।

(4) सूचना मिलने पर तुरन्त Raiding party तैयार करना।

(5) Raiding party में जन साधारण को शामिल करना।

(6) मौके पर पहुंचने से पहले ठीक प्रकार से उक्त स्थान की घेराबंदी करना व तुरन्त दबिश डालकर उपराधियों को काबू करना।

(7) जुए पर लगी रकम व लगाने वाली रकम का यथा-सम्भव अलग-अलग लिखना।

(8) ताश के पत्ते कितने-कितने अपराधियों के हाथ में थे। कितने जुआ खेल रहे थे व कितने अपराध ी दर्शक थे का रुक्का में अलग-अलग वर्णन करना।

(9) अगर जुआ किसी अन्य उपकरण या किसी पशु पक्षी द्वारा किया जा रहा है तो उसका भी वर्णन करना।

(10) फर्द मकबूजगी (सीजर मीमो) पर तमाम गवाहों के हस्ताक्षर कराना।

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) जहां तक संभव हो वारण्ट के बिना तलाशी न ले।

(2) तलाशी के दौराना अनावश्यक व्यवधान न करे।

(3) नक्शा बनाते समय किसी भी प्रकार से असावधानी न रहे।

(4) Raiding Party द्वारा कोई भी लापरवाही न करना क्योंकि इससे त्ंपक फेल हो सकती है।

(5) झूठे गवाह नहीं बनाने चाहिए।

(6) ताश के पत्ते, रुपये - पैसे या अन्य कोई भी लापरवाही न करना, इससे Raid फेल हो सकती है।

(7) अगर जुआ किसी पशु पक्षी या अन्य जीव से संबंध रखता है तो इनके कब्जे के बारे में बिल्कुल भी असावधान नही रहना चाहिए। जैसे - इनको कब्जे में लेकर किसी अन्य व्यक्ति की सुपर्ददारी में सौंपना।

(8) बिना किसी विश्वसनीय सूचना के किसी बन्द स्थान की तलाशी के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए।

****

रेलवे अधिनियम 1989

Railways Act, 1989

उद्देश्य (Object)- इस अधिनियम का उद्देश्य रेलवे से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करना है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1990 से लागू होगा।

धारा - 2 परिभाषाएं (Definitions)

(14) किराया (Fare)- शब्द का अर्थ यात्रियों के परिवहन हेतु वसूल किया गया व्यय (Charge) है।

(17) माल भाड़ा (माल किराया)(Freight) शब्द का अर्थ वह व्यय (बेंतहम) है जो माल वगैरह के परिवहन हेतु एवं यदि उतारना-चढ़ाना हो तो उसके सहित लागू किया गया।

(29) यात्री (Passenger)- उचित पास और टिकट सहित यात्र करने वाला व्यक्ति।

(31) रेलचे (Railways) रेलवे का अर्थ या रेलवे का कोई भी भाग जो यात्रियों के लिए या माल के लिए हो तथा इसके अन्तर्गत निम्न भी शामिल हैं-

1) बाड (Fencing) और बाउंड्री सहित रेलवे की जमीन
2) रेलवे पटरी या ट्रैक जो रेलवे से संबंधित हो,
3) विद्युत साधन, विद्युत वितरण के साधन जो रेलवे से संबंधित हों,
4) सभी स्टेशन, कार्यालय गोदाम मालखाना कारखाना उत्पादन स्थल मशीनरी सड़कें चलते कमरे डिब्बे विश्राम गृह, अस्पताल जल वितरण और अन्य विभाग जो रेलवे से संबंधित हो,
5) सभी यान (Vehicle) नाव, जहाज आदि जिनका उपयोग रेलवे द्वारा किया जाता है किंतु मेले या पाक्र में मनोरंजन के लिए या प्रदर्शन के लिए बनाई गई रेलवे में शामिल नहीं है।

अपराध एवं दण्ड (Offences and penalties)

धारा 137 उचित टिकट या पास के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना (Fraudulently travelling to travel withot proper pass or ticket)

(1) यदि कोई व्यक्ति रेलवे प्रशासन के साथ कपट करने के आशय से -

(क) धारा 55 के उल्लघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या रहेगा, अथवा

(ख) एकतरफा पास या एकतरफा टिकट को, जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा।

तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है, साधारण एकतरफा किराए के या जहां कहीं उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था कोई संदेह है तो उस स्टेशन से जिससे रेलगाड़ी आरम्भ होकर चली थी, साधारण एकतरफा किराए के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलमार्ग से आरम्भ होकर चलने के पश्चात परीक्षा की गई है, जहां उनकी अन्तिम वार परीक्षा की गई थी, साधारण एकतरफा किराए के अतिरिक्त इस धारा में इअसके पश्चात वर्णित अधिक प्रभार देने का जिम्मेदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार उस उपधारा में निर्दिष्ट साधारण एकतरफा किराए या दोनों में से जो भी अधिक हो, उसके समतुल्य राशि होगा।

(3) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराधों को सिद्धोष ठहराने वाला न्याय यह निदेश दे सकेगा कि अपराधी न्यायालय द्वारा किए गए किसी जुर्माने का संदाय न करते पर कारावास, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, भुगतेगा।

धारा 138 - अतिरिक्त प्रभार लिया जाना व बिना पास या टिकट के या निर्धारित दूरी के बाद यात्रा करने पर किराया (Levy of excvess charge and fare for travelling without proper pass or ticket or beyond authorised distance)

(1) यदि कोई यात्री

(क) गाडी के अन्दर या नीचे उतरते पर धारा 54 के अनुसार टिकट या पास परीक्षण (जांच) के लिए मांगने पर तुरन्त अपना पास व टिकट दिखाने से इंकार करता है, या

(ख) धारा 55 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुए यात्रा करता है वह इस संबंध में प्राधिकृत किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा मांगने पर, जितनी दूरी वह तय कर चुका है, उसका एक तरफ का साधारण किराया के अलावा उप-धारा (3) में बताये गये अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, या गाड़ी के मूल स्थान से चलने के बाद यात्रा के दौरान यात्रियों के टिकटों की जांच एक या अधिक बार की जा चुकी हो, तो इस प्रकार से अंतिम बार जांच किये गये स्थान से एक ओर का साधारण किराया अतिरिक्त प्रभार के रुप में लिया जाएगा।

(2) यदि कोई यात्री-

(क) किसी उच्चतर श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है जिसने निम्नतर श्रेणी का पास या टिकट लिया है या खरीदा है, अथवा

(ख) अपने टिकट या पास में निर्धारित स्थान से अधिक दूरी तक किसी डिब्बे में या डिब्बे के ऊपर यात्रा करता है,

वह उसके लिए अधिकृत किसी रेलवे कर्मचारि के मांगने पर वह निर्धारित दूरी तय किराये का भुगतान करने अलावा, निर्धारित दूरी एवं तय की गई दूरी के अंतर के किराये की धनराशी तथा उप-धारा 3 में वर्णित अतिरिक्त व्यय के भुगतान के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(3) अतिरिक्त व्यय की धनराशी हो, उपधारा, (1) अथवा उपधारा (2) के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशी या 50 रुपया जो भी अधिक हो वसूला जाएगा।

परन्तु यदि उस यात्री के पास धन हो, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत स्वीकृत प्रमाण पत्र मौजूद हो तो उसे कोई अतिरिक्त व्यय नहीं देना पड़ेगा।

(4) यदि कोई यात्री उपधारा (1) में वर्णित किराये या अतिरिक्त प्रभार देने तथा उपधारा (2) के अनुसार किराये के अन्तर की राशी अदा करने के लिए उत्तरदायी हो और वह उक्त धनराशी मांगे जाने पर अदा करने से इंकार करता है या अदा करने में असफल रहता है तो इस रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणीको जुर्माने की राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी राशि देय है तो वह उसकी वसूली के लिए आदेश दे सकता है कि उक्त राशी के भुगतान करने के अभाव में उस व्यक्ति को एक माह तक के कारावास की सजा हो सकती है। परन्तु यह अवधि दस दिन से कम नहीं होगी।

(5) उप-धारा 4 के अर्न्तगत वसूली जाने वाली धनराशी प्राप्त होते ही न्यायालय द्वारा रेलवे प्रशासन को भुगतान कर दी जाएगी।

धारा 139 व्यक्तियों को हटाने की शक्ति (Power of remove persons) यदि कोई व्यक्ति रेल किराया एवं धारा 138 में वर्णित अतिरिक्त प्रभार नहीं देता या देने से इंकार करता है तो रेल प्रशासन द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी रेलवे सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे रेल प्रशासन द्वारा इसके लिए बुलाएं सवारी डिब्बे से हटाया जा सकेगा, यदि कोई व्यक्ति जो अपने समुचित पास या टिकट रखे बिना किसी सवारी

डिब्बे में जो उच्चतर श्रेणी का है में यात्रा करता है तो उस प्राधिकृत श्रेणी वाले डिब्बे में ऐसी यात्रा के लिए भेजा जाएगा। एक स्त्री या बच्चा यदि किसी पुरुष यात्री के साथ हो तो उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक रेलवे स्टेशन न आ जाए जहां से औरत या पुरुष यात्रा शुरु किया हो या जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन न आ जाए एवं ऐसा हटाया जाना दिन के समय में होगा अर्थात रात्रि में स्त्री व बच्चे को नहीं हटाया जाएगा।

धारा 140-कुछ मामलनें में सदाचरण के लिए प्रतिभूति (Security for good behaviour in certain cases)

(1) जब किसी न्यायालय को धारा 137 व धारा 138 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करते समय यह पता चलता है कि वह व्यक्ति अपराध को आदतन करता है या ऐसा करने का आदतन प्रयास करता है और न्यायालय की राय में उस व्यक्ति द्वारा बन्धपत्र भरने के लिए कहना उचित एवं आवश्यक है तब ऐसा न्यायालय दण्ड देते समय, उस व्यक्ति को ऐसी धनराशी एवं समयावधि का जिसे उचित समझे जो तीन वर्ष से अधिक न हो, का जमानत सहित या जमानत रहित बंधपत्र देने का आदेश दे सकता है।

(2) धारा(2) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी अपनी पुनः परीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करते समय कोई भी आदेश प्रदान कर सकता है

धारा141- गाडी के संचार के साधनों के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप करना (Needlessly interfaring with means of communication in a train) - कोई यात्री या अन्य किसी व्यक्ति किसी उचित एवं पर्याप्त कारण के बिना गाड़ी में प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी व यात्रियों के बीच यातायात के लिए उपलब्ध कराये गये किसी साधन का दुरुपयोग करता है या अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो उसे एक साल तक कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा,

परन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित किये जाने वाले प्रतिकूल विशेष एवं पर्याप्त करणों के अभाव में जहां कोई यात्री उचित एवं पर्याप्त कारणों के बिना, रेलवे प्रशासन द्वारा लगाई जंजीर (अलार्म चैन) का प्रयोग गाड़ी को रोकने के लिए करने पर उसका दण्ड निम्न से कम न होगा।

(क) पहली बार अपराध करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना दिया जायेगा और

(ख) दूसरे व पश्चात्वर्ती (बाद में किये गये) अपराधों के लिए तीन माह के कारावास की सजा दी जाएगी।

धारा 142- टिकटों के हस्तांतरण के लिए दण्ड (Penalty for transfer of tickets)

(1) यदि कोई व्यक्ति जो रेलवे कर्मचारी या इसके लिए प्राधिकृत एजेन्ट (प्रतिनिधि) न हो-

(क) किसी टिकट एवं वापसी टिकट के आधे भाग को भेचता है या बेचने का प्रयास करता है, अथवा

(ख) किसी ऐसे टिकट, या जिसके द्वारा सीट या बर्थ का आरक्षण किया गया हो या वापसी टिकट का आधा भाग या सीजन टिकट को अपने अधिकार से अलग करता है या करने का प्रयत्न करता है,

किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा करने देता है तो उसे 3 मास की कैद या पांच सौ रुपये जुर्माना किया जाएगा तथा उपरोक्त टिकट को जब्त कर लिया जायेगा, यदि वह अपना टिकट बेचता है या बेचने का प्रयत्न करता है या अपना टिकट या उसका भाग किसी दूसरे को देता है या देने का प्रयास करता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी रेलवे कर्मचारी या अधिकृत एजेन्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से उप-धारा (1) के भाग (ख) में वर्णित टिकट को खरीदता है या उप-धारा (1) के भाग (ख) में वर्णित टिकट को अपने अधिकार में लेता है (प्राप्त करता है) तो वह 3 माह तक या 500 रुपये तक जुर्माना से दण्डनीय होगा और यदि उपरोक्त टिकट खरीदने वाला या कब्जे में रखने वाला गाड़ी में यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है तो वह इस प्रकार से खरीदे गये या प्राप्त किये गये टिकट को जब्त करवाएगा और उसके बारे में समझा जाएगा कि वह बिना टिकट यात्रा कर रहा है और उसके विरुद्ध 138 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित प्रतिकूल विशेष एवं उपयुक्त कारणों के अभाव में उपधारा (1) व उपधारा (2) के अन्तर्गत कम से कम 250 रुपये जुर्माना किया जा सकेगा।

धारा-143- रेलवे टिकट प्राप्त करने व सप्लाई के अवैध व्यापार को चलाने के लिए दण्ड (Penalty for unauthorised carrying on of business of procuring and supplying of railway tickets)

(1) एक रेलवे कर्मचारी या अधिकृत एजेन्ट न होते हुए यदि कोई व्यक्ति

क) एक रेलगाडी में यात्रा करने के लिए या आरक्षित स्थान के लिए टिकटें प्राप्त करने की पूर्ति (सप्लाई) करने का व्यापार करता है, या

ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या स्वयं किसी व्यापार को करते रहने के उद्देश्य से टिकटों को खरीदता है या बेचता है या खरीदने या बेचने का प्रयत्न करता है,

यह व्यक्ति तीन साल तक के कारावास या 10000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा और उन टिकटों को भी जब्त करायेगा जिन्हें वह अपने कब्जे में रखता है प्राप्त करता है, खरीदता या बेचता है या खरीदने या बेचने का प्रयत्न करता है,

परन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित प्रतिकूल विशेष एवं उपयुक्त कारणों के अभाव में उसे कम से कम पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।

(2) जो व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध हुआ है या नहीं, उसे भी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 144 - फेरी लगाने और भीख मांगने पर प्रतिबंध (Prohibition on hawking etc., and begging)-

(1) यदि कोई व्यक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकृत लाईसेंस शर्तों व नियमों को छोड़कर किसी नियम को भंग करता है या गाडी के डिब्बे या रेलवे के किसी भाग में माल बेचने के लिए फेरी लगाता है या किसी चीज़ को बेचने के लिए दिखाता है या प्रदर्शन करता है तो वह एक साल तक कैद या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित प्रतिकूल विशेष एवं उपयुक्त कारणों के अभाव में उसे कम से कम 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति रेल के किसी डिब्बे में या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो उसे उपधारा (1) के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

(3) कोई रेलवे कर्मचारी जिसे इन सम्बंध में अधिकार दिया गया हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे वह रेलवे कर्मचारी अपनी सहायता के लिए बुलाता है को आविष्कार है कि वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित व्यक्ति को रेल के डिब्बे या रेल के किसी भाग या रेलवे स्टेशन की सीमा से हटा दे (या बाहर कर दे।)

धारा 145-शराब के नशे में धुत होना या शोरगुल (अपदूषण) करना (Drunkenness or nuisance) - यदि कोई व्यक्ति रेल के किसी डिब्बे में या रेलवे के किसी भाग में-

(क) नशे की हालत में या

(ख) शोर-शराबा करता है या दुर्व्यवहार करता है या गालियां देता है या अभद्र भाषा (शब्दों) का प्रयोग करता है,

(ग) जान बूझकर बिना किसी कारण रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप करके किसी यात्री के आराम में बाधा पहुंचाता है,

उसे किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा रेल के डिब्बे या रेलवे के किसी भाग से हटाया जा सकता है और उसके पास या टिकट को जब्त करने के अलावा वह 6 माह तक कैद या 500 रुपये जुर्माना से दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में प्रतिकूल विशेष व उपयुक्त निर्णय के अभाव में उसे कम से कम-

(क) पहली बार अपराधी सिद्ध होने पर 100 रुपये जुर्माना।

(ख) दूसरी बार या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर क माह की कैद या 250 रुपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 146- रेल सेवक के कर्त्तव्यों मे बाधा डालना (Obsertucting railway servant in his duties) यदि कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक के कर्तव्य के पालन में जानबूझकर बाधा या अडचन डालेगा तो वह कारावास से जिनकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से 1000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 147 - अतिचार और अतिचार से प्रतिविरत अलग रहने से इंकार करना (Transpass and refusal todesist from trespass) -- (1) यदि कोई व्यक्ति, रेल पर विधि विरुद्ध प्रवेश करेगा, तो कारावास से जिसकी अवधि 6 माह की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परन्तु विशेष अथवा पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायेगा, दण्ड जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम न होगा।

(2) किसी उपधारा (1) में वर्णित व्यक्ति रेल से किसी रेल सेवक या सेवक द्वारा उसके सहायता हेतु बुलाए गए व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

धारा 150 - द्वेषपूर्वक (ईष्यापूर्वक) गाडी को नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयत्न करना (Maliciously weeking or attempting to wreack a train) - (1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन यदि कोई व्यक्ति अवैध रुप से

क) किसी रेलवे पर या रेलवे लाईन के आर-पार कोई लकड़ी या पत्थर या कोई अन्य वस्तु (पदार्थ) रखता है या फैंकता है, या

ख) रेलवे से संबंधित किसी स्लीपर, वस्तु या अन्य पदार्थ को रेलवे लाइन से उठा लेता है। हटा लेता है, या

ग) रेलवे से संबंधित किसी पॉइन्ट या किसी अन्य मशीनरी को घुमाता है आगे सरका देता है या किसी पॉइन्ट की दिशा परिवर्तित कर देता है, या

घ) रेलवे के आसपास या रेलवे के ऊपर कोई संकेत (सिग्नल) करता है या रोशनी करता है या संकेत या रोशनी को हटा देता है या छिपा देता है या

ड) रेलवे से संबंधित कोई अन्य कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है या किसी से करवाता है या कराने का प्रयत्न करता है, इस नियत से या यह जानते हुए कि वह रेलवे पर यात्रा करने वाले या रेलवे पर मौजूद व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास (उम्रकैद) या दस साल कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में प्रतिकूल विशेष एवं उपयुक्त कारणों के अभाव में उसे कम से कम-

(क) प्रथम दोषसिद्ध पर 3 साल के कठोर कारावास और

(ख) दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर 7 साल के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित किसी कार्य को अवैध रुप से करता है तो

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु करने के इरादे से जानबूझकर तथा इस प्रकार के कार्य से या क्रिया द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या

(ख) यह जानते हुए कि ऐसा कार्य या क्रिया इतनी अधिक घातक है कि इससे हर हालत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या शारीरिक क्षति होने की संभावना है जो मृत्यु का कारण भी हो सकती है तो वह मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 151- किसी रेलवे सम्पति को नुकसान पहुचाना एवं नष्ट करना (Damage to or destruction of certain railway properties) -

(1) जो कोई व्यक्ति आशय सहित का ज्ञान रखते हुए इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित रेलवे की किसी संपति को क्षति पहुचाता है या को नष्ट करता है ऐसी संपति को नष्ट करता है, तो वह पांच साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में वर्णित रेलवे संपतियों में रेल मार्ग पुल, स्टेशन की इमारत व प्रतिष्ठान यात्री गाडी के डिब्बे या वैगन इंजन सिगनल दूरभाष व्यवस्था (तार व खम्बे) मकानों संबंधी सामान तथा इसी प्रकार की अन्य संपतियां शामिल है जिन्हे केन्द्रीय सरकार यह विचार रखते हुए कि उन्हें क्षति पहुचाने या उनके नष्ट होने से रेलवे के चालू रहने में संकट उत्पन्न होगा, विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

धारा 152 - ईर्ष्यापूर्वक रेल यात्रियों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना (Maliciously hurting or attempting to hurt persons travelling by railway)- यदि कोई गाडी के किसी चल स्टाक के अन्दर ऊपर या उसके किसी भाग में अवैध रुप से कोई लकडी पत्थर कोई अन्य पदार्थ या वस्तु रखता है फेंकता है या ऐसा कार्य करता है, जानबूझकर यह जानते हुए कि वह रोलिंग स्टाक के ऊपर या अंदर या उसके किसी भाग में या रोलिंग स्टाक से जुडी गाडी के किसी भाग में या रेलिंग स्टाक से जुड़ी गाडी के किसी भाग में सवार किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है जो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद के दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 153 - जानबूझकर किसी कार्य या कार्यलोप द्वारा की सुरक्षा को खतरे में डालना (Endangering safety or persons travelling by railway by wilful act or omission) - यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य द्वारा या जानबूझकर की गई असावधानी या लापरवाही द्वारा, रेलवे पर या किसी रेलवे पर या किसी रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है या खतरे में डालने का कारण बनता है या किसी रेलमार्ग पर किसी रोलिंग स्टाक को बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने का कारण बनता है, या बाधा पहुचाने का प्रयत्न करता है, तो वह पांच साल के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 154 - जल्दबाजी या लापरवाही या कार्यलोप द्वारा रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना (Endangering safety of persons travelling by railway by rash or negligent act or omission) - यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजी या लापवाही द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिसे करने के लिए यह कानूनन बाध्य है या ऐसा कार्य या कार्यलोप करके रेल में सवार व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में डालता है इसमें एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 155 - आरक्षित डिब्बे में प्रवेश या अनारक्षित डिब्बे में प्रवेश में बाधा डालना (Entering into a Compartment reserved or resisting entry into compartment not reserved)-

(1) यदि कोई यात्री-

(क) किसी ऐसे डिब्बे में प्रवेश करे जहां रेलवे प्रशासन द्वारा उसके प्रयोग के लिए बर्थ या सीट रिजर्व नहीं की गई हो, अथवा

(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित सीट या बर्थ अनाधिकृत रुप से कब्जा कर लेता है, किसी रेलवे कर्मचारी जिसे इस कार्य हेतु प्रधिकृत किया गया हो के कहने पर वह उसे खाली करने से इंकार करता है तो ऐसे यात्री (व्यक्ति) को वह रेलवे कर्मचारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता द्वारा उस सीट या बर्थ एवं डिब्बे से हटा सकता है या उसके हटाने की व्यवस्था की व्यवस्था कर सकता है और उसे 500 रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है।

(2) यदि कोई यात्री किसी ऐसे डिब्बे में, जो उसके लिए आरक्षित न हो, किसी अन्य यात्री के वैद्य प्रवेश में बाधा डालता है या विरोध करता है तो वह 200 रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 156 - रेल की छत या पायदान (Step) पर अथवा इंजन पर यात्रा करना (Travelling on roof, step or engine of a train) - यदि कोई यात्री या अन्य कोई व्यक्ति किसी सेवक के द्वारा चेतावनी या बाधा देने और मना करने पर भी रेलगाड़ी के छत पायदान या किसी डिब्बे के अथवा इंजन या रेलगाड़ी के किसी भाग जो कि यात्रियों के उपयोग के लिये नही है यात्रा करता है तो कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक या जुर्माने जो कि पांच सौ रुपया तक या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 162 - महिलाओं के लिए आरक्षित सवारी डिब्बे या अन्य स्थान प्रवेश करना (Entering carriage or other place reserved for females) - यदि कोई पुरुष यह जानते हुए कि कोई सवारी डिब्बा, कक्ष, कमरा या अन्य स्थान महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए रेल प्रशासन द्वारा आरक्षित है उस स्थान में विधि पूर्ण कारण के बिना

(क) ऐसे सवारी डिब्बा, कक्ष कमरा या अन्य स्थान में प्रवेश करता है या बना रहता है या

(ख) यदि कोई पुरुष यह जानते हुए कि बर्थ या सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, एवं किसी रेल सेवक द्वारा खाली करवाने की वांछा पर भी ऐसी बर्थ या सीट का प्रयोग करेगा,

तो वह ऐसे किसी किराये के जो उसने दिया है और ऐसे किसी पास या टिकट के जो उसने प्राप्त किया हो या क्रय किया हो, जब्त किये जाने के अलावा जुर्माने से जो पांच सौ रुपये का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा।

धारा 163 - माल का मिथ्या लेखा देना (Groving false account of goods) यदि वह व्यक्ति, जिससे किसी माल के बारे में विवरण देने की प्रार्थना धारा 66 के अधीन की गई है, ऐसा विवरण देगा जो तात्विक रुप से मिथ्या है, तो वह और यदि वह माल का स्वामी नहीं है तो वह इस अधिनियम के अधीन माल भाडे व अतिरिक्त व्यय को अदा करने के लिए दायित्वाधीन होगा, जुर्माने से जो माल के हर क्विंटल या माल के भाग के लिए जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

धारा 164 - खतरनाम माल को विधि विरुद्ध रुप से रेल पर लाना (Unlawfully bringing dangerous goods on a railway) - यदि धारा 67 के उल्लंघन में कोई व्यक्ति अपने साथ कोई खतरनाक माल रेल पर ले जायेगा अथवा रेल पर वहन के लिए किसी ऐसे माल को प्रस्तुत या सुपुर्द करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष या तो वह जुर्माने से जो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और रेल पर इस प्रकार लाए गए माल के कारण जो हानि, क्षति, या नुकसान कारित हो उसके लिये भी उत्तरदायी होगा।

धारा 165 - घृणोत्पादक (आक्रामक) माल को विधि विरुद्ध रुप से रेल पर लाना (Unlawfully bringing offensive goods on a railway) - यदि धारा 67 के उल्लंघन मे कोई व्यक्ति अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल रेल पर ले जायेगा अथवा रेल पर वहन के लिए किसी ऐसे माल को प्रस्तुत या सुपुर्द करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और रेल पर इस प्रकार लाए गए माल के कारण जो हानि, क्षति या नुकसान या अहित हो उसके लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 172 - मत्तता के लिए दण्ड (Panalty for intoxication) यदि ड्यूटी पर होते हुए कोई रेल सेवक, नशे की अवस्था में होगा वह जुर्माने से जो पांच सौ तक का हो सकेगा, या जहां कर्तव्य के अनुचित रुप से पालन किये जाने से रेल यात्रा करने वाले या उसमें होने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा होना सम्भाव्य होगा, वहां कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 173 - बिना अधिकार के रेलगाड़ी आदि का परित्याग (Abandoning train etc., without authority) यदि ड्यूटि पर होते रेल सेवक को किसी रेलगाड़ी या अन्य चल स्टाक को एक स्टेशन या स्थान से दूसरे स्टेशन या स्थान तक पहुंचने से पहले, बिना प्राधिकार के या रेलगाड़ी या चल स्टाक को समुचित रुप से किसी प्राधिकृत रेल सेवक के हवाले किये बिना अपनी डयूटी छोड़ देगा तो कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 174 - रेलगाडियों आदि के चलने में बाधा डालना (Obstructing running of train, etc.) यदि ड्यूटी पर होते हुए या अन्यथा कोई रेल सेवक या कोई अन्य व्यक्ति किसी रेल की पटरी पर बैठकर, अवरोध क लगाकर या रेल रोको आंदोलन या बन्द द्वारा या उस पर बिना प्राधिकार के कोई चल स्टाक रखकर सिग्नल गियर से छेड़छाड़ करके या अन्य प्रकार से रेल पर किसी रेलगाडी, रेल कार या अन्य चलस्टाक को बाधा पहुँचायेगा वह दो साल के कारावास या 2000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 175 - व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा (Endangering the safety persons) यदि ड्यूटी पर होते हुए कोई रेल सेवक-

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी भी प्रकार का नियम की अवज्ञा द्वारा, या

(ख) किसी ऐसे नियम या आदेश का अवज्ञा द्वारा जो नियम से असंगत नहीं है और आदेश निबन्धनो द्वारा आबद्ध था,

(ग) किसी उतावलेपने या उपेक्षा पूर्व लोप से किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 176 - समतल क्रासिंग में बाधा डालना (Obstructing level crossing) यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रुप से -

(क) किसी चल स्टाक को ऐसे स्थान से आर-पार खड़ा रहने देगा, जहां रेल लोक मार्ग (सड़क) को समतल क्रॉस करती है, अथवा

(ख) समतल क्रासिंग को जनता के लिए बन्द रखेगा तो वह जुर्माने से जो एक सौ रुपया तक हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

धारा 178 - किसी रेल सेवक द्वारा मिथ्या रिपोर्ट (Making a false report by a raiway servant) रेलवे प्रशासन द्वारा जहां किसी रेलवे सेवक से किसी नुकसानी के दावे, नाश, नुकसान, खराब करने या किसी माल के अपरिदान (न दिया जाना) की मिथ्या सूचना की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह मिथ्या है, की मिथ्या रिपोर्ट देता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो साल तक या जुर्माना से जो एक हजार रुपया तक या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

****

बंदियों की शिनाख्त अधिनियम 1920

Identification of prisoners Act, 1920

(1920 का अधिनियम संख्या 33)

उद्देश्य (Object)- इस अधिनियम का उद्देश्य दोषी तथा अन्य व्यक्तियों के चित्रस और माप लेने के लिए अधि कृत करने हेतु प्रावधान करना है।

धारा 2. परिभाषाएं (Definitions)-

(क) ''माप'' Measurement में उंगलियों के प्रति मुद्रा (छाप) तथा पद-चिन्ह के प्रति मुद्रा (छाप) सम्मिलित होगी।

(ख) पुलिस अधिकारी (Posil Officer) से तात्पर्य किसी पुलिस थाने मे प्रभारी अधिकारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 14 के अधीन (अव द0प्र0स0 1973 की धारा 154 से 176 अध्याय 12 के अधीन) अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी, किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी से है जो उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का है।

(ग) विहित (Prescribed) निर्धारित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने से है।

धारा 3. कुछ दोषी व्यक्तियो के माप आदि लेना (Taking of measurement, etc. of convicted persons) - प्रत्येक व्यक्ति

(अ) जो कि ऐसे अपराध का जो एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास से दण्डनीय हो या किसी ऐसे अपराध से जो कि उसे परिवर्ती (वाद की) दोष सिद्धि पर अतिरिक्त बढ़े हुए दण्ड का उत्तरदायी ठहराए दोषी सिद्ध हुआ हो या,

(ब) जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के अधीन सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई हो, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह विहित रीति से पुलिस अधि कारी द्वारा अपने माप, या चित्र लिये जाने देगा।

धारा 4. दोषी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के माप आदि लेना (Taking of Measurement etc. of non-convicted persons) कोई व्यक्ति जो कि एक वर्ष या उससे अधिक समय के कठोर कारावास से दण्डनीय अपराध के संबंध में बंदी बनाया गया हो, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह अपने माप किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लेने देगा।

धारा 5. मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति के माप या चित्र लिये जाने की आज्ञा देने की शक्ति (Power of Magistrate to other a person to be measured or photographed) यदि कोई मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि दण्ड प्रक्रिया 1973 के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए यह वांछनीय है कि किसी व्यक्ति को अपने माप या चित्र देने के लिए निर्देशित किया जाये जो वह ऐसा आदेश दे सकता है और उक्त दशा में वह व्यक्ति जिससे वह आज्ञा संबंधित हो ऐसे आदेश में उल्लिखित और स्थान पर उपस्थित होगा या प्रस्तुत किया जायेगा, और अपने माप या चित्र जैसी भी स्थिति हो, पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जाने की अनुमति देगा।

उपबन्ध यह है कि चित्र लिऐ जाने के निर्देश देने का कोई आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा। यह भी उपबंध है कि इसी धारा के अधीन कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

कि वह व्यक्ति उक्त अन्वेषण या कार्यवाही के मध्य किसी समय बंदी न बनाया गया हो।

धारा 6- माप आदि लिये जाने में प्रतिरोध (Rssistence to the taking of measurements etc)

(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके माप या चित्र लिये जाने की अनुमति देने की अपेक्षा की जाती है, यदि वह उसको देने में प्रतिरोध करता है, या निषेध करता है तो उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों का उपयोग करना वैध होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन माप या चित्र दिये जाने की अनुमति देने से निषेध करना या उसमें प्रतिरोध करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अधीन अपराध माना जायेगा।

ऐसे ही प्रावधान दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 55 एवं 56 में किए गए हैं। धारा 55 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 46,47 या 48 कि अधीन दिल्ली या उसके किसी भाग से जाने का आदेश दिया गया है, पुलिस आयुक्त द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को निर्धारित रीति से अपने माप और फोटो लेने देगा। इसी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करेगा तो वहां उन्हें लेने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे साथ ही ऐसा प्रतिरोध भ0द0स0 की धारा 186 के अधीन अपराध होगा। (धारा 186 भा0द0स0-लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वाहन में बाधा डालना) यह धारा असंज्ञेय एवं जमानतीय है लेकिन द0प्र0स0 1973 की धारा 41 के खण्ड 5 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जो उसे उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो।

धारा 7. दोषमुक्त होने पर चित्रों और मापों के अभिलेखों का नष्ट किया जाना (Destruction of photographs & records of measuremetns on acquittal) जहां कोई व्यक्ति जो पूर्व में किसी ऐसे अपराध से दण्डित न हुआ हो एक वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दण्डनीय हो यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके कोई चित्र लिए गए हों या माप अंकित की गई हो, यदि किसी न्यायालय द्वारा बिना विचार के विमोचित कर दिया जाए या आरोप मुक्त या दोषमुक्त कर दिया जाए। समस्त माप या चित्र जो लिए गए हों, बिना विचार के विमोचित किए जाने की दशा में जब तक कि न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय अधिकारी कारण लेखबद्ध करते हुए अन्यथा निर्देश न दें, नष्ट कर दिये जाएंगे।

धारा 8 नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules) इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावपूर्ण पालन किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार नियम बना सकती है।

धारा 9. दावों के लिए वर्जन (Bar to suits) इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से लिए गये किसी कार्य के संबंध में, कोई दावा या अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

****

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2000

Juvenile justice (care and protection of children) Act, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 56)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39 (ई) (एफ) अनु0 45 और अनु0 47 उपबंधित करते हैं कि बालकों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य विशेष विधि का निर्माण कर सकता है जिससे बालकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय और गरिमामय वातावरण में उन्हें स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराये जा सके।

इन्हीं उपबन्धों से शक्ति प्राप्त करते हुए राज्य ने किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया, जिसे कुछ संशोधानों सहित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के नाम से पारित किया गया।

उद्देश्य (Object)- विधि विरुद्ध किशोरों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को उनके विकास की आवश्यकताओं के अनुरुप आहार प्रदान करके उनकी समुचित देखरेख, संरक्षण और उपचार करते के लिए और बालकों के सर्वोत्तम हित में उनसे संबंधित मामलों के न्याय-निर्णयन और निपटारे में एक शिशु-मैत्री दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके लिए अंतिम पुनर्वासन के प्रबंध के लिए अधिनियम

इस अधिनियम में 5अध्याय व 70 धाराएं अन्तनिहित हैं।

यह अधिनियम विधि विरुद्ध किशोर और देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों पर लागू होता है।

प्रवर्तन की तिथि (Date of Commencement)-यह अधिनियम 1.4.2001 से प्रर्वतन में आया है।

विस्तार (Extent) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

धारा-2 परिभाषाएं (Definations)

किशोर अथवा बालक (Juvenile or child)- कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो।

संरक्षक (Guardian)- से किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कि बालक पर वास्तविक भार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उस समय एक संरक्षक के रुप में मान्य किया गया हो जब उस प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही चलाई गई हो।

सक्षम प्राधिकारी (component Authority)- से किसी ऐसे बालक के संबंध में जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है कोई विधि विरुद्ध किशोरों के संबंध में कोई बोर्ड अभिप्रेत है।

सलाहकार बोर्ड (Advisory Board)- से कोई केंद्रीय अथवा राज्य सलाहकार बोर्ड अथवा किसी जिले और नगर स्तर का सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है, जैसी स्थिति हो, और जो धारा 62 के अधीन गठित हो।

विधि विरुद्ध किशोर (Juvenile in conflict with law)- से कोई ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने कोई अपराध किया है।

संप्रेक्षण गृह (Observation home)- से वह गृह अभिप्रेत है जो कि किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित किया गया है और उस सरकार उसको विधि विरुद्ध किशोर के लिए धारा 8 के अधीन एक संप्रेक्षण गृह के रुप में प्रमाणित किया गया है।

विशेष गृह (Special Home)- से वह संस्थान अभिप्रत है जिसे किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित किया गया है और उस सरकार द्वारा धारा 9 के अधीन प्रमाणित किया गया है।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (Child in need and protection) - से कोई ऐसा बालक अभिप्रेत है-

1) जिसे गृह विहीन अथवा किसी निश्चित स्थान या निवास स्थान के और जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है।

2) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है। (जो उस बालक का संरक्षक हो अथवा नहीं) उस व्यक्ति ने -
(क) बालक को मार डालने अथवा क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी है और उस धमकी को पूरा कर देने की युक्ति युक्त संभावना है, अथवा
(ख) किसी अन्य बालक या बालकों को मार डाला है उनका दुरुपयोग किया है या उनकी उपेक्षा की है और इस बात की युक्तियुक्त संभावना है कि प्रश्नगत बालक भी उस व्यक्ति द्वारा मार डाला जायेगा, उसका दुरुपयोग किया जायेगा या उसकी उपेक्षा होगी।

3) जो मानसिक अथवा शारीरिक रुप से अक्षम या रोगग्रस्त है या ऐसा बालक जो संक्रामक बीमारियो या ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रहता है जिनका कोई उपचार नहीं है और उनको सहारा देने वाला या उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

4) जिसके माता पिता या संरक्षक है और ऐसे माता पिता या संरक्षक बालक पर नियंत्रण स्थापित करने के योग्य नहीं है या अक्षम हैं।

5) जिसके मातापिता नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो या उसके माता पिता ने उसका त्याग कर रखा है या वे गायक हैं या बालक छोड़कर भाग गये है और उसके माता पिता को युक्ति युक्त क्षति के बाद भी नहीं पाया जा सकता है।

6) जो कि लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यों का शिकार हो रहा है अथवा इस बात की संभावना है कि उसके लिए उसका घोर दुरुपयोग होगा, उसको यातना दी जायेगी अथवा उसका शोषण किया जायेगा।

7) जिसे भेद्य (vulnerable) पाया जाता है और इस बात की संभावना है कि उसे मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कार्य में लगा दिया जायेगा।

8) जिसका लोकात्मा के विरुद्ध अभिलाभों (Unconscionable gains) में दुरुपयोग किया जा रहा है। या वैसा किया जाने की संभावना है।

9) जो किसी सशस्त्र संघर्ष सिविल सक्षोभ (civil commotion) अथवा दैवी आपदा का शिकार है।

बालक गृह से कोई ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जो कि राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वेच्छिक संगठन द्वारा या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित है और धारा 34 के अधीन उस सरकार द्वारा प्रमाणित है।

आश्रय गृह (Shelter home) - से वह गृह या त्यक्त केंद्र (ड्राप इन सेंटर) अभिप्रेत है जो धारा 37 के अधीन स्थापित किया गया है।

विशेष किशोर पुलिस यूनिट (Special Juvenile police unit) से वह विशिष्ट पुलिस शाखा अभिप्रेत है, जिसे किशोर या बालकों की देखरेख करने के लिए धारा 63 के अधीन गठित किया जाता है।

धारा - 3 उस किशोर के संबंध में जांच का चलते रहना जो किशोर नहीं रह गया है(Continuation of inquiry in respect of juvenile who has ceased to be a juvenile) जहां विधि विरुद्ध किसी किशोर या देख रेत्र और संरक्षण की आवश्यक वाले किसी बालक के विरुद्ध कोई जांच प्रारंभ कर दी गई है। और उस जांच के दरमियान वह किशोर अथवा बालक वैसा नहीं रह गया है वहां इस अधिनियम में अथवा त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी वह जांच चलती रह सकती है और ऐसे व्यक्ति के संबंध में आदेश किये जा सकते हैं मानों कि वह व्यक्ति एक किशोर या बालक बना हुआ है।

धारा - 4 किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मे किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड, ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गठित कर सकती हैं। जो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये हैं या अधिरोपित किये गये हैं।

(2) बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्मिलित होगा, और दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें से एक महिला होगी। बोर्ड मजिस्ट्रेट के न्याय पीठ के रुप में कार्य करेगा और उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा यथा स्थिति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगा।

(3) कोई मजिस्ट्रेट तब तक बोर्ड का सदस्य नहीं नियुक्त किया जायेगा जब तक कि वह बालक मनोविज्ञान या बालक कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण न रखता हो और कोई सामाजिक कार्यकर्ता तब तक बोर्ड का सदस्य नहीं नियुक्त किया जायेगा जब तक कि बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी क्रिया कलापों में कम से कम सात वर्ष तक सम्मिलित न रहा हो।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड के किसी सदस्य को जांच करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है यदि-

(ए) उसने इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

(बी) यदि वह किसी नैतिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है और ऐसी दोषसिद्ध को अपास्त नहीं किया गया या उसे ऐसे अपराध के लिए पूरी तरह क्षमा नहीं किया गया।

(सी) बिना उचित कारण बोर्ड की बैठक से एक वर्ष में तीन माह तक अनुपस्थित रहा है।

धारा 6 - किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां (Power of Juvenile justive Board)

(1) जहां किसी जिले या जिलों के समूह के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है वहां ऐसे बोर्ड को त्तसमय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम के अंतर्गत कानून के विरुद्ध किशोर के संबंध में सब कार्य वाही करने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त बोर्ड को शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जब कार्यवाही अपील की पुनरीक्षण में या अन्यथा उसके समक्ष आती है।

धारा 7- ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नहीं है :- (Procedure to be followed by a magistrate not empowered under the Act) -

जब किसी मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अंतर्गत उसके समक्ष लाया गया है किशोर है, तब वह अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात बिना विलम्ब के किशोर को ऐसे मामले में अधिकारित रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

धारा 8- संप्रेक्षण गृह (Observatino homes) - जब किसी बोर्ड के द्वारा किशोर के बारे में जांच की जाती है कि किशोर ने अपराध किया है या नहीं, वह संप्रेक्षण गृह में रखा जायेगा और जांच के बाद दोषी पाये जाने पर उसे विशेष गृह में रखा जायेगा और दोनों जगह अर्थात संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह में किशोर को निम्न वर्गो में रखा जायेगा।

(1) आयु के आधार पर - 7 से 12 वर्ष
- 12 से 16 वर्ष
- 16 से 18 वर्ष

(2) शारीरिक स्थिति के आधार

(3) मानसिक स्थिति के आधार पर

(4) अपराध की प्रकृति के आधार पर

धारा - 9 विशेष गृह (Special home)

(1) कोई राज्य सरकार या जो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों से किये गये किसी करार के अधीन प्रत्येक जिलों के किसी समूह में, जैसा अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन विधिविरुद्ध किशोर के प्रवेश और पुर्नवास के लिए विशेष गृहों को स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा कोई संस्थान जो उपधारा (1) में स्थापित अथवा अनुरक्षित गृह नहीं है, विधि विरुद्ध किशोर को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसमें भेजा जाय, प्रवेश के लिये उपयुक्त है तो वह ऐसे संस्थान को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष गृह के रुप में प्रमाणित कर सकती है।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विशेष गृहों के प्रबंधन की जिसमें वे मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाये भी सम्मिलित है जो उनके द्वारा प्रदान की जायेगी जो कि किसी किशोर के पुनर्समाजीकरण के लिए आवश्यक है और उन परिस्थितियों को भी जिनके अधीन और उन तरीको ंकी भी व्यवस्था कर सकती है जिनसे किसी विशेष गृह को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है।

(4) उपधारा (3)में बनाये गये निमय आयु और किये गये अपराधों की प्रकृति और मानसिक तथा शारीरिक हैसियत के आधार पर विधि विरुद्ध किशोर के वगीकरण और पृथ्थकरण की व्यवस्था कर सकती है

उपरोक्त धारा 9 राज्य सरकार को या तो स्वयं या स्वंयसेवी संगठनों के किसी करार के अधीन प्रत्येक जिलों अथवा जिलों के किसी समूह के लिए, जैसी आवश्यकता है, इसी अधिनियम के अध ीन विधि विरुद्ध किशोर के प्रवेश और पुर्नवासन के लिए विशेष गृहों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए सशक्त करती है वह ऐसे किसी संस्थान को, जो कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित अथवा अनुरक्षित गृह नहीं है, विधि विरुद्ध किशोर के प्रवेश के लिए उपयुक्त होना प्रमाणित कर सकती है।

धारा 10 - कानून विरुद्ध किशोर का पकड़ा जाना (Apprehension of juvenile in conflict with law)

(1) जैसे ही कानून के विरुद्ध कोई किशोर पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, वह पुलिस अधिकारी उसके विशिष्ट किशोर पुलिस यूनिट के हवाले कर देगा, जो बोर्ड के सदस्य को त्तकाल इसकी सूचना देगा।

धारा 12 - किशोर की जमानत (Bail of Juvenile)

(1) जब काई ऐसा व्यक्ति जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और दृश्यमान रुप मे किशोर है, गिरफतार या निरुद्ध है अथवा बोडके समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तब दण्ड प्रक्रिया संहिता या त्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए वह प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उसे तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं। कि उसके छोडे जाने पर वह किसी ज्ञात अपराधी का संग करेगा या नैतिक अपराध करेगा या न्याय के उद्देश्य विफल होजायेंगे।

(2) जब वह एच.एस ओ के द्वारा जमानत पर नहीं छोडा जाता तो उसे संप्रेक्षण गृह ाय किसी सुरक्षित स्थान मे तब तक रखवायेगा जब तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता।

(3) न्यायालय द्वारा जमानत न देने की दशा में उसे जांच लम्बित रहने तक इनती अधवी के लिए जो आदेश में निष्टि हो संप्रक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा।

धारा 13 - माता-पिता या संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इतिला (information of parent] guardian or probatin officer)

(1) गिरफ्तारी के बाद एस एच ओ किशोर के माता पिता या संरक्षक को यदि उसका पता चलता है ऐसी गिरफ्तारी की यथाशीघ्र इतिला देगा।

(2) परिवीक्षा अधिकारी को इतिला देगा ताकि उसका पूर्व इतिहास जाना जा सके और वे बातें बोर्ड के लिए जांच करने में सहायक होगी।

धारा 14 - किशोर के बारे में बोर्ड द्वारा जांच (Inquiry by board regarding jubenile) - जांच उसके प्रारंभ होने की तिथि के चार महीने के अंदर पूरी कर ली जायेगी जब तक कि मामले की परिस्थितियां और विशिष्ट कारणों को लेखबद्ध करते हुए बोर्ड ऐसी अवधि को बढाने का आदेश न दे।

धारा 15 - वे आदेश जो किशोर को दिये जा सकेंगे (Order that may be passed regarding Juvenile)

1. जब कोई बोर्ड जांच करने के पश्चात संतुष्ठ हो जाता है कि किशोर ने अपराध किया है, तब त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भ, बोर्ड निम्न आदेश दे सकता है, यदि वह ऐसा ठीक समझता है।

(1) माता पिता या संरक्षक से सलाह करने के बाद घर जाने का आदेश,

(2) सामूहिक परामर्श और वैसी गतिविधियों में भाग लेने का निर्देश,

(3) सामुदायिक सेवा करने का निर्देश

(4) किशोर मे माता पिता को या स्वयं उसे जुर्माना देने का आदेश यदि वह 14 वर्ष से कम आयु नहीं है और धनार्जन कर रहा है।

(5) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना और माता पिता या संरक्षक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में सुपुर्द करना ऐसे माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति सहित या रहित बन्ध पत्र निष्पादित करने पर, जो तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए होगा।

(6) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना और किशोर की भलाई के लिए उसे किसी उपयुक्त संस्था के सुपुर्द किया जाना, ऐसे समय के लिए जो तीन वर्ष से अधिक नही होगा।

(7) विशेष गृह भेजने का निर्देश :-

(ए) ऐसे किशोर को जो 17 वर्ष से ऊपर किंतु 18 वर्ष से कम है ऐसे समय के लिए जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा,

(बी) किसी अन्य किशोर की दशा में इनते समय के लिए जब तक वह किशोर रहता है। परन्तु यदि न्यायालय ठीक समझे तो मामले के तथ्यों को धयान में रखते हुए ऐसे विशिष्ट कारणों के आधार पर जो ल्खवद्ध किये जायेगे उपरोक्त अवधि को घटा भी सकता है।

धारा 16 - आदेश जो कि किशोर के विरुद्ध पारित नहीं हो सकते (Order that may not be passed against juvenile)

(1) त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में समाविष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी विधि विरुद्ध किसी किशोर को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जायेगा अथवा उसे जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर या प्रतिभू प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कारागार को सुपुर्द नहीं किय जायेगा।

परन्तु यह कि जहां किसी किशोर ने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसने कोई अपराध किया है और बोर्ड का यह समाधान हो जाता है किया गया अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है या यह कि उसका आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है कि यह उसके हित में नहीं होगा या ऐसे किसी अन्य किशोर के हित में नही होगा जो कि विशेष गृह में भेजा जाय और यह भी इस अधिनियम मे अन्य कोई भी उपाय उपयुक्त अथवा पर्याप्त नहीं होगा, वहां बोर्ड विधि विरुद्ध और उस प्रकरण को आदेश के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) मे बोर्ड से किसी रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार किशोर के संबंध में ऐसी व्यवस्था करेगा जिसको वह उचित समझे और ऐसे किशोर को ऐसे स्थान पर और ऐसी शर्तो पर संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखने का आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे, परन्तु यह कि इस तरह आदेश किया गया निरोध कारावास की उस अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगा जिसको कि वह किशोर किये गये अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जाता है।

धारा 17 किशोर के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। (Proceedings under chapter -III of the ode of Criminal procedure not competent against juvenile)

धारा 18 किशोर और व्यक्ति के संयुक्त विचारण पर रोक (No joint proceedinsgs of Juvenile and person not a juvenile) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में किसी बात के होते हुए भी किशोर का विचारण ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं किया जायेगा जो किशोर नहीं है।

धारा 19 दोषसिद्धि पर होने वाली अयोग्यता का निवारण (Removal of disqualification attaching to conviction) :- (1) किसी अन्य विधि में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर,

जिसने कोई अपराध किया है और जिसके साथ अस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बरता गया है किसी भी निह।ता से ग्रस्त नहीं होगा यदि कोई हो जो कि उसे ऐसी किसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धी पर हो सकती है

(2) बोर्ड यह निर्देश करने वाला आदेश जारी करेगा कि ऐसी दोषसिद्धि के संसंगत अभिलेखों के अपील की अवधि अथवा नियमों के अधीन विहित किसी युक्ति युक्त अवधि की समाप्ति के बाद जैसी भी स्थिति हो निकाल दिया जायेगा।

धारा 21 इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अंतर्गत किशोर के नाम आदि प्रकाशित करने पर प्रतिषेध (Prohibition of publication of name, etc. of juvnile incvolved in any proceeding under the act) किसी समाचार पत्र पत्रिका में इस अधिनियम के अधीन किशोर के बारे में किसी जांच की कोई रिपोर्ट, किशोर का नाम पता या विद्यालय या अन्य विशिष्टियां जिससे किशोर की पहचान प्रकठ हो, प्रकाशित नहीं की जायेगी जब तक कि वह किशोर के हित में न हो

इस उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

धारा 22 बचकर निकल भागे किशोर के संबंध में उपबंध (Provision in respect of excaped juvenile) :- त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में समाविष्ट अथ्यथा किसी बात के होते हुए भी कोई भी पुलिस अधिकारी किसी वारण्ट के बिना भी विधि विरुद्ध ऐसे किसी किशोर का भार गृहण कर सकता है जो कि किसी विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या ऐसे किसी व्यक्ति की देखरेख से निकल भागा है, संप्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति के पास जैसा मामला हो भेजा जायेगा और उसके ऐसे बचकर निकल भागने के कारण उसके विरुद्ध कोई कायवाही संस्थित नहीं होगा, परन्तु यह विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह उस किशोर के संबंध में ऐसे कदम उठा सकता है जिसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवश्यक समझे।

धारा 23 किशोर या बालको के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड (Punishment for cruelty to juvenile or child) जो कोई किशोर का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए ऐसी रीति से जिससे उस किशोर को अनावश्यक मानसिक या शारिरीक कष्ट होना सम्भाव्य हो, उस किशोर पर हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा, तो वह ऐसे कारावास से जो छः मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंण्डित किया जायेगा।

धारा 24 भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन (Employment of juvenile or child for begging)

(1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किसी किशोर या बालक को नियोजित या प्रयुक्त करेगा या किसी किशोर या बालक से भीख मंगवाएगा वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई किशोर या बालक का वास्तविक भार साधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह एक वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होग।।

धारा 25 किशोर या बालक को मादक लिकर या स्वापन औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शस्ति (Penalty for giving intoxicating liquor of Narcotic drug or phsychtopic substance to juvenile or child) जो कोई अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी से अन्यथा किसी किशोर को लोक स्थान में कोई मादक देगा या दिलवायेगा वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 26 किशोर या बालक कर्मचारियों का शोषण (Exploitatin of juvenile or child employee) जो कोई किसी बालक या किशोर को खतरनाक नियोजन में बंधक रखने के लिए उपार्जित करता है और धनार्जन करने के अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 27 विशेष अपराध (Special offences) धारा 23, 24, 25 और 26 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध संज्ञेय अपराध होंगे।

धारा 29 बाल कल्याण समिति (Child welfare commettee)

(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन इस अधिनियम के अंतर्गत बालको की देखरे ख एवं संरक्षण से संबंधित ऐसे अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते के लिए कर सकती है जो बालको की देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

(2) समिति में एक चेयरमैन होगा और चार अन्य सदस्य जिसे राज्य सरकार नियुक्त करने के लिए उपयुक्त समझे जिसमें कम से कम एक महिला होगी और बालकों के मामलों से संबंधित विशेषज्ञ होंगे।

(3) चेयरमेन और सदस्यों की योग्यता और वह समयावधि जिसके लिए वह नियुक्त किये जायंगे वह होगी जैसा विहित किया जाए।

धारा 31 समिति की शाक्तिया (Power of committee) समिति बालकों की देखरेख संरक्षण विकास और पुर्नवास से संबंधित मामलों को निपटाने की अन्तिम प्राधिकारी होगी।

धारा 32 समिति के समक्ष पेश करना (Production berore committee) (1) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा

1) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस यूनिट या कोई नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी
2) कोई लोक सेवक
3) बालकों से संबंधित कोई रजिष्ट्रीकरण स्वयं सेवी संगठन कोई अन्य स्वयंसेवी संगठन या अभिकरण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मान्य किया गया हो।
4) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक अथवा
5) स्वयं बालक।

(2) राज्य सरकार पुलिस और समिति को रिपोर्ट करने की रीति और जांच की लम्बितावस्था मे बालक को बालक गृह में भेजने और न्यस्त करने की रीति व्यस्थित करने के लिए इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकती है।

धारा 33 जांच (Inquiry) :- (1) धारा 32 के अधीन कोई रिपोट प्राप्त करते पर समिति अथवा कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस यूनिठ का नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी विहित रीति से जांच करेगा और समिति या जो अपनी अथवा किसी व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट पर जैसा कि धारा 32 की उपधारा 1) में उल्लिखित है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी द्वारा त्वरित जांच के लिए बालक को वालक गृह भेजने के लिए आदेश पारित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन जांच को आदेश प्राप्त करने के चार महीनों के भीतर अथवा ऐसी कम अवधि के भीतर जैसा के समिति द्वारा आदेश प्राप्त करने के लिए समय को ऐसी अवधि के लिए बढाया जा सकेगा जैसा कि समिति परिस्थियों पर ध्यान देते हुऐ और उन कारणों से जिन्हें लेख में अभिलिखित किया जाए, अवध ारित करे।

(3) जांच पूरा हो जाने के बाद यदि समिति की यह राह हो, राय है कि उक्त बालक का कोई परिवार अथवा दृश्यमान सहारा नहीं है तो वह उस बालक को बालक गृह अथवा आश्रय गृह में तब तक रुके रहने की अनुमति दे सकती है जब तक कि इसके लिए उपयुक्त पुनर्वास नहीं प्राप्त कर लिया जाता अथवा वह अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेता।

धारा 34 बाल घर (Children's homes) ऐसे व्यक्ति जिसको बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जात है जांच होने तक बाल घर में रखा जायेगा और बाल घर में ऐसे किशोरों की देखरेख, उपचार शिक्षा प्रशिक्षण विकास और पुर्नवास की व्यवस्था की जायेगी और किशोरों को बाल घर में ऐसे वर्गों में रखा जायेगा जिस प्रकार से संप्रेक्षण और विशेष गृह में रखा जाता है।

धारा 35 निरीक्षण (Inspection) ऐसे बाल घरों पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा (Ispectins committee)

धारा 37 आश्रयगृह (Shelter Homes) (1) राज्य सरकार प्रतिष्ठित और सक्षम स्वयं सेवी को मान्यता दे सकती है और उन्हें किशोरों और बालकों के लिऐ जैसा अपेक्षित हो जितने हो सके अपने आश्रय गृहों को स्थापित और प्रशासित करने की सहायता की व्यवस्था कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आश्रय गृह ऐसे बालकों के लिए व्यक्त केंद्र के रुप मे कार्य करेगा जिन्हें त्तकाल सहारे की जरुरत है और जिन्हें ऐसे गृहों में उन व्यक्तियों के द्वारा लाया गया है जैसा कि धारा 32 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं।

(3) आश्रय गृहों में यथा संभव ऐसी सुविधायें होंगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए।

उपरोक्त धारा 37 राज्य सरकार को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वह प्रतिष्ठित और सक्षम स्वयं सेवी संगठनों को मान्यता प्रदान करे और उन्हे जितना हो सके उतनी संक्ष्या मे किशोरों और बालकों के लिए आश्रय गृहों को स्थापित और प्रशासित करने के लिए सहायता की व्यवस्था करे। इस तरह मान्यता प्रदान किये जाने वाले आश्रय गृह बालकों के लिए त्यक्त केन्द्र के रुप मे कार्य करेंगे, जिन्हें त्तकाल सहारे की जरुरत है।

धारा 49 आयु की उपधारणा और निश्चित करना। (presumption and determination of age)

आयु के बारे में उपधारणा - जब इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है तब वह समक्ष प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए वह किशोर है या नहीं ऐसी जांच करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह किशोर या बालक है या नहीं।

कानून के विरुद्ध (Juvenile conflict with law) किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया

जायेगा। और ऐसा किशोर जिसे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

प्रताप सिंह बनाम झारखण्ड राज्य (2005) 3 एस सी सी 551 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है तब उसकी उम्र का निर्धारण उस दिन से किया जाएगा जिस दिन घटना घटित हुई है ना कि उस दिन से जिस दिन उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया गया।

धारा 52 अपील (Appeals)

(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन समक्ष प्रधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर सेशन न्यायालय मे अपील कर सकता है।

परन्तु सेशन न्यायालय विहित समय के बाद अपील स्वीकार कर सकता है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी उचित पर्याप्त कारण से विहित समय के भीतर अपीन नहीं कर सकता ।

(2) (क) किशोर की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(ख) समिति के आदेश के विरुद्ध कि किशोर को देख रेख संरक्षण की आवश्यकता नहीं ।

(3) इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय के आदेश विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।

धारा 53 पुनरीक्षण (Revision) उच्च न्यायालय किसी भी समय या तो स्वयं अपनी अभिरुचि पर अथवा इस संबंध में प्राप्त किसी आवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को ऐसे किसी आदेश को बैानिकता अथवा औचित्य के बारे में अपना स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझे–

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल प्रभावी ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं कर सकता जब तक कि उसको सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे देता।

धारा 54 जांच अपीले और पुनरीक्षण कार्यवाहियों के प्रक्रिया (Procedure in inquiries, appeals and revision procedings)

(1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबंधित को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन अपीलों अथवा पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई में पालन की जाने वाली प्रक्रिया यथा साध्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973ए (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार होगी।

धारा 58 विकृत मस्तिष्क अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित या मादक द्रव्यों के व्यसनी किशोर या बालक का स्थानांन्तरण (Transfer of juveline or chid of unsound mind or suffering from leprosy or addicted to drugs) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह अथवा बालक गृह अथवा आश्रम गृह किसी संस्थान में रोका गया कोई किशोर या बालक कुष्ट रोग से पीडित है या वह चित्त विकृत मस्तिष्क का है अथवा स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है वहां वह सक्षम अधिकारी उसको किसी कुष्ठश्रय या मानसिक चिकित्सालय अथवा मादक पदार्थों के व्यसनियो के लिये बनाये गये किसी उपचार केंद्र अथवा सुरक्षा के किसी स्थान में हटा देने का आदेश देगा ताकि उसको वहां उस अवधि के लिए रखा जा सके जो उस अवधि से अधिक न हो जिसके लिये वह सक्षम प्रधिकारी के आदेश रखे जाने के लिए अपेक्षित है या आगे की ऐसी अवधि के लिये जो

कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा किशोर या बालक के उचित उपचार के लिऐ आवश्यक अवधि के रुप में प्रमाणित किया जाए।

उपरोक्त धारा 58 ऐसे किसी किशोर अथवा बालक के स्थानांतरण से व्यवहार करती है जो कि किसी विशेष गृह या बालक गृह या आश्रय गृह या किसी संस्थान में रखा गया है और कृष्ट रोग से पीडित है चित्तविकृत मस्तिष्क का है या किसी स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है। सक्षम प्राधिकारी उसको किसी कुष्ठाश्रम, मानसिक चिकित्सालय या मादक पदार्थो के उपचार केन्द्र या सुरक्षा के किसी स्थान पर रोके जाने के लिए हटा देने का आदेश जारी करेगा।

धारा 59 निर्योजन पर रखे गये किशोर या बालक को छोड़ा जाना और अनुपस्थित (Release and absence of juvenile or child on placement)

(1) जब किसी किशोर या बालक को किसी बालक गृह या विशेष गृह में रखा गया हो और किसी परिवीक्षा अधि कारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी या स्वयं सेवी की रिपोर्ट पर, जैसी भी स्थित हो सक्षम प्राधिकारी ऐसे किशोर अथवा बालक को छोड़ा जाना विचार करता है तब वह उसको उसके माता पिता या संरक्षक या ऐसे किसी प्रधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षण में जिसको आदेश में नाम निर्दिष्ट किया गया हो रहे की अनुमति दे सकता है जो कि उस किशोर अथवा बालक को शिक्षित बनाने के लिए और किसी उपयोगी व्यापार या व्यवसाय में प्रशिक्षित करने का अथवा उसके पुनर्वास हेतु उसकी देखरेख करने के लिए लेने का और उसका भार उठाने का इच्छुक है।

(2) सक्षम प्राधिकारी किसी किशोर अथवा बालक को अनुपस्थित रहने की भी अनुमति दे सकता है, परीक्षा रिश्तेदारों के विवाह सगे-संबंधियों की मृत्यु अथवा माता पिता की दुर्घटना या गंभीर बीमारी या उसी तरह के किसी आपातकाल जैसे विशेष अवसरों पर अधिक से अधिक सात दिनों के लिए जिसमें यात्रा लगने वाले समय को अपवर्जित कर दिया जायेगा पर्यवेक्षण के अधीन अवकाश्श पर जाने की अनुमति दे सकता है।

(3) जहां किसी अनुमति को विखंडित या समाप्त कर दिया गया है औश्र किशोर अथवा बालक ने उस संबंधि त गृह में उसको वापस आने से इंकार कर दिया है या विफल हो गया है जहां पर किस उसको वापिस आने के लिए निर्दिष्ट किया गया था वहां बोर्ड आदि आवश्यक समझता है तो उसको अपने भार में लेगा और संबंधित गृह में उसको वापस लेना कारित कर सकता है।

(4) वह समय जिसके दरमियान कोई किशोर या बालक इस धारा के अधीन दी गई अनुमति के अनुसरण मे किसी संबंधित गृह से अनुपस्थित रहता है, उस समय का भाग समझा जायेगा जिसके लिए वह किसी विशेष गृह में रखे जाने के लिए दायी है। परन्तु यह कि जब कोई किशोर किसी अनुमति के विखण्डित या समाप्त कर दिये जाने के कारण विशेष गृह में वापस आने में विफल रहता है तब उस समय को जो कि उसक वापस न आने के कारण विशेष गृह में विफल रहता है। तब उस समय को जो कि उसके वापस न आने के कारण बीत गया है उस समय में से घटा दिया जायेगा जिसके दरमियान वह संस्थान में रखे जाने के लिए दायी है।

धारा 63 विशेष किशोर पुलिस यूनिट (Special juvenile police unit)

(1) ऐसे पुलिस अधिकारियों को, जो कि प्राय: अथवा अनन्य रुप से किशोरों से संव्यवहार करते हैं अथवा किशोर अपराध के निवारण में मुख्यता लगे रहते हैं अथवा इस अधिनियम के अधीन किशोरों अथवा बालको को संभालते रहते हैं इस हेतु योग्य बनाने के लिए कि वे अपने कार्यो को अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करें, उन्हें विशेष रुप से विक्षित और प्रशिक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक अधिकारी जिसकी अभियोग्यता और समुचित प्रशिक्षण और दिशा निर्देश हासिल हो किशोर अथवा बालक कल्याण अधिकारी के रुप मे नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके किशोर अथवा बालक को संभालेगा।

3) प्रत्येक जिले और नगर में समन्वय स्थापित करने के लिए और किशोरो तथा बालकों के पुलिस उपचार को ऊंचा उठानवे के लिए विशेष किशोर पुलिस यूनिट सृष्ट किया जा सकेगा, जिसके ऊपर नाम निर्दिष्ट किशोरो अथवा बालकों को संभालने वाले सभी पुलिस अधिकारी सदस्य होंगे।

धारा 64 इस अधिनियम के प्रारंभ पर दण्डादेश भुगत रहे विधि-विरुद्ध किशोर (Juvenile in conflict with law undergoing sentence at commencement of this Act) ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम को प्रर्वतन में लाया गया है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई विधि विरुद्ध किशोर जो कि इस अधिनियम के प्रर्वतन पर कारावास का दण्डादेश भुगत रहा है ऐसा दण्ड भुगतने के बजाय किसी विशेष गृह में भेज दिया जाए अथवा दण्डादेश की शेष अवधि के लिए किसी किशोर के संबंध में उस तरीके से रोका जाय जैसा किस राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ठीक सोचे और उस किशोर के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध उसी तरह से लागू होंगे जैसे कि बोर्ड द्वारा उसको ऐसे विशेष गृह या संस्थान में जैसी स्थिति हो, भेजने के लिए आदिष्ट किया गया था या यह कि उसको इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षात्मक देखरेख में रखने के लिए आदिष्ट किया गया है।

एस सी मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य 1996 राज्य एस सी सी 756 मे मामले में न्यायालय ने ऐसे बालको के संरक्षण के लिए जिन्हें खतरनाक नियोजन में नियोजित किया गया है, संरक्षण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किये

(1) एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वैलफेयर फण्ड की स्थापना की जाए जिसमें नियोजक प्रति बालक के लिए 20000 रुपये प्रतिकर के रुप में जमा करे। जिसका प्रयोग उनके प्रनर्वास के लिए किया जाये।

(2) नियोजक द्वारा बालक के परिवारके एक व्यस्क को कारखाने में या अन्यत्र उसके बदले नौकरी दी जाये।

(3) सरकार अपने अंशदान के रुप में बालक कल्याण कोष में हर बालक के खाते में 5000 रुपये जमा करेगी।

(4) संरक्षक को यह देखना ही होगा कि कार्य से मुक्त बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25000 रुपये की रकम पर मिले ब्याज से बालक की शिक्षा का खर्च उठाये।

(5) उक्त रकम जिले मे रखी जायेगी और जिलाधीश इन्सपैक्टरों के कार्य पर निगरानी रखेगा। इसके लिए समुचित सरकार श्रम विभाग मेंएक पृतक सैल की स्थापना करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार की बालक श्रम नीति के अनुसार न्यायालय ने 9 कारखानों को निर्दिष्ट किया जहां इन निदेशों को सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए।

जहां तक खतरे से रहित कारखानों का प्रश्न है न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार यह देखे कि कार्य की अवधि 4 से 6 घण्टे से अधिक न हो और वे प्रत्येक दिन 2 घण्टे शिक्षा प्राप्त करें शिक्षा का पूरा व्यय नियोजक वहन करेगा।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) Juveile Justicce Board (किशोर न्याय बोर्ड) जो धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा के बारे मे जानकारी रखना। जिससे ऐसे बच्चों को उसके सामने पेश किया जा सके जिन्होनें कोई अपराध किया है।

(2) Child welfare committe (बाल कल्याण समिति) जिसके गठन प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा के बारे में जानकारी रखना। जिसमें ऐसे किशोरों को पेश किया जा सके जिनके प्रति कोई अपराध किया गया है।

(3) Special Juvenile police unit (विशेष किशोर पुलिस ईकाई) जिसका गठन धारा 63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किश जाएगा के बारे में पूर्ण जानकारी रखना।

(4) किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच 4 माह मे पूर्ण की जानी चाहिए।

(5) Juvenile conflict with law (कानून के विरुद्ध किशोर) को सामान्य जमानत पर छोड दिया जाएगा।

(6) किशोर को सम्प्रेषण गृह में आयु के अनुसार अलग-अलग रखे। जैसा कि धारा 8 द्वारा उपबंधित हैं

(7) किशोर की गिरफ्तारी की स्थिति मे तुरंत अभिभावक/संरक्षक का पता लगाकर उन्हें सूचित करना।

(8) किशोर बोर्ड को आवश्यक सूचना भेजना।

(9) गिरफ्तार किशोर की जमानत लेकर तुरंत अभिभावक को सौंपना। अभिभावक / संरक्षक के बारे में पूरी तसल्ली कर लेना चाहिए ताकि किशोर का शोषण न हो।

(10) यदि अभिरक्षा में रखना जरुरी है तो उसे लॉक अप में न रखकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। तथा आवश्यकतानुसार किशोर गृह में भेजना।

(11) अभिरक्षा में लिए गए किशोर को 24 घण्टे के अंदर बोर्ड के समक्ष पेश करना।

(12) यदि अभिरक्षा में लिया गया किशोर किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे आवश्यक डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराना तथा बोर्ड को इस विषय में सूचित करना।

(13) ऐसे किशोर या बालक जो लावारिस पाए जाए यदि तुरंत उसके अभिभावक/संरक्षक का पता नहीं लगता है तो ऐसे बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु NGO's से संपक्र करना चाहिए। जिनमें से कुछ निम्नलिखित है।

- **Help line - 1098** (इस नंबर पर निशुल्क काल किया जाता है। यहां से ऐसे किशोरों के संबंध में क्या किया जाए इस हेतु जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही छळव्शे आदि क बारे में पता भी किया जा सकता है।
- Navjyoti Delhi police Foundation
  for Correction, De-addiction and re-Habilitation
  विकास भवन, संजय अमर कालोनी यमुना पुस्ता दिल्ली - 6
  (Vikas Bhawan, Amar colony, Yamuna pusta, Delhi-6)
  Tel. Phone No.3866312, 3866316, 3866403
- Prayas Juvenile aid centre.
  फिरोजशाह कोटला (अम्बेडकर स्टेडियम के पीछे) दिल्ली गेट, नई दिल्ली
  Tel phone No. 3731218

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) किसी भी स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति असावधानी न बरतें।

(2) अनावश्यक कारणों से जांच को आगे न बढाएं।

(3) सामान्यत: जमानत देने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किशोरों को संप्रेषण गृह में एक साथ नहीं रखना चाहिए।

(5) किसी भी स्थिति में किशोर या बालकों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

(6) किशोर या बालकों को जब अभिरक्षा में लेते हैं तब उनके अभिभावको / संरक्षकों एवं NGO' को सूचित करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

(7) पुलिस अधिकारी को पुलिस यूनिफार्म में किशोरों या बालकों से पूछताछ नहीं करना चाहिए।

(8) किशोर अपराधियों की सही आयु प्राप्त करने में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

(9) किशोरों या बालकों के अभिभावक / संरक्षक के बारे में जांच करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में ये गलत व्यक्तियों के पास पहुंच सकते हैं।

(10) ऐसे किशोर या बालकों को जिनके अभिभावक / संरक्षक का पता न चले तो उन्हें ऐसी संस्थाओं में नहीं भेजना चाहिऐ जो उनके प्रति लापरवाही करे। बल्कि ऐसी संस्थाओं NGO's में भेजना चाहिए जिनकी अपनी ख्यातिहो अर्थात जो ऐसे बच्चों की सुरक्षा का कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करती हो।

****

मोटर यान अधिनियम, 1988
Motor Vehicles Act 1988

यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से सम्पूर्ण भारत पर लागू हुआ

धारा 2 परिभाषाएं (Definition) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) माल (Goods) माल के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय यान द्वारा ले जाया जाने वाला पशुधन और (यान मे मामूली तौर पर काम आने वाले उपस्कर से भिन्न) कोइ भी चीज है, किंतु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजि चीजबस्त या यान में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजि सामान इसके अंतर्गत नहीं है।

(2) मोटर यान या यान (Motor Vehicle of Vehicle) से कोई ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग में अनुकूल बना लिया गया है चाहे उसमे नोदन शक्ति किसी वाहरी स्रोत से संचारित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से और असके अंर्तगत चैसिस, जिससे बाड़ी संलग्ल नहीं है और ट्रेलर भी है, किंतु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केलव कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग कि जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या चार से कम पहियों वाला यान जिसमें पच्चीस घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है नहीं है।

(3) सार्वजनिक स्थान (Public place) ये ऐसी सड़क गली मार्ग या अन्य स्थान चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, अभिप्रेत है जिस पर जनता को पहुंच का अधिकार प्राप्त है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा स्थान या अड़डा भी है जहां पर उस गाडी द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है यात्रियों को चढाया या उतारा जाता है।

(4) यातायात संकेत (Traffic signal) के अंतर्गत सभी संकेत चेतावनी संकेत स्तंभ दिशा सूचक स्तंभ सड़कों पर चिन्हांकन या अन्य युक्तियों है जो मोटर यानों के ड्राइवरों की जानकारी, मार्ग दर्शन या निर्देशन के लिए है।

(5) परिवहन यान (Roadways Vehicle) से कोई सार्वजनिक सेवा यान, माल वाहन शिक्षा संस्था बस या प्राइवेट सेवा यान अभिप्रेत है।

धारा 3 चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता (Necessity of Driving Livence)

(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति है और कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने प्रयोग के लिए भाडे पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर साइकिल या धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन निर्मित किसी योजना के अधीन किराये पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर के अलावा परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रुप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।

(2) वे शर्तें जिनके अधीन उप धारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटर यान चलाना सीख रहा है, ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

धारा 4 मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा (Age limits in connection with driving of motor vehicle)

(1) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा।

परन्तु 50 सी. सी. से अनधिक इंजन क्षमता के साथ मोटर यान को एक व्यक्ति द्वारा सोलह वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात लोक स्थल मे चलाया जा सकेगा।

(2) धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो बीस वर्ष ये कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा।

(3) कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति उस वर्ग के जिसके लिए उसने आवेदन किया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

धारा 5 धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व (Respoinsibility of owners of motor vehicle for contracention of section 3 and 4) मोटर यान का कोई भी स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूति नहीं करता है। न तो यान चलवाएगा न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा।

धारा - 119 यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य (Duty to obey traffic signs)

(1) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक याता यात चिन्ह द्वारा दिय गय संकेत के अनुरुप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरुप चलाएगा और उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएं जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करने में लगा हुआ है।

(2) इस धारा में आज्ञापक यातायात चिन्ह से अनुसूचि के भाग क में दिया गया कोई यातायात चिन्ह या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिन्ह (अर्थात कोई युक्ति, शब्द या अंक प्रतिशत करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गोल डिस्क का या वैसी डिस्क वाला यातायात चिन्ह) अभिप्रेत है जो धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया है।

धारा 122 यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना (Leaving Vehicle in Dangerous Position) किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न तो ऐसी स्थिति में न ऐसी हालत में और ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्त्यों या यात्रियों को खतरा, बाधा या असभ्यक, असुविधा हो या होने की संभावना हो।

धारा 123 रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना (Riding on running board, etc.)

(1) मोटर यान या ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति को न तो रनिंग बोर्ड पर ले जाएगा और न यान की बाडी के अन्दर ले जाने से अन्यथा ले जाऐगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) कोई व्यक्ति मोटर यान के रनिंग बोर्ड या छत या बोनेट पर यात्रा नहीं करेगा।

धारा 124 पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध (Prohibition against travelling with out pass or ticket) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाडी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं, परन्तु जहां मजिली गाडी में ऐसे गाडी में प्रवेश कर सकेगा, किंतु उसमें प्रवेश करने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वह अपना किराया कंडक्टर या ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन करता है, देगा और, यथास्थिति ऐसे कंडक्टर या ड्राइवर से अपनी यात्रा के लिए टिकट लेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में - (क) पास से अभिप्रेत हैं कर्तव्य विशेषाधिकार या सौजन्य पास जिससे वह व्यक्ति

जिसे यह पास दिया जाता मंजिली गाडी में निशुल्क यात्रा करने का हकदार होता है। और इसके अंतर्गत वह पास भी है जो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजिली माड़ी में यात्रा के लिए संदाय कि जाने परजारी किया गया है।

(ख) टिकट के अंतर्गत एकल टिकट वापसी टिकट या सीजन टिकट भी है।

धारा 125 ड्राइवर को बाधा (Obstruction of driver) मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर अपनी नियंत्रण रखने में ड्राइवर को रुकावट हो।

धारा 126 खडे यान (Stationsry vehicle) कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है। या उसका भारसाधक है उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उन यान को चलाने के लिए सम्यक रुप से अनुज्ञप्त है अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है। और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिये हैं या ऐसे अन्य उपाय कर लिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता है।

धारा 127 सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोडे गए मोटर यानों का हटाया जाना (Removal of motor vehicles abadoned or left unattended on public place)

(1) जहां किसी लोक यान को सार्वजनिक स्थान पर दस घण्टे या उससे अधिक तक परित्यक्त या अकेला छोड़ दिया जाता है या ऐसे स्थान में पाक्र किया जाता है। जहां पाक्रिंग विधिक रुप से वर्जित है तो व्हील शिकंजे सहित किसी भी तरीके द्वारा सके, स्थिरीकरण या अनुकर्षण सेवा द्वारा इसके हटाने को समान अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(2) यहां कोई परित्यक्त अकेला छोड़ा गया टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रुप से खुला यान, सार्वजिनिक स्थान के संबंध में उसकी स्थिति के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रही है वहां अधिकारिता प्राप्त पुलिस अधिकारि द्वारा उसको यान अनुकर्षण सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से तुरन्त हटाने के लिए प्रधिकृत किया जा सकता है।

(3) जहां कोई यान उप-धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटा देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। वहां यान का स्वामी सभीअनुकर्षम खर्चों तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 128 ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय (Safty measure for drivers and pillion riders)

(1) दो पहिए वाले मोटर साईकिल का ड्राइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपयों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा करा ही लेजाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा उपयों के अतिरिक्त, दो पहिया मोटर साईकिल और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी।

धारा 129 सुरक्षात्मक टोप का पहनना (Wearing of protecive headgear) किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरुप सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो राज्य सरकार इस निमित बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट करे और ऐसे नियमों में विभिन्न परिस्थितियों या विभिन्न

वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिलों के संबंध मे विभिन्न वार्णन के टोप विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिक्ख है, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साईकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगडी पहने हुए है तो इस धारा के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे

स्पष्टीकरण- सुरक्षात्मक टोप से हेलमेट अभिप्रेत है - (क) जिसके बारे में उसकी आकृति सामग्री और बनावट के आधार पर उचित रुप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी मोटर साइकिल के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की, किसी दुर्घटना की दशा में क्षति से किसी सीमा तक सुरक्षा करेगा, और (2) जो पहनने वाले के सिर पर टोप में लगे हुए फीतों या अन्य बंधनों से सुरक्षित रुप से बंधा होगा।

धारा 130 अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करने का कर्तव्य (Duty to produce livence and certificate of registration)

(1) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिए पेश करेगा।

परन्तु ड्राइवर जहां उसकी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम या किसी अन्य अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है या उसके द्वारा अभिगृहीत की गई है, अनुज्ञप्ति के स्थान पर उसके बारे में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य अभिस्वीकृति पेश कर सकेगा और त्तपश्चात ऐसी अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति ऐसी रीजि से जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, मांग करने वाले पुलिस अधिकारी को पेश कर सकेगा।

(2) किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान का परिचालक, यदि कोई हो, इस निमित अधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।

(3) मोटर यान (धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान के अलावा) स्वामी या उसकी अनुपस्थिति में यान का चालक या प्रभारी अन्य व्यक्ति से निमित सम्यक रुप से अधिकृत मोटर यान विभाग का कोई अन्य अधि कारी या रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर यान के बीमें के प्रमाण पत्र पर परमिट उसके आधिपत्य में नहीं हो तो वह मांग करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उनकी फोटो प्रतियों को सम्यक रुप से प्रमाणित कराकर या तो व्यक्तिगत रुप से प्रस्तुत करेगा या उसे पंजीकृत डाक द्वारा उस अधिकारी को भेजेगा, जिसने उसकी मांग की।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनें के लिए बीमा प्रमाण पत्र से धारा 147 की उपधारा(3) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है।

(4) यदि, यथास्थिति उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या परमिट उस समय उस व्यक्ति के पास नहीं हैं जिससे उसकी मांग की गई है। तो उस दशा में इस धारा का पर्याप्त अनुपालन हो जाएगा जब ऐसा व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र या परमिट को ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार विहित करे, पुलिस अधिकारी या मांग करने वाले प्राधिकारी को पेश करता है।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे यह अपेक्षा की गई है कि वह परिवहन यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसके ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र पेश करे, उस विस्तार तक और ऐसे उपांतरण के सहित ही लागू होंगे जो विहित किए जाएं।

धारा - 131 रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर कतिपय पूर्व सावधानियां बरतने का ड्राइवर का कर्तव्य (Duty of the driver to take certain precautions at unguarded railway level crossing) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर किसी रक्षक सहित रेल समतल क्रासिंग पर पहुंचने पर यान को रोक देगा और यान का ड्राइवर उस यान के कंडक्टर या क्लीनर या परिचालक या किसी अन्य व्यक्ति को समतल क्रासिंग तक चलवाएगा और यह सुनिश्चित कराएगा कि किसी, भीदिशा से कोई गाडी या ट्राली आ तो नहीं रही है और तब मोटर यान को ऐसे समतल क्रासिंग से पार कराएगा, तथा जहां यान में कंडक्टर या क्लीनर या परिचर या कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो वहां यान का ड्राइवर रेल लाइन को पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए यान से स्वयं उतरेगा कि किसी भी दशा से कोई गाडी या ट्राली आ तो नहीं रही है।

धारा 132 - कुछ दशाओं में ड्राइवर का रोकने का कर्तव्य (Duty of driver to stop in vertain cases)

(1) किसी मोटर यान का ड्राइवर उस यान को निम्नलिखित दशाओं में रोकेगा और उसे चौवीस घण्टों से अनधिक ऐसे युक्तियुक्त समय के लिए तब तक खडा रखेगा जो आवश्यक हो।

(क) जब व्यक्ति जन्तु या यान या संपति को क्षति की दुर्घटना की घटना शामिल हुए यान की अवस्था में वर्दी मे उप निरीक्षक की रैंक से कम रैंक का नहीं किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो या

(ख) किसी ऐसे पशु के भारसाधक व्यक्ति द्वारा ऐसे करने की अपेक्षा की जाने पर व्यक्ति को आशंका है कि वह पशु नियंत्रण के बाहर हो गया है। या यान के डर कर अनियंत्रित हो जोगा, या

(ग) और वह अपना नाम और पता तथा यान के स्वामी का नाम और पता ऐसी किसी दुर्घटना या नुकसान से प्रभावित किसी व्यक्ति को बताऐगा जो उसकी मांग करे परन्तु यह तब जबकि उस व्यक्ति को अपना नाम और पता देगा।

(2) मोटर यान का ड्राइवर ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर जिसने अपना नाम और पता दिया है और यह अभिकथन किया है कि ड्राइवर ने धारा 184 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, उस व्यक्ति को अपना नाम और पता देगा।

(3) इस धारा में पशु शब्द से कोई घोड़ा ढोर हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड या बकरी अभिप्रेत है।

धारा 133 मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य (Duty of owner of motor vehicle to give information) ऐसे मोटर यान का स्वामी जिसके ड्राइवर या कंडक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त हैं राज्य सरकार द्वारा निमित प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सब जारकारी देगा जो उसके पास है या जिस वह समुचित त्तपरता से अभिनिश्चित कर सकता है।

धारा 134 दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य (Duty of driver in case of accident and injury to a person) जब किसी मोटर यान के कारण हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति को क्षति होती है या पर व्यक्ति की किसी संपति को नुकसान पहुचता है तब यान का ड्राइवर या यान का भारसाधक अन्य व्यक्ति -

क) जब तक कि भीड़ के क्रोध के कारण या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है, नजदीकी चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल मे उसे ले जाते हुए आहत व्यक्ति के लिए चिकित्सीय ध्यान प्राप्त करने के लिए सभी समुचित कदम उठायेगा, और किसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के लिए इन्तजार किये बिना चिकीत्सीय सहायता या उपचार प्रदान करने का आहत व्यक्ति की प्रत्येक

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल में ड्यूटी पर तुरंत उपस्थित डॉक्टर की कर्तव्य होगा, जब तक कि आहत व्यक्ति या उसका संरक्षक, यदि वह अवयस्क हो, अन्यथा इच्छा प्रकट न करे।

ख) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी उसके लिए मांग किए जाने पर देगा अथवा उस दशा में, जब कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है, घटना की परिस्थितियों की जिसके अंतर्गत वे परिस्थितियों, यदि कोई है भी है जिनके कारण खण्ड (क) मेंतथा अपेक्षित चिकित्सीय ध्यान प्राप्त करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने को यथासंभव शीघ्र तथा हर दशा में घटना के चौबीस घंटे के अंदर देगा।

ग) बीमाकर्ता को लिखित में निम्नलिखित सूचना दुर्घटना के घटित होने के बारे में देगा जिसने बीमा प्रमाण पत्र को जारी किया अर्थात

1) बीमा पॉलिसी संख्या और इसकी विधिमान्यता की अवधि
2) दुर्घटना की तिथि समय और स्थान
3) दुर्घटना में आहत या मृत व्यक्तियों की विशिष्टयां

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति चालक मेंयान का मालिक शामिल है।

धारा 135 दुर्घटना के मामलो का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख सुविधाओं आदि के लिए स्कीमें बनाना (Schemes to be framed for the investigation of accident cases and wayside amenities, etc.)

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करने क लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेंगी अर्थात

(क) मोटर यान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और विश्लेषण
(ख) राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख सुविधाएं
(ग) राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकियां और
(घ) राजमार्गों पर ट्रकों के खड़ा करने के लिए प्रक्षेत्र

(2) किसी राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम बन जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

धारा 177 अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध (General provision for punishement of offences) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है। प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 184 खतरनाम तरीके से मोटर यान चलाना (Driving dangerously) जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थतियों को जिनके अंतर्गत उस स्थान परिणाम को जो वास्तव में उस समय के या जिसके होने की युक्तियुक्त रुप से प्रत्याशा की जा सकती है, छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपयें तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराद के लिए उस दशा में, जिसमें अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 185 किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना (Driving by a drunden person or be a person under the influence of drugs) मोटर यान को चलाते समय, या चलाने का प्रयत्न करते समय –

(क) उसके रक्त में श्वास विश्लेषण द्वारा परीक्षण किए जाने पर 100 मिली. रक्त में 300 मि. ग्रामा से अधिक एल्कोहल पाया जाता है, या

(ख) मादक द्रव्य के इतने असर में है कि मोटर यान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है,

दण्ड – प्रथम अपराध पर – 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों पश्चात्वर्ती अपराध पर (जबकि पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ती अपराध के तीन वर्ष के भीतर किया जावे) – 2 साल तक का कारावास या 3000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों

धारा – 192 रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग (Using vehicle without registration) जो कोई धारा 39 (रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता) के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के बिना मोटर यान का उपयोग करता है या चलाता है या उपयोग कराएगा या उपयोग करने देगा।

दण्ड – प्रथम अपराध – 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना

पश्चात्वर्ती एक वर्ष तक का कारावास या 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

किंतु कारण लिखकर कम दण्ड दिया जा सकता है।

किंतु विपत्ति के समय (रोग या क्षति या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या साामग्री के या चिकित्सीय सुविधा के उपभोग के संबंध में) लागू नहीं होगी, किंतु यान के उपयोग कर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के बाद 7 दिन के भीतर ऐसे उपयोग की सूचना प्रादेशिक परिवहन प्राजिक्रण को दे देनी चाहिए।

धारा 39/192 निजि यान को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए काम में लेना।

धारा 192 क. परमिट के बिना यान का उपयोग (using vehicle without permit) जो कोई धारा 66 (परमिटों की आवश्यकता) के उल्लंघन में मोटर यान चलाता है या चलाने की स्वीकृति देता है)

दण्ड – प्रथम अपराध – 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना

पश्चात्वर्ती – 3 माह से एक वर्ष तक का कारावास या 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

किंतु कारण लिखकर कम दण्ड दिया जा सकता है

किंतु विपत्ति के समय (रोग या क्षति या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या साामग्री के या चिकित्सीय सुविधा के उपभोग के संबंध में) लागू नहीं होगी, किंतु यान के उपयोग कर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के बाद 7 दिन के भीतर ऐसे उपयोग की सूचना प्रादेशिक परिवहन प्राजिक्रण को दे देनी चाहिए।

धारा 196 बीमा के बिना यान का उपयोग (Driving uniusured vehicle) जो कोई धारा 146 (दूसरे व्यक्ति की जोखिम बीमा की आवश्यकता) के अनुसार बीमा के बिना मोटर यान का उपयोग करता है या चलाता है। या उपयोग करायेगा या उपयोग करने देगा

दण्ड – 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

धारा 197 प्राधिकार के बिना यान ले जाना (Taking vehicle with authority)

(1) जो कोई किसी मोटर यान को या जो उसके स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधि कार के बिना ले जाएगा और चलाएगा, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा परन्तु कोइ भी व्यक्ति इस धारा के

अधीन उस दशा में दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि उसे विधिपूर्ण प्राधिकार प्राप्त है अथवा ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि यदि उसने स्वामी की सहमति मांगी होती तो मामले की परिस्थितियों मे स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती।

(2) जो कोई विधिविरुद्ध रुप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार से अभित्रास के द्वारा किसी मोटर यान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई किसी मोटर यान के संबंध में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयास उसके बारे मे यह समझा जाएगा कि उसने भी, यथा स्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपराध किया है।

धारा 201 यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए दण्ड (Panelty for causing onsetuction to free flow of traffic) निर्योग्य या खराब यान (चलाते समय रुप जाये) को सार्वजनिक स्थान पर ऐसी स्थिति में रहता है तो – 50 रुपये प्रतिघण्टा,

यदि सरकार द्वारा हटाया जाये तो हटाने का खर्चा भी यान के प्रभारी व्यक्ति से वसूला जाएगा।

धारा 202 वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति (power to arrest without warrant)

(1) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा–

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की जो धारा 185 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है धारा 203 और धारा 204 में निर्दिष्ट उसकी चिकित्सीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी के दो घण्टो के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाएगी और ऐसा न करने की दशा में उसे अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) वर्दी में पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को वारण्ट क बिना गिरफ्तार कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया यदि ऐसा व्यक्ति अपने नाम और पते को देने से मना करता है।

(3) मोटर यान के ड्राइवर को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने या यान के स्थायी निपटारे के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा जो वह उचित समझे।

इस अधिनियम मे अधीन दण्डनीय मुख्य अपराध एवं उनके लिए निर्धारित दण्ड के संबंध में निम्न तालिका द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

The following table help you to understand various offences and penalties provided in this Act.

SI. NO.	OFFENCE	SECTION	FINE
1.	Red light jumping	119/177 MVA	RS 100/-
2.	Driving left hand driving without indicator	120/177 MVA	RS 100/-
3.	Improper & obstructive parking	122/177 MVA	RS 100/-
4.	Travelling on running Board (Driving)	123(1) /177 MVA	RS 100/-
5.	Travelling on Ruining Board (Passenger)	123() 2) /177 MVA	RS 100/-
6.	Triple Riding	128//177 MVA	RS 100/-
7.	Driving without helmet	129/177 MVA	RS 100/-
8.	Not displaying number plate	50/177 CMVR	RS 100/-
9.	Misbehavior by TST/Taxi Driver	11.3/177 D MVR	RS 100/-
10.	Over charging by TSR / Taxi driver	11.8/177 D MVR	RS 100/-
11.	Refusal by TSr/ Taxi driver	11.9/177 D MVR	RS 100/-

12.	Driving without light (After sunset)	105/177 CMVR	RS 100/-
13.	Driving without Horn	119 (1)/177 CMVR	RS 100/-
14.	Driving without Silencer	120 /190(2) CMVR	RS 100/-
15.	Driving with a defective number plate	50/177 CMVR	RS 100/-
16.	Violation of Stop line	113 (1)/179 CMVR	RS 100/-
17.	Disobeying lawful directions	132/179 CMVR	RS 500/-
17. (a)	Misbehaviour with police	179 MVA	RS 1000/-
18.	Allowing unauthorized person to drive	5/180 MVA	RS 1000/-
19.	Driving without license	3/181 MVA	RS 500/-
20.	Driving by mirrors	4/181 MVA	RS. 500/-
21.	over speeding (1st offence)	112/183 MVA	RS. 400/-
22.	Driving Dangero0usly (1st offence)	184 MVA	RS 1000/-

(PLACE TIME TRAFFIC AND CROWED ARE IMPORTANT FACTORS TO DETERMINE DANGEROUS DRIVING)

23.	Using 'Unregistered Vehicles or Displaying Applied for	39/192 MVA	RS 2000/-
24.	Violation of Yellow line	18 (11) RRR/ 119/177 MVA	RS 100/-
24a.	Giving arms to beggars or buying articles from hawkers / vendors at intersection	22(A) RRR/177 MVA	RS 100/-
25.	Violation of restriction of time on HIV's/Care on Various road	115/194 MVA	RS 2000/-
26.	Violation of mandatory signs (one way no right turn, no left turn, no horn	119/177 MVA	RS 100/-
27.	excess smoke	99(1) (1) 177 DMVR	RS 100/-
28.	Blowing of pressure horn	96(1)/177 DMVR	RS 100/-
29.	Conductor without uniform	23(1)/ 177 DMVR	RS 100/-
30.	driver without uniform	7/177 DMVR	RS 100/-
31.	conductor without badge	22/177 DMVR	RS 100/-
32.	Carrying passengers on goods vehicles	84/ (2)/ 177 DMVR	RS 100/-
33.	carrying goods on passengers vehicles	84/ (4)/ 177 DMVR	RS 100/-
34.	Use of colored light on monitor	97/ (2)/ 177 DMVR	RS 100/-
35.	Smoking in the vehicles	86.1RRR/177 MVA	RS 100/-
36.	No overtaking	6 (1) RRR /177 MVA	RS 100/-
37.	High/Long load on goods vehicle	29/RRR/177 MVA	RS 100/-
38.	Driving with another person on Bonnet	125/177 MVA	RS 100/-
39.	Mentally or physically unfit	186 MVA	RS. 100/-
40.	not Driving in proper unfit	66/192 (A) MVA	RS. 100/-
41.	without fitness	56/192 (A) MVA	RS. 2000/-
42.	without insurance	146/196 MVA	RS. 1000/-
43.	racing and trails in public with out permission	189 MVA	RS.500
44.	Sticking / adds on glasses.	71 (2)/177 DMVR	RS. 100/-
45.	Bus without first aid box	66 (2)/177 DMVR	RS. 100/-
46.	Play music in vehicle.	97 (1) /177 DMVR	RS. 100/-
47.	Use of colored light on monitor	97/ (2)/ 177 DMVR	RS 100/-
47.	Using mobile phone while driving	184 MVA	RS. 1000/-
48.	vehicle without wiper during rainy season.	101/105/177 CMVR	RS. 100/-
49.	search light on vehicle without permission	111/105/177 CMVR	RS. 100/-
50.	tinted glass/dark film of traffic	100(2) CMVR /177 MVA	RS. 100/-
51.	light vehicle in bus lane.	18.2 RRR / 177 MVA	RS. 100/-
52.	Driving against the flow of traffic	15.2 RRR / 177 MVA	RS. 100/-
53.	Violation on one way road	17.1 RRR / 177 MVA	RS. 100/-
54.	Not use seat belt	138.3 177 MVA	RS. 100/-
55.	Mentally or physically unfit	186 MVA	RS. 500/-

Offence For Which Only Court Challans Shall Be Made Out

1.	drunken driven (Breath test) is permissible evidence u/s 203)	185 MVA	TO COURT
2.	using vehicle in unsafe condition	190 MVA	TO COURT
3.	using vehicle without registration or permit (for commercial vehicles)	192 MVA	TO COURT

****

मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

उद्देश्य (Object) :- इस अधिनियम का एकमात्र नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं उपभोग को रोकना एवं उसे नियंत्रित करना है।

नशीले पदार्थ एवं नशीली औषधियां जहां जीवन के लिए वरदान है, वहीं यह अभिशाप भी सिद्ध हुई है। यदि इन पदार्थो एवं औषधियों का निर्माण शुद्व है, विक्रय नियमित है तथा सेवन विधि अनुसार है तो निश्चित ही यह एक वरदान है और इनकी प्रतिकूलता अथवा विपरीतता अभिशाप है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार - राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि यों के, औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग करने का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

यह अनुच्छेद राज्य के ऊपर एक कर्तव्य अधिरोपित करता है कि नशीले पदार्थ एवं औषधियों के निर्माण, कब्जा, विक्रय तथा उपयोग आदि से संबंधित नियम एवं विनियम पारित करे।

इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करते हुए राज्य ने एन डी पी एस एक्ट 1985 पारित किया । अभी एन डी पी एस संशोधित अधिनियम 2001 पारित किया गया जिसके प्रावधानों को मुख्य अधिनियम के साथ पढा जाएगा। इस अधिनियम में छः अध्याय औा 83 धाराएं है।

What is Drug : ऐसी औषधि जिसका उपयोग मानव या जानवरों के कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ मानव या जानवरों के शरीर के किसी भाग को कार्यशील करने या शून्य करने के लिए किया जाता है ये औषधि तीन प्रकार की होती है।

1) प्राकृतिक औषधि
2) अर्ध सिन्थैटिक औषधि
3) पूर्ण सिन्थैटिक औषधि (कई औषधियों का मिश्रण जिसे अब डिजाईन ड्रग के नाम से जाना जाता है।)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम व्यापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 है

(2) यह अधिनियम 14.11.1985 को संपूर्ण भारत मे प्रवृत हुआ।

(3) इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में प्रवृत हुआ।

(क) भारत के बाहर सभी नागरिको को,

(ख) भारत में पंजीकृत जलयान तथा वायुयान पर, जो उन पर सवार हो, जहा कही भी वे हों, को लागू होगा।

परिभाषायें (definitions) :-

व्यसनी (Addict) से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो मादक औषधि या स्वापक पदार्थ पर निर्भर है।

नारकोटिकस (Narcotics) कोके की पत्तियां, गांजा, भाग चरस अफीम पोस्त साथ ही सभी प्रकार के विनिर्मित द्रव्यों को भी इसमें द्रव्यों को भी सम्मिलित किया गया है।

साईकोट्रोफिक पदार्थ (psychotriopic substance) साईकोट्रोफिक पदार्थों की सूचि इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई है।

अपराध और दण्ड (Offences and penalties)

धारा 15 पोस्ता डंठल के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड (Punishment for contravention in relation to poppy straw) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या स्वीकृत की गई किसी अनुज्ञप्ति के उल्लंघन से पोस्ता डंठल का उत्पादन करेगा, कब्जे में रखेगा, परिवहन करेगा, अंतर्राज्यीय आयात करेगा, अर्न्तराज्यीय निर्यात करेगा, विक्रय करेगा, क्रय करेगा, उपयोग करेगा या भण्डारण करने मे लोप करेगा या भण्डारित पोस्ता डंठल को हटायेगा तो वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में है वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुमाने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा से कम किंतु थोडी मात्रा से अधिक है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(सी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधि रोपित कर सकेगा।

धारा 16 कोका पौधा और कोका पत्तियो के संबंध में उल्लघंन के लिए दण्ड (Punishment for contravention in relation to coca plays and coca leaves) जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का आदेश या अनुज्ञा पत्र की शर्त के उल्लंघन में कोई कोका पौधे की खेती करेगा या कोका पत्ते का कोइ भाग इकट्ठा करेगा या कोका पत्तियों काउत्पादन करेगा, कब्जेमें रखेगा विक्रय करेगा क्रय करेगा परिवहन करेगा अंर्तराज्यीय निर्यात करेगा या कोका पत्तियों का उपयोग करेगा तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

धारा 17 निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड (Punishment for contravention inrelation to prepared opinium) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, आदेश या अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में तैयार अफीम का निर्माण करेगा, कब्जे में रखेगा विक्रय करेगा, परिवहन करेगा, अंर्तराज्यीय आयात करेगा, अंतर्राज्यीय निर्यात करेगा, उपयोग करेगा तो वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में हैं वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा से कम किंतु थोडी मात्रा से अधिक है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(सी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से

कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधि रोपित कर सकेगा।

धारा 18 - अफीम पोस्ता और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड (Punishment for contravention for the relation to opinium, poppy and opium) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधी बनाये गये किसी नियम आदेश या अनुज्ञप्ति के शर्त के उल्लंघन में अफीम पोस्ता की खेती करेगा, निर्माण करेगा, कब्जे में रखेगा विक्रय करेगा, परिवहन करेगा, अर्न्राजयीय आयात करेगा, अर्न्तराज्यीय निर्यात करेगा उपयोग करेगा तो वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में हैं वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधि रोपित कर सकेगा।

(सी) किसी अन्य मामले में ऐसी अवधि के कठोर कारावास की जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 19 कृषक द्वारा अफीम के गबन के लिए दण्ड (Punishment for embezzlement of opium by cultivator) कोई भी कृषक जो केंद्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्तें की खेती के लिए अनुज्ञप्त हैं वह उत्पादित अफीन या उसके किसी भाग का गबन करेगा या अन्यथा अवैध रुप से निपटारा करेगा, वह

ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधि रोपित कर सकेगा।

धारा 21 विनिर्मित औषधियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड (Punishment for contravewntion in relation to manufactured drugs and preparetion) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये नियम या आदेश या स्वीकृत अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में कोई विनिर्मित औषधि या ऐसी कोई निमिती जिसमें विनिर्मित औषधि हो का निर्माण करेगा वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में हैं वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा से कम किंतु थोडी मात्रा से अधिक है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(सी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 22 मनोत्तेजक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड (Punishment for contravention in relation to phychotropic substances) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अध ीन बनाये गये नियम या आदेश या स्वीकृत अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मनोत्तेजक पदार्थ का निर्माण करेगा, कब्जे में रखेगा, विक्रय करेगा, परिवहन करेगा, अंतर्राज्यीय आयात करेगा, अंर्तराज्यीय निर्यात करेगा, उपयोग करेगा तो वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में हैं वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा से कम किंतु थोडी मात्रा से अधिक है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(सी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 23 मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थों का अवैध रुप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण के लिए दण्ड (punishment for illigel import in to india, export from india or transhipment of narcotic drugs and psychootropic sbstances) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश या अनुदत्त अनुज्ञप्ति कि शर्त का उल्लंघन में कोई मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ का भारत में आयात निर्यात करेगा तो वह

(ए) जहां उल्लंघन थोडी मात्रा के संबंध में हैं वहां ऐसे कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(बी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा से कम किंतु थोडी मात्रा से अधिक है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(सी) जहां उल्लंघन व्यवसायिक मात्रा के संबंध में है वहां वह ऐसे कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किंतु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्व किये गए कारणों से दो लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 25 अपराध के लिए जाने के लिए परिसरों आदि को प्रयोग करने के लिए दण्ड (punishment for allowing premisses etc., to be used for commission of an offence) जो कोई भी किसी गृह कमरे परिसर स्थल पशु या प्रवहण का स्वामी या अधिभोगी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका प्रयोग करता है, जानबूझकर उसका प्रयोग किसी ऐसे अपराध के लिए जाने के लिए होने देता है जो इस अधि

नियम के किसी उपबंध के अधीन दण्डनीय है तो वह ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

धारा 27 किसी मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ के उपभोग के लिए दण्ड (Punishment for consumption of any narcotic drug or psychotropic substances) जो कोई मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ का उपभोग करेगा

(ए) जहां उपभोग किया गया मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ हो जो केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस हेतु निर्दिष्ट किया जाए जो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 20000 हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और

(बी) जहां उपभोग किया गया मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ खण्ड (ए) में निर्दिष्ट से भिन्न है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेर्गा

धारा 27-ए-अवैध व्यापार को आर्थिक सहायता देने और अपराधियों को शरण देने के लिए दण्ड (punishment for financing illicit traffice and harvouring offenders) जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धारा 2 की क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति को सहायता देता है वह ऐसे कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा। परन्तु न्यायालय अपने निर्णय में लिखित कारणों से 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है।

धारा 28 अपराध के प्रयत्न के लिए दण्ड (Punishment for attempts to commit offences) जो कोई भी अधयाय 4 के अधीन किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा वह उसी प्रकार दण्डनीय होगा यदि वह अपराध उसके द्वारा पूरा कर दिया जाता है।

धारा 29 दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयंत्र के लिए दण्ड (Punishment for abetment and criminal conspiracy) जो कोई अध्याय 4 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या उसे करने के आपराधिक पडयत्र में पक्षकार होगा तो आईपीसी की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी वह उस अपराध के लिए उपबधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 30 तैयारी के लिए दण्ड (punishment for preparation) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को करने या करने में लोप करने की तैयारी करता है तो कि धारा 15 से 25 तक के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का गठन करती है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास के दण्डनीय होगा जिससे वह अपराध किए जाने की दशा में दण्डनीय होता, न्यूनतम कारावास से यदि कोई हो आधे से कम न होगी किन्तु अधिकतम कारावास की अवधि के आधे से कम कितु अधिकतम तक दायी होाग परन्तु न्यायालय निर्णय में लेखबद्ध कारणों से अधिक जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है।

धारा 32 ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए किसी दण्ड का उपबंध नहीं किया गया है। (punish-

ment for offence for which no punishment is provided) जो कोई इस अधिनियम याउसके अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का जिसके पृथक से इस अध्याय में किसी दण्ड का उपबंध नहीं किया गया है उल्लंघन करता है ऐसी अवस्था के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो छः माह तक की हो सकती है।या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 32 बी - न्यूनतम से अधिक दण्ड देते समय निम्न बातें धयान में रखी जायेगी (Factors to be taken in to accound for imposing higher than the minimum punishment) जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम अवधि का कारावास या जुर्माना विहित है वहां यदि न्यायालय न्यूनतम से अधिक दण्ड देना चाहता है तो उसे निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा अर्थात

1. अपराधी द्वारा शस्त्र का प्रयोग या हिंसा करने की धमकी।
2. यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण किए हुए है और अपराध करने में उसने पद का फायदा उठाया है।
3. यह तथ्य कि नाबालिग अपराध से प्रभावित हुए हैं या अपराध ाकरने में उनका प्रयोग किया गया है।
4. यह तथ्य कि अपराध शिक्षण संस्थ्ज्ञा में किया गया है या सामाजिक सेवा संकाय (Faculty) या ऐसी संस्था या संकाय के क्षेत्र में या किसी दूसरे स्थान में जो स्कूली बच्चे और विद्यार्थियों के शिक्षा संबंध ी खेलकूद या सामाजिक क्रियाकलाप के लिए प्रयोग में आता है।
5. यह तथ्य कि अपराधी किसी संगठित अंतर्राष्ट्रीय समूह या किसी दूसरे आपराधिक समूह से जो ऐसे अपराध में लगे हुए हैं सम्मिलित है।
6. यह तथ्य कि अपराधी अपराध द्वारा चलाई जाने वाली अन्य अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित है।

धारा 33 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू न होना (Application for section 360 of the code of criminal procedure, 1973 and of the probation of offenders Act,. 1958) द0प्र0सं0 1973 की धारा 360 अपराधी अधिनियम 1958 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए सिद्धोष व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का न हो।

धारा 34 कतिपय अपराधों को करने से रोकने के लिए प्रतिभूति (Security for abstaining from commession of offece) जब कोई व्यक्ति अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब उससे 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए प्रतिभूति सहित या रहित प्रत्याभूति की मांग की जा सकती है जिससे कि वह भविष्य में इस प्रकार को कोई अपराध न करे।

यदि उसकी दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त हो जाती है तो उसके द्वारा निष्पादित किया गया बन्ध पत्र शून्य हो जाएगा।

धारा 36-ए-विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (Offences trible by special cort) धारा 36 ए के अनुसार किसी ऐसे अपराध के अभियुक्त के संदर्भ में जो इस अधिनियम की धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 ए या व्यवसायिक मात्रा (Commercial quantity) के संदर्भ में दोषी पाया जाता है और अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो दण्ड प्रक्रिया की धारा 167 की उपधारा (2) में 90 दिन के स्थान पर 180 दिन गिने जायेंगे अर्थात -

यदि अभियुक्त उपयुक्त धाराओं मे से किसी के उल्लंघन में अभियुक्त अभिरक्षा में है तो अन्वेषण अधिकारी 180 दिन के भीतर चालान पेश कर सकेगा।

परन्तु यदि अन्वेषण 180 दिन में पूरा करा समय नहीं है तब विशेष न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जिसमें अन्वेषण की उन्नति और अभियुक्त के निरुद्ध किये जाने के विशिष्ट कारण होंगे, 180 दिन के स्थान पर 1 वर्ष कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी तीन वर्ष से अनाधिक अवधि से कारावास पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

धारा 37 अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना (Offences to be cognizable and non bail-able) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

प्रक्रिया (Procedure)

धारा 41 वारण्ट और अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति (power to issue warrant and authorisation)

कोई महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा विशेषतया सशक्त किया गया है या जब आबकारी / मादक द्रव्य व राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी को किसयी व्यक्ति से मादक द्रव्यों के बारे में जानकारी मिलती है या फिर उसे व्यक्तिगत तौर इस बारे मे जानकरी है औश्र इस जानकारी को लिखित में दर्ज किया जाता है जब यह अधि कारी अपने किसी अधीनस्थ को जो चतुर्थ श्रेणी/सिपाही पद से ऊपर हो को उस व्यक्ति जिसके कब्जे में मादक द्रव्य पदार्थ होने का संदेह हो गिरफ्तार या ऐसी बिल्डिंग वाहन या स्थान की तलाशी ले सकता है।

यहां पर ध्यान देने योग्य बाज यह है कि अधिकृता अदालत या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रुप से होनी चाहिए।

धारा 42 वारण्ट या अधिकार पत्र के बिना प्रवेश करने तलाशी लेने, अभीगहीत करने और गिरफ्तार करने की शक्ति (Power to entryu search scizure and arrest without warrant or authorisation)

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वापक सीमा शुक्ल राजस्व गुप्तचर या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग का कोई अधि कारी जिसमें अर्ध सैनिक बल या सैनिक बल भी सम्मिलित है और जो चपरासी/ सिपाही से पंक्ति में वरिष्ठ हो और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो राजस्व औषधि नियंत्रण आवकारी पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अपनी व्यक्तित जानकारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लेखबद्ध की गई इतिला से यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई मादक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया रुप से अर्जित कोई संपत्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 5-ए के अंतर्गत जब्ती या समपहरण के योग्य हैं किसी भवन प्रवहण या बंद स्थान में रखी गई है या छिपाई गई है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच

(ए) किसी ऐसे भवन प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(बी) प्रतिरोध की दशा में किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी बाधा को हटा सकेगा।

(सी) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके निर्माण मे प्रयुक्त सब सामग्रियां और कोई अन्य वस्तु या कोई पशु जिसके बारे में यह विश्वास है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत जब्त की जाए और कोई दस्तावेज या कोई संपति जो इस अधिनियम के अध्याय के 5-ए के अर्न्तगत जब्त या समपहरण करने योग्य है अभिगृहित कर सकेगा।

(डी) ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध किया है निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और यदि उचित समझता है तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी का वारण्ट अपराधी को साक्ष्य छिपाने या भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता तो वह ऐसे कारणों को लिखने के पश्चात सूर्योदय के बीच ऐसे भवन, प्रवहण या बंद स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा 1 के अधीन इतिला लेखबद्ध करता है या उसके परन्तुक अधीन अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करता है वहां उसकी एक प्रति 72 घण्टे के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।

इस धारा में उल्लिखित किया गया है कि जब नशीले पदार्थों के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है। तो वह सूचना अनिवार्य रुप से रोजनामचे में सादे कागज पर दर्ज की जानी चाहिए और यह सूचना अनिवार्य रुप से 72 घंटे के अंदर त्वरित वरिष्ठ अधिकारी को भिजवानी चाहिए।

- सूचना थानाध्यक्ष/या अपने वरिष्ठ अधिकारी को अनिवार्य रुप से दी जानी चाहिए व मुखबिर को उस अधिकारी के सम्मुख पेश किया जो उस सूचना को सत्यापित कर क्रास पूछताछ करे।
- जब थानाध्यक्ष पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हो तो अतिरिक्त थानाध्यक्ष उस सूचना का सत्यापन करें। यदि दोनों में से कोई भी हाजिर न हो तो दोनों किसी एक को दूरभाष पर सूचना दें।
- थानाध्यक्ष या अतिरिक्त थानाध्यक्ष की आत्मसंतुष्टि के बाद यह सूचना संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत तौर पर या दूरभाष के माध्यम से दी जानी चाहिए।
- यदि सूचना निषिद्धमाल, जो मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आता है के बारे में तथा यह माल यदि किसी भवन, वाहन या अहाते में रखा है तो यह सूचना संक्षिप्त में रोजनामचे में लिखी जाए। सभी तथ्य मुखबिर थानाध्यक्षअतिरिक्त थानाध्यक्ष को पेश किया गया व यह सूचना सहायक पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत तौर पर या दूरभाष पर उनके कार्यालय या घर पर दे गई उनकी दी हुई हिदायतें सभी रोजनामें मे आनी चाहिए।
- यदि अन्वेषण अधिकारी इलाका थाना में गस्त करते हुए सूचना प्राप्त करता है तो वह इस सूचना को कागज पर दो प्रतियों में अतिरिक्त थानाध्यक्ष को दूरभाष से देगा। यह तथ्य भी लिखित में रिकार्ड किया जाना चाहिए। असल प्रति कर्तव्य अधिकारी के पास यह बात दर्ज करने के लिए भेजी जाए तथा कर्तव्य अधिकारी को यह हिदायत भी दी जाए वह इस सूचना की एक प्रति रोजनामचा प्रविष्ठी के साथ उच्चाधिकारी को भेजे।
- जब अन्वेषण अधिकारी थानाध्यक्ष/अतिरिक्त थानाध्यक्ष के ब्यान रिकार्ड करे तो यह तथ्य इन व्यानों में आए कि सूचना की प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो उन्होनें उच्चाधिकारी को अग्रेषित कर दी थी, अन्यथा

यह माना जाएगा कि धारा 42 का पालन नहीं हुआ और यह कानूनी प्रक्रिया को दुष्प्रभावित कर सकता है। यदि मुल्लिजम के इंकसाफ के आधार पर मादक द्रव्य पदार्थ की बरामदगी पुनः प्रभावी होती है ताक इंकसाफ की प्रति को धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत सूचना मान कर इसे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष 72 घण्टे प्रेषित की जाएगी।

धारा 49 प्रवहण को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति (Power to stop and search conveyance) धारा 42 के अधीन अधिकृत कोई अधिकारी यदि उसे यह संदेह करने का कारण है कि कोई पशु या प्रवहण का उपयोग किसी मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के परिवहन के लिए किया जा रहा है या किए जाने वाला है जिसके बारे में उसे संदेह है कि वह इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है किसी भी समय ऐसे पशु या प्रवहण को रेाक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा यदि आवश्यक हो तो आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकेगा।

धारा 50 शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जायेगी (Conditins under which search of persons shall be conducted)

(1) जब धारा 42 के अधीन प्राधिकृत आधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी धारा 41, धारा 42 धारा 43 के अध ीन लेने वाला हो तो यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाए जो उसे बिना किसी देरी के धारा 42 मे उल्लेखित विभागों के किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाये, अधिकारी उस व्यक्ति को उस समय तक के लिए निरुद्ध कर सकेगा जब तक की वह उसे उपधारा 1 में उल्लेखित राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सके।

(3) रापत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को लाया गया है यदि तलाशी के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यक्ति को त्तकाल मुक्त करेगा अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाये।

(4) किसी महिला की तलाशी किसी महिला द्वारा ही ली जायेगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में मादक औषधि या साईकोट्रापिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ है राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है जिसकी तलाशी ली जानी है तब वह उसे राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अनुसार तलाशी ले सकता है।

(6) उपधारा 5 के अधीन तलाशी लेने वाला अधिकारी ऐसे कारणों को जिसके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था लेखबद्ध करेगा औश्र 72 घण्टे के अंदर उसकी प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी के भेजेगा।

शर्तें जिनके अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जाती है।
(Conditios under which search of suspecius persons shall be conducted)

- सभी संदेहास्पद व्यक्तयों को अलग-अलग नोटिस धारा 50 मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत दिया जाना चाहिए। नोटिस में सूचना के सभी अंश होने चाहिए। संदेहास्पद व्यक्ति को यह अनिवार्य रुप से बतलाया जाना चाहिए कि वह अपनी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने करा सकता है। यह उसका

विधिक अधिकार है। उस व्यक्ति को इस अधिकार से भी अनिवार्य रुप से अवगत कराया जाए कि वह अपनी तलाशी देने से पहले छापामार दल के सभी सदस्यों की तलाशी ले सकता है। धारा 50 के तहत दिये जाने वाले नोटिस में अनिवार्य रुप से विधिक अधिकार का उल्लेख किया जाए।

- जहां तक संभव हो नोटिस अनिवार्य रुप से संदेहास्पद वयक्ति को उसके द्वारा जानने वाली भाषा में दिया जाए। यह नोटिस स्पष्ट रुप से उसके द्वारा जानने वाली स्थानीय भाषा में उसको पढ़कर भी सुनाया जाए।
- संदेहास्पद व्यक्ति का जवाब अनिवार्य रुप से जहां तक हो सके उसी के हस्तलेख में हो। यहद संदेहास्पद अनिवार्य रुप से शामिल किया जाना चाहिए।
- संधिग्ध व्यक्ति को दबिश डालने वाले पुलिस दल की तलाशी लेने का अवसर प्रदान किया गया था यह तथ्य संदिग्ध व्यक्ति के उत्तर व तहरीर जरुर वर्णित होना चाहिए।
- संधिग्ध व्यक्ति अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने कराने के लिए कहता है और अन्वेषण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने करा पाना संभव नही है तो बिना उसे अवसर दिए कि वह स्वयं को निषिद्ध माल से अलग कर ले इस स्थितति में अन्वेषण अधिकारी संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी ले सकता है बशर्ते कि अन्वेषण अधिकारी अपने विश्वास के कारण को लिखित में दर्ज कर दे। इसकी एक प्रति 72 घण्टे के अंदर अपने उच्च अधिकारी को भिजवाने के साथ इस तथ्य का तहरीर में भी उल्लिखित करे।
- अन्वेषण अधिकारी धारा 50 मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत नोटिस देने के प्रावधान का पालन करना यदि भूल जाता है लेकिन वह संदेहास्पद व्यक्ति को मौखिक तौर पर बतला देता है तो यह तथ्य फर्द बरामदगी के तहत अनिवार्य रुप से आना चाहिए, लेकिन इस बात को टालना चाहिए क्योंकि इस लापरवाही का मुल्जिम फायदा ले सकता है।

बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1994 सुप्रीम कोर्ट 1872 - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया है अचानक बरामदगी (Chance recovery) में अभियुक्त से यह अपेक्षा किया जाा चाहिए आवश्यक नहीं है कि वह राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट में से किसके सामने अपनी तलाशी करवाना चाहता है।

कलीमा तुम्बा बनाम स्टेट ऑफ महराष्ट्र VIII 1999 SLT 463 के मामले में यह अभिनिध र्रित किया गया है यदि एक व्यक्ति जो थैला लिए हो या और वस्तु अपने साथ लिए हो और मादक द्रव्य या मन:स्वापी पदाथ उनसे मिले तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह उस व्यक्ति से मिले है इस केस में हीरोइन एक थैले में बरामद हुई जो अपीनकर्ता का था इसलिए यह जरुर नहीं था कि उसे कहा जाता कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधि कारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाए अर्थात तलाशी हेतु धारा 50 का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था।

सरजू दास एवं बनाम स्टेट ऑफ गुजरात VIII 1999 SLT 409 के मामले में यह अभिनिध र्रित किया गया है कि यदि अपीलकर्ता के शरीर पर चरस पाई गई बल्कि उस स्कूटर से लटकते थेले से मिली जिस पर वे सवार थे तो ऐसी स्थिति में यह ऐसा मामला नहीं था जहां पर अभियुक्त की शारीरिक तलाशी ली गई और उसके शरीर से मादक द्रव्य या मन:व्यापी पदार्थ की प्राप्ति हुई हो अत: तलाशी हेतु धारा 50 का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था।

राजबीर सिंह बनाम स्टेट 2000 क्रं लॉ 1652 (दिल्ली उच्च न्यायालय) के मामले में कहा गया कि जहां सभी दस्तावेज जैसे गुप्त सूचना धारा 50 का नोटिस फर्दमकबूजगी (Sezure memo) एफआईआर पर पड़ने वाला नंबर अगर एक ही स्याही एवं एक ही हस्तलेख से तैयार किए गए हैं तो यह दर्शित हाता है कि वे सभी एक ही समय एवं स्थान पर तैयार किए गए हैं अत: यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सज्जन अब्राहम बनाम केरल राज्य V 2001 SLT के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पुलिस दल को गस्त के दौरान अभियुक्त के बारे में यह सूचना मिलती है कि वह अफीम का विक्रय कर रहा है और पुलिस दल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि अभियुक्त को भागने का अवसर दिए बिना यह इतिला रोजना मचे मे दर्ज नहीं की जा सकती है और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा सकती है तब ऐसे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बिना ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। इस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है। कि ऐसे स्थान पर जहां कागज एवं अन्य सुविधा नहीं है, अभियुक्त को एन.डी.पी. एस. एक्ट की धारा 50 का नोटिस मौखिक तौर पर देना पर्याप्त है। क्योंकि धारा 50 में केवल नोटिस शब्द का प्रयोग किया गया है यह आवश्यक नहीं है कि वह हर एक परिस्थिति में लिखित हो।

रणबीर उर्फ राणा बनाम हरियाणा राज्य 2006 एसएससी में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि यदि किसी अभियुक्त के पास कोई बैग इत्यादि है तो उस बैग की तलाशी के लिए अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

धारा 52 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियो और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा (Disposal of persons arrested and articles seized)

(1) धारा 41, या 42 धारा 43 या धारा 44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी यथाशीघ्र मुलजिम को ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इतिला देगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहित की गई प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहित की गई प्रत्येक वस्तु को अनावश्यक विलंव के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसने वारण्ट जारी किया हो।

(3) धारा 41 की उपधारा (2) धारा 42 धारा 43 या धारा 44 के अधीन गिरफ्तार कि गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत ही गई वस्तु को अनावश्यक विलंब के बिना
   (क) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या
   (ख) धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा जाएगा।

(4) ऐसा प्राधिकारी या अधिकार जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निपटारे क लिए आवश्यक हो।

धारा 55 अभिगृहित और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना (Police to take charge of articles seized and delivered)

- माल मुकदमा अनिवार्य रुप से संबंधित थानाअध्यक्ष द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में लिया जाए और प्रतिमुद्राकन के बाद मालखाना मे जमा कराया जाना चाहिए। जब थानाध्यक्ष माल मुकदमें को मालखाना मे जमा कराए तो रोजनामचे में इस बारे मे एक प्रविष्टि दर्ज करनी चाहिए और फर्द मकबूजगी की प्रतिलिपि इस बारे में पृष्टांकन थानाध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।

- थानाधयक्ष द्वारा जो भी प्रविष्ट पार्सल और एफ एस एल फार्म पर की जो हस्ताक्षरित होना चाहिए।

- जो व्यक्ति या अधिकारी माल मुकदमा थानाध्यक्ष / अतिरिक्त थानाध्यक्ष को पेश करता है तब उस व्यक्ति या अधिकारी के नाम समेत फर्द मकबूजगी की प्रतिलिपि पर पृष्ठांकन किया जाना चाहिए।

धारा 57 गिरफ्तारी एवं बरामदगी की सूचना - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 48 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं निषिद्ध द्रव्य की बरामदगी के संबंध में दो अलग अलग सूचना तैयार कर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रेरित करनी होती है। इस तथ्य का थानाध्यक्ष के जांच अधिकारी के समक्ष बयान में वर्णन करना होता हैतथा न्यायालय के समक्ष भी बयान देना होता है।

धारा 64-ए चिकित्सा के लिए स्वेच्छा पूर्वक आने वाले व्यसनी की अभियोजना से मुक्ति (immunity from prosecution to addicts volunteeing for treatment) ऐसा कोई भी व्यसनी जो धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित है या नारकोटिक ड्रग्स या साईकोट्रोपिक पदार्थ की छोटी मात्रा से दण्डनीय किसी अपराध मे संलग्न है और जो स्वेच्छा से व्यसन त्यागने की चिकित्सा कराने के लिए किसी स्थानीय प्राजिक्रण या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में प्रस्तुत होता है और चिकित्सा करवाता है वह धारा 27 के अधीन या नारकोटिक या साईकोट्रापिक पदार्थ की छोटी मात्रा से दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

परन्तु यह कि अभियोजन से ऐसी उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि वह व्यक्ति व्यसन त्यागने की संपूर्ण चिकित्सा नहीं कराता।

धारा 69 सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण (Protection of action taken in good faith) किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या आदेश के अधीन सद्भाव से की गई है या जिसे सद्भाव से किया जाना आशयित रहा हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कोई जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का उपयोग कर रहा हो या किसी कार्य का निर्वहन कर रहा हो या के विरुद्ध कोई भी वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

प्रमुख मादक पदार्थ एवं द्रव्यों की अल्प व व्यवसायिक मात्रा

मादक द्रव्य अधिनियम के तहत अनेक अपराधों की सजा अपराधी से बरामद मादक द्रव्यों की त्रिस्तरीय मात्रा अल्प, अल्प से अधिक परन्तु व्यवसायिक मात्रा से कम तदथा व्यवसायिक मात्रा पर निर्भर करती है।

मादक द्रव्य	अल्प मात्रा	व्यवसायिक मात्रा
ऐफिटामिन	2 ग्राम	50 ग्राम
बिप्रनॉर्फिन	1 ग्राम	20 ग्राम
चरस/हशीश	100 ग्राम	एक किलोग्राम
कोकीन	2 ग्राम	100 ग्राम
कोडीन	10 ग्राम	एक किलोग्राम
डाइजेपाम	20 ग्राम	500 ग्राम
गांजा	एक किलोग्राम	20 किलोग्राम
हेरोइन	5 ग्राम	250 ग्राम
अफीम	25 ग्राम	2.5 किलोग्राम
एम डी एम ए (एक्टटैसी)	0.5 ग्राम	10 ग्राम

मीथैम्फीटामिन	2 ग्राम	50 ग्राम
मीथैक्वालोन (मैण्ड्रैक्स)	20 ग्राम	500 ग्राम
मॉरफिन	5 ग्राम	250 ग्राम
पॉपी स्ट्रॉ (पोश्त)	1 किलो ग्राम	50 किलोग्राम

नशीने पदार्थों से संबंधित मामलों में छूट

- अधिकारी – इस अधिनियम के तहत जो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सदभावनापूर्वक व विश्वास से करता है उसे धारा 69 के तहत बाद में अभियोजन व अन्य विधिक प्रक्रिया में छूट मिलेगी।
- व्यसनी – मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की धारा 27 के तहत व्यसनी पर नशीले पदार्थ की मात्रा अल्प होती है और अपराधी व्यसन को छोड़ने का इच्छुक नहीं कराता है (धारा 64 ए) यह जरुरी नहीं है कि नशीले पदार्थ की अल्प मात्रा व्यसनी के पास जब मिले तो उसे उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए मान लिया जाए।
- अपराधी– केंद्रीय व राज्य सरकार अपराधी का साक्ष्य लेने हेतु उसे छूट प्रदान कर सकती है। यह छूट सरकार द्वारा प्रदान की जातर है न कि कोर्ट द्वारा। (धारा 64)
- 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपराधियों द्वारा किये गये सभी अपराध (बाल अपराधी देखरेख एवं सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के तहत किशोर अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। न कि उसे सजा दिलवाने का। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपराधियों को प्राथमिकता दी जाती है। अत: ऐसे किशोर अपराधियों को मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे मामलों में दो अन्वेषण अधिकारी होने चाहिए। जिसमे पहला अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त को रोकने के साथ उससे नशीला पदार्थ बरामद करेगा व दूसरा अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ नशीला पदार्थ जब्त करेगा और अग्रिम जांच अमल में लाएगा।

नशीले पदार्थ का नमूना लेना (Taking sample of Narcotic drugs and psychotropse substance)

सामान्यत: एक पैकेट से दो नमूने निकाले जाते हैं। जिसमें नं 1 को अमल तथा नं 2 को डुप्लीकेट या ए व बी के नाम से जाना जाता है यह नमूने मौके पर बरामदगी के समय, अभियुक्त व गवाहों की उपस्थिति में लिये जाने चाहिए।

अफीम गांजा व चरस हशीश के मामलों में असल डुप्लीकेट दोनों नमूने 24-24 ग्राम के लिए जाते हैं जबकि नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटान्स के मामलो मे असल नमूने व डुप्लीकेट नमूने 5-5 ग्राम के लिये जाते है नमूने टेस्टिंग लेब में जमा कराते समय उचित आवश्यक दस्तावेज भी प्राथमिकता के अधार पर एक सप्ताह के अंदर जमा कराये जाते है।

सुनवाई से पूर्व मामलों में माल मुकदमों का निपटारा (Disposal of case property before hiring)

मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की धारा 52 ए के अनुसार इस अधिनियम के तहत बरामद माल का निबटान अदालती सुनवाई से पूर्व भी किया जा सकता है। अदालत के समक्ष इस संबंध में लिखित निवेदन करना होता है। सभी कागजी कार्यवाही के उपरांत संपूर्ण माल मुकदमें को अदालत द्वारा प्रमाणित किए जायेंगे। इसके बाद न्यायालय की आज्ञा मिलने पर मादक द्रव्यों को नष्ट किया जा सकता है।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) छापा मान दस्ता तैयार करने, वाहन किये बिना या समेत हथियार जिस रास्ते से चले वाहन चालक का नाम साथ लिये मुखबिर का हवाला इत्यादि का वर्णन रुक्का में ही किया जाना होता है।

(2) रुक्का में इस तथ्य का भी वर्णन होना चाहिए कि कितने स्वतंत्र गवाहों को व किस जगह कार्यवाही में शामिल होने के लिए आगृह किया गया, उनकी पृष्ठभूमि तथा क्या वे आवागमन करने वाले सही थे या रिक्शा वाले या वहां के निवासी थे। इनके द्वारा कार्यवाही मे शामिल नहीं होने का कारण यदि अवश्यक हो तो उल्लेखित करे।

(3) सबसे महत्वपूर्ण तथ्य समय है। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समय अवश्य वर्णन करे। जैसे किस समय मुखबिर आया, इस संबंध में जांच अधिकारी ने कितने बते रोनामचा में सूचना लिखि छापामार दस्ता कब तैयार किया गया, किस समय थाने की पार्टी ने प्रस्थान किया घटनास्थल या मौके पर कब पहुंचे मौके पर हिदायतें नाकाबंदी हेतु कब दी गई। नाकाबंदी कब गई, संदिग्ध व्यक्ति कितने बजे रोका गया आदि।

(4) रुक्का में दल के सदस्यों को मुनासिब हिदायतें नाकाबंदी का क्षेत्रफल नाकाबंदी पर कितनी पार्टियां रखी गई कौन कहां खड़ा था मुखबिर किस जगह खडा था इत्यादि जानकारी अवश्य लिखी होना चाहिए।

(5) सूचना के आधार पर Raiding Party तैयार करना जिसमें पब्लिक गवाह शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए।

(6) संदिग्ध व्यक्ति के आने की दिशा तथा समय क्या उसने अपने साथ कुछ पकडा हुआ था उसके पहनावे आदि का सूक्ष्म रुप से रुक्के में वर्णन अवश्य होना चाहिए।

(7) यदि कोई अन्य व्यक्ति इस संदिग्ध व्यक्ति के साथ हो जो उसे भी रोका जाना चाहिए तथा विस्तृत रुप से पूछताछ की जानी चाहिए।

(8) यदि संदिग्ध व्यक्ति ने किसी वाहन का प्रयोग घटना के समय किया है उसका नंबर मेक तथा रंग का समावेश रुक्के में अवश्य हो।

(9) यदि संदिग्ध व्यक्ति ने अचानक स्वत: ही निषिद्ध द्रव्य पुलिस पार्टी के समक्ष पेश कर दी हो तो इस अवस्था में धारा 50 एनडीपीएस का नोटिस देने की जरुरत नहीं होती।

(10) फर्द मकबूजगी तथा रुक्का में पैकिंग / एफ एस एल / सी आर पी एल फार्म घटनास्थल पर ही तुरंत भरना चाहिए।

(11) निषिद्धद्रव्य की जांच मौके पर ही फिल्ड टेस्टिंग उपकरण द्वारा की जानी चाहिए। दो नमूने किये जाने चाहिए। इसका उल्लेख रुक्का मे अवश्य करे।

(12) सी एफ एस एल / एफ एस एल / सी आर पी एल फार्म घटनास्थल पर ही तुरंत भरना चाहिए।

(13) माल मुकदमा को दुरुस्त तरीके से सील करना चाहिए तथा सील मोहर बाद इस्तेमाल मौजूद किसी भी गवाह के हवाले किया जाना चाहिए। थाना प्रमुख को सीलशुदा माल मुकदमा अपने कब्जे में

लेते समय इसे पुनः अपनी मोहर से सील करना चाहिए। एफ एस एल फार्म इत्यादि में किसी समय तथ्य को जोड़ने पर थाना प्रमुख द्वारा वहां पुनः हस्ताक्षर करना चाहिए।

(14) यदि रात्रि के समय घर की तलाशी लेनी हो तो इसका कारण लिख कर उच्च अधिकारी को 72 घंटे के अंदर सूचित करना चाहिए।

(15) अभियुक्त का पहला रिमांड संबंधित महानगर दंडाअधिकारी से लिया जाना चाहिए।

(16) यदि बरामद माल व्यवसायिक मात्रा से कम है तो अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र कोर्ट में 60 दिन के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है अन्यथा जब व्यवसायिक मात्रा में माल बरामद किया गया हो तो ऐसी स्थिति में चालान 180 दिन में दाखिल की जा सकती है। परन्तु चालान यथाशीघ्र दाखिल करने पर बल दिया जाना चाहिए।

(17) नमूनों की रासायनिक जांच के लिए उन्हें जल्द से जल्द प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। यह थानाध्यक्ष की जानकारी मे होना चाहिए व उसके बयानों में भी यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

(18) रोजनामचे मे लिखि गई सूचना को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करा लेना चाहिए।

(19) नक्शा मौका विस्तार से बनाना व व्याख्यान किया जाना चाहिए। मौके की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी उसमें वर्णित की जानी चाहिए।

(20) यदि अभियुक्त पहले भी किसी मामले मे अभिलिप्त है तो इसका वर्णन अभियोग पत्र में करना चाहिए। इससे न्यायालय को बढ़ाई हुई सजा देने में मदद मिलती है।

(21) मौके पर लिखित कार्यवाही वाहन में ही करनी चाहिए। यदि वाहन नहीं है तो जिस स्थान पर लिखित कार्य किया गया हो उसका वर्णन बयानो में आना चाहिए। कुर्सी आदि का प्रबंध किसने किया इसकी जानकारी जांच अधिकारी व गवाहों को होनी चाहिए।

(22) पार्सलों पर गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(23) यदि वाहन प्रयोग में लाया गया है तो उसकी लॉग बुक मे प्रविष्टियां पूरी कर लेनी चाहिए।

(24) लिखित कार्य किसने किया, इसकी जानकारी गवाहों को होनी चाहिए।

(25) कितनी मोहरें लगाई गई हैं इस का वर्णन तहरीर से किया जाना चाहिए।

(26) थाना प्रमुख अतिरिक्त थाना प्रमुख व जांच अधिकारी को एक सरकारी मोहन बनवा लेनी चाहिए। दबिश पर जाने से पहले यह मोहर उन्हे सरकारी तौर पर जारी की जानी चाहिए।

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) किसी भी स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना न करें।

(2) धारा 50 का नोटिस देना ना भूलें। नोटिस समयानुसार लिखित या मौखिक हो सकता है। जैसा कि साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य 5 एस एल टी 2001 के मामले में कहा गया।

(3) सी एफ एस एल को नमूने भेजते समय रोड सर्टिफिकेट देने कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

(4) नमूने को सी एल एस एल भेजने में विलम्ब न करे।

(5) समय से उच्चाधिकारियों को सूचित करने मे कोई लापरवाही न करें।

(6) जब कोई गुप्त सूचना पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो तो वह उसका हवाला रोजना मचे मे देने की कोताही न बरते।

****

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
National security Act 1980

उद्देश्य - कुछ मामलों मे निवारक निरोध के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

वैज्ञानिक उपबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) मे सभी नागरिको को वाक् एवं अभिव्यक्ति का मौलिक अधि कार प्राप्त है परन्तु अनुच्छेद 19 (2) में इस मौलिक अधिकार पर निर्बंधन हेतु राज्य कोई विधि संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अखण्डता राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। राज्य अस प्रकार कानून बनाकर ऐसे नागरिकों को गिरफ्तार व निरुद्ध कर सकता है परन्तु अनुच्छेद 22(4) में दिए गए समय से ज्यादा निरोध नहीं किया जा सकेगा।

इस प्रकार मौलिक अधिकारों पर राज्य की सुरक्षा हेतु निर्बंधन कानून बनाकर ही लगाया जा सकता है। अत: संसद ने यह अधिनियम 27 दिसम्बर 1980 को पारित किया। इसमें वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है।

धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार (Short title and extent)

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

धारा 2 परिभाषाएं (Definitions)

क) **समुचित सरकार (Approprite Government)** से तात्पर्य है केंद्रीय सरकार जहां तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी निरोध आदेश का संबंध है या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का संबंध है और राज्य सरकार जहां तक कि किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किस प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी निरोध आदेश का संबंध है या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का संबंध है।

ख) **व्यक्ति (person)** के अंतर्गत कोई विदेशी भी शामिल है।

धारा 3 कुछ व्यक्तियों को निरद्ध करने का आदेश करने की शक्ति (Power to make orders deteingin certain persons)

(1) यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का

(क) किसी व्यक्ति के संबंध मे यह समाधान हो जाता है कि उससे भारत कीसुरक्षा पर भारत के विदेशी सरकारो पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है अथवा किसी विदेशी के संबंध में समाधान हो जाता है कि भारत मे उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह निर्देश देते हुए ओदेश कर सकेगी कि

उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये।

(2) यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का किसी व्यकित के संबंध मे यह समाधान हो जाए कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक है तो वह यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जावे।

सुभाष भंडारी बनाम जिला मजिस्ट्रेट ए आई आर 1998 सु0 को 1974 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल एक कार्य या लोप (Act or ommission) से लोक व्यवस्था भंग की जा सकती है।

स्पष्टीकरण

(1) "समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और प्रदाओं के लिए आवश्यक" वस्तु अधिनियम व चोर बाजारी निवारण अधिनियम में पद (वाक्य) नहीं है अत: इस अधिनियम के अधीन कोई भी निरोधादेश उस आधार पर नहीं किया जाऐगा जिस पर उस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है।

(3) राज्य या केंद्र सरकार जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त को भी उपधारा (2) में यथा उपबंधित समाधान हो जाए जो निवारक निरोध की शक्ति प्रदान कर सकती है।

परन्तु - राज्य सरकार प्रथम बार मे यह आदेश तीन माह से ज्यादा के लिए लागू नहीं कर सकती राज्य सरकार का समाधान होने के बाद ऐसी अवधि जो एक बार में 3 माह से ज्यादा न होगी, बढाने के लिए आदेश को संशोधित कर सकती है।

(4) जब इस धारा के अधीन उपधारा (3) में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग कोइ अधिकारी करता है तो वह इस बावत तथ्य की रिपोर्ट ओदश लागू होने से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगा तथा उसका अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(5) जब इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिया जाए या अनुमोदित किया जाए तो वह केंद्र सरकार को 10 दिन क भीतर तथ्य की रिपोर्ट भेजेगी व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

धारा 4 निरोध आदेश का निष्पादन (Execution of detention order) निरोध आदेश भारत में किसी भी स्थान पर उसी रीति से निष्पादित किया जा सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबंधित है।

धारा 5 निरोध का स्थान और उसकी शर्तो का विनियमन करने की शक्ति (Power to regulate place and condition do detention) इस धारा के अंर्तगत निरुद्ध व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य के स्थान पर ले जाया जा सकता है परन्तु इसके लिए संबंधित राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी

धारा 7 फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां (Power in relation to absoconding person)

(1) यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या धारा 3 की उपधारा (3) मे उल्लेखित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो वह जिसके संबंध में निरोध आदेश दिया गया है, फरार हो गया है या अपने आपको

छिपा रहा है जिससे आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता तो वह सरकार या अधिकारी इस तथ्य का लिखित प्रतिवेदन उस व्यक्ति के निवास स्थान की अधिकारिता रखने वाले किसी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कर सकेगा। सरकारी गजट मे भी ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर हाजिर होने का निदेश भी दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत कोई प्रतिवेदन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर दिए जाने पर द0प्र0सं0 1973 की ध ारा 82 83 84 और 85 के अंर्तगत कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

(4) दण्ड पंक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 8 (1) आदेश से प्रभावित व्यक्तियो पर निरोध आदेश के आधार प्रकट किए जाएंगे (Ground of order of detention to be disclosed to person offected by the order) ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोध आदेश दिया गया है या निरुद्ध किया गया है उसे उसके कारणों के बारे में पांच दिन के अंदर-अंदर बतलाया जाएगा ताकि ऐसा व्यक्ति समुचित सरकार को आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करना चाहे तो कर सकता है।

(2) परन्तु ऐसे तथ्यों को प्रकट करना अगर लोकहित के विरुद्ध हो तो ऐसे तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाएगा।

आनंद प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आए 1990 ए सी 576 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि इस अधिनियम के अंर्तगत निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि निरोध का आदेश देने के लिए पर्याप्त नहीं है इसके लिए पर्याप्त सामग्री और रिकार्ड होना चाहिए जैसे - पूर्व दोषसिद्ध विश्वसनीय सूचना या तक्र पूर्ण एवं पर्याप्त कारण आदि ।

धारा 9 परामर्शदाता परिषदों का गठन (Constitution of advisory board)

(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब कभी आवश्यक हो एक या अधिक परामर्श दाता परिषदों का गठन कर सकेगी।

(2) ऐसी परिषद में तीन व्यक्ति होंगे जो या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या रह चुके होगे या नियुक्त किये जाने योग्य होंगे।

(3) ऐसे सदस्यों में से एक सदस्य ऐसी परिषद का अध्यक्ष होगा।

धारा 10 परामर्शदाता परिषदों को निर्देश (Reference to advisory Board) प्रत्येक ऐसे मामले में जहां इस अधिनियम के अधीन निरोध आदेश दिया जाये समुचित सरकार उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर उन आधारों को जिन पर वह आदेश दिया गया हो, और आदेशा से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए अभयावेदन को यदि आदेश धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, तो उस धारा की उपधारा (4) के अधीन ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट को भी अपने द्वारा परामर्श दाता परिषद के समक्ष रखेगी।

धारा 11 परामर्शदाता परिषद की प्रक्रिया (Procedure of advisory Board) इस धारा के अंर्तगत परिषद धारा 10 में दिए गए तथ्यों व अभ्यावेदन पर विचार करके रिपोर्ट समुचित सरकार को सात सप्ताह के अंदर देगी। उपरोक्त प्रकार से दी गई तमाम रिपोर्ट गोपनीय होगी।

धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि (Maximum period of detention) वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी निरोध आदेश के अनुसरण में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जा सकेगा। जिसकी पुष्टि परामर्शदात्री परिषद ने कर दी है वह निरोध की दिनांग से बारह मास होगी। परन्तु समुचित सरकार ऐसे निरोध आदेश को इससे पूर्व भी वापिस ले सकती है।

धारा 16 सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण (Protection of action taken in good faith) यह धारा सदभावनापूर्वक किए गए आदेश या अन्य कार्यवाहियों को अभियोजन व अन्य कानूनी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करती है।

****

पुलिस (द्रोह-उद्दीपन)अधिनियम, 1922
The Police (Inciment to Disaffection) Act,1922

उद्देश्य (Object) यह अधिनियम पुलिस बल के सदस्यों में विद्रोह के उद्दीपन को दण्डीत करने के लिए बनाया गया है।

धारा 2 परिभाषा (Defomotion)

पुलिस बल का सदस्य (Member of polce force) कोई भी व्यक्ति पुलिस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए नियुक्त या पंजीकृत किया गया है। (इस अधिनियम की अनुसूची के अनुसार पुलिस अधिनियम 1961 1888 या किसी राज्य के पुलिस अधिनियम के अनुसार नियुक्त या पंजीकृत)

धारा 3 द्रोह आदि उत्पन्न करने के लिए दण्ड (Panalty for causing disaffection, etc.) जो कोई भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस बल के सदस्यों में साशय द्रोह उत्पन्न करेगा या द्रोह उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा या पुलिस बल के किसी सदस्य को सेवाओं से विरत कहने के लिए अथवा अनुशासन भंग करने के लिए उत्प्रेरित होना संभाव्य है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - सरकार के अध्युपायों का विधिपूर्ण साधनों से परिवर्तन कराने के उद्देश्य से अनुमोदनार्थ अभिव्यक्तियां या सरकार के प्रशासनिक का अन्य कार्यों की अनुमोदनार्थ अभिव्यक्तियों, इस धारा के अध ीन अपराध नहीं होगा यदि वे द्रोह उत्पन्न होने का संभावना नही है। अर्थात वैद्य अभिव्यक्तियां द्रोह की परिभाषा में नहीं आएगी।

द्रोह या **अप्रीती** शब्द (स्नेह या प्रेम) के विपरीत है अर्थात द्रोह का अर्थ है नफरत। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 (क) (राजद्रोह) के स्पष्टीकरण एक के अनुसार द्रोह या अप्रीति शब्द के अंतर्गत अभिव्यक्ति (disioyalty) और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती है।

प्रयत्न या उत्प्रेरणा का तात्पर्य-बोलकर (भाषण) या लिखकर (समाचार पत्र पेम्पलेटस आदि) या संकेतों द्वारा या किसी भी माध्यम से (टी.वी. रेडियों आदि) द्वारा उत्प्रेरित करना।

धारा 4 कतिपय प्रयोजन के लिए पुलिस संगमों या पुलिस संगठन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की व्यावृति (बचाव) (Saving of acts done by police association and other person for certain purpose.) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सदभावनापूर्वक की गई कोई भी बात इस अधि नियम के अधीन अपराध नहीं समझी जायेगी अर्थात

(क) पुलिस बल के किसी सदस्य के कल्याण के लिए अथवा हित में विधि द्वारा प्राधिकृत किसी रीति से उसे सेवाओं से विरत (अलग) करने के लिए उत्प्रेरित करना या

(ख) पुलिस बल के सदस्यों के हितो से उन्नति के लिए बनाए गए किसी ऐसे संयम द्वारा जो सरकार द्वारा प्राधि कृत या मान्यता प्राप्त है या उसकी ओर से कोई कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित (समर्थित) नियमो का संयम

द्वारा जो सरकार द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त है याउसकी ओर से कोई कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों का संयम अनुच्छेदों के अधीन किया गया है।

धारा 4 क. अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होंगे (offecnce are cognizseable and non - bailable)

1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा।

2) इस धारा के अधीन किसी भी न्यायालय द्वारा कोई जमानत तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक कि अभियोजन को मामले में सुनवाई की, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

धारा 5 अधीनस्थ न्यायालयेां द्वारा अपराधों के विचारण की मंजूरी (Senction to trial of offences by subbordinate courts) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के सिवाय अग्रसर नही होगा।

धारा 6 मामलों का विचारण (Trial of cases) (1) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायलय या ऊपर की पंक्ति का कोई भी न्यायलय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करेगा।

****

पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम, 1966
Police Force restriction of rights Act 1966

उद्देश्य (Object) इस अधिनियम का उद्देश्य बल (Force) के ऐसे सदस्यों जिन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार है संविधान के भाग तीन द्वार दिए कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें लागू करने के विषय में प्रावधाान करना है जिससे वे अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सके और उनके बीच अनुशासन बना रहे।

मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय सविधान के भाग –3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है।

अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि बनाकर संसद विधि बनाकर सशस्त्र बलों या ऐसे बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है जिनके ऊपर विधि व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व होता है।

धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ (Short titls extent and commencement) यह अधिनियम पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 कहलायेगा तथा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण भारत में होगा एवं यह उस तारीख को लागू होगा जो कि सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा संघ क्षेत्र के संबंध केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्यों में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए। भारत सरकार के राजपत्र भाग दो धारा एक दिनांक 2.12.1966 में प्रकाशित।

धारा 2 परिभाषाएं (Definitions)

पुलिस बल के सदस्य (Member of Police Force) से तात्पर्य किसी भी ऐसे सदस्य से है जो इस अधि नियम मे दी गई अनुसूची में उल्लेखित किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त या भर्ती किया गया हो।
पुलिस बल (Police Force) पुलिस बल मे कोई भी बल जिस पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का भार हो सम्मिजिलत होगा।
निर्धारित (Prescrived) से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है।

धारा 3 संस्था के गठन, भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में प्रतिबंध (Restriction respection right to form associations, freedom of speech, etc.)

(1) पुलिस बल का कोई भी सदस्य बिना केंद्रीय सरकार या निर्धारित प्राधिकारी की अभिव्यक्त स्वीकृति से

(क) किसी व्यापार संगठन ट्रेड यूनियन, श्रम संगठन या राजनैतिक संस्था या किसी व्यापार संगठन श्रम संगठन या राजनीतिक संस्था के वर्ग का सदस्य नहीं होगा और न ही ऐसी संस्था से किसी प्रकार का संबंध रखेगा या

(ख) किसी अन्य समिति संस्थान (Institution) संस्था (association) या संगठन (Orgaisation) जो कि पुलिस बल के भाग के रुप में मान्य न की गई हो जिसका वह सदस्य है यदि वह पूर्णत: सामाजिक मनोरंजक या धार्मिक प्रवत्ति की न हो तो पुलिस बल का कोई सदस्य उसकी सदस्यता गृहण नहीं करेगा और न ही उससे कोई संबंध रखेगा या

(ग) ऐसे सम्पक्र या प्रकाशक को, जो अपने कर्तव्य पालन में सदभाव से किया गया हो या पूर्णतया साहित्यिक कलात्मकया वैज्ञानिम स्वरुप या निर्धारित प्रकृति का हो, छोड़कर प्रेस से संबंध नहीं

रखेगा न कोई पुस्तक पत्र या अन्य लिखित प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(2) पुलिस बल का कोई सदस्य किसी सभा में सम्मिलित नहीं होगा न उसे संबोधित करेगा (न किसी प्रदर्शन में भाग लेगा। जो किसी समूह या व्यक्ति द्वारा राजनीतिक या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो निर्धारित किया जाए संगठित किया गया है।

धारा 4 दण्ड (Panalty) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध की जा सकने वाली अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा। इस अधिनियम में यह उल्लेचा नहीं किया गया है कि अपराध संज्ञेय होगे या असंज्ञेय इसलिए दप्रसं 1973 की प्रथम अनुसूची के भाग दो के अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा। जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध असंज्ञेय होगे।

धारा 5 अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति (Power to amend shcedule) केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किन्हीं ऐसे अन्य अधिनियमों को सम्मिलित कर सकती है। जो सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने वाले पुलिस बल से संबंधित हो या उसमें से किसी ऐसे अधिनियम को अलग कर सकती है जो अधिसूचना के प्रकाशन के समय इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित थें।

धारा 6 नियम बनाने की शक्ति (Power of make rule) केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी।

****

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमए 1988

Prevention of Corruption Act, 1988

(धारा 7 से 13, 17, 18, 19 एवं 20)

प्रस्तावना (Introduction) :- भ्रष्टाचार उन्मूलन विधि का महत्व आज के सामाजिक वातारण एवं क्रिया कलापों में अत्याधिक बढ़ गया है। किसी भी समाज की व्यवस्था कायम रखने में जिन विधियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है उनमें भ्रष्टाचार उन्मूलन विधि को विशेष स्थान प्राप्त है। यह कानून समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों से संबंध रखता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 49) पारित किया गया।

इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं जिन्हें 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है अध्याय एक प्रारंभिक में धारा 1 व 2 हैं।

अध्याय दो विशेष न्यायधीशों की नियुक्ति से संबंधित है इसमें धारा 3 से 6 तक शामिल हैं।

अघ्याय तीन इस अधिनियम के अधीन अपराधों एवं दण्डों से संबंधित है इसमें धारा 7 से 16 तक शामिल हैं एवम

अध्याय चार अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण से संबंधित है इसमें 17 व 18 शामिल हैं एवम अध्याय पांच अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विविध उपबंधों से संबंधित हैं एवं इसमे धार 19 से 31 तक शामिल है।

उद्देश्य (object) इस अधिनियम का उद्देश्य लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने एवं भ्रष्टाचार को सख्ती से रोकना है। इस अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका का आशय भ्रष्ट लोक सेवकों के कार्यो को गम्भीरता से लेते हुए उन्हें दण्डित करना है।

बीरा स्वामी व यूनियन आफ इंडिया 1995 (3) एस सी सी 655 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लोक सेवको में भ्रष्टाचार का निवारण ही नही करता बल्कि ईमानदार लोक सेवको की परेशानी से भी रक्षा करता है।

परिभाषाएं (Definition)

धारा 2(ख) लोक कर्तव्य (Public Duty) लोक कर्तव्य से तात्पर्य किसी ऐसे कर्तव्य है जिनके निर्वहन में राज्य और जनता या समुदाय एक बडे भाग का हित है।

भाए द सं. की धारा 12 लोक शब्द तो स्पष्ट करती है जिसके अनुसार लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय लोक शब्द में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं हैं।

दसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो लेकिल केवल एक ही व्यक्ति का लोक शब्द के अंतर्गत आना संभव नहीं है।

आर. एस नायक बनाम ए आर अन्तुले ऐ. आई. 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोक कर्तव्य शब्द पर विचार किया तथा यह निर्धारित किया कि विधानसभा के सदस्य का कार्य भी लोक कर्तव्य की प्रकृति का है।

धारा 2 ग – लोग सेवक (Public servant) इस धारा में लोक सेवक शब्द को पारिभाषित किया गया है। यह परिभाषा भा.द.सं. की धारा 21 की अपेक्षा अधिक एवं विस्तृत है भा. द.सं. की धारा 21 के अंर्तगत जो व्यक्ति लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं। वो तो अधिनियम की धारा 2–ग के अंर्तगत लोक सेवक हैं ही साथ ही ऐसे कई व्यक्ति जो धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी मे नहीं आते वो इस अधिनियम की धारा 2–ग के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं।

जैसे – विधायक एवं संसद सदस्य धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते किंतु धारा 2–ग के अंतर्गत लोगसेवक माने गऐ हैं। विधायक बनने के पश्चात कोई व्यक्ति पद प्राप्त करता है पहले यह विरुद्ध था किंतु इस अधिनियम के द्वारा इस विवाद को पूर्णता समाप्त कर दिया गया है। अब इस अधिनियम की धारा 2–ग (8) के अंतर्गत विधायक भी एक पद है। अतः विधायक लोकसेवक है। इस धारा के अंतर्गत संसद सदस्य भी लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं।

लोक सेवक होने के लिए दो बातें प्रमुख है। (1) पद गृहण करना एवं (2) जनता के प्रति जिम्मेदार होना। कोई भी व्यक्ति सांसद होने पर इन बातों की अनदेखी नहीं कर सकता। झा. मु.मो. रिश्वत केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 अप्रैल 1998 को इसी आधार पर अभिनिर्धारित किया गया कि संसद सदस्य लोक सेवक है।

धारा 7 लोकसेवक द्वारा अपने पद से संबंधित कार्यों के संबंध में वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण (रिश्वत) लेना (public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an officeal act) यह धारा ऐसे व्यक्त्यिों पर लागू होती है जो या तो लोकसेवक है या लोकसेवक होने की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पद से संबंधित कर्तव्यों के करने या न करने के लिए रिश्वत लेते हैं या लेने का प्रयास करते है। या सहमत होते हैं। जिससे वह किसी व्यक्ति के पक्ष में या विरोध में कोई काय करे या न करे। दण्डनीय है ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से।

धारा 8. लोकसेवक पर भ्रष्ट साधनों द्वारा प्रभाव डालने के लिए पारितोषण लेना (Taking gratification, in order, by corrupt of illegal means, to influence public servant) इस धारा का आशय अपराध के दुष्प्ररकों तक पहुचने मे सहायता प्रदान करना है। यह धारा ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। जो रिश्वत इस लिए लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं या सहमत होते हैं। कि किसी भी लोक सेवक को अपने पद से संबंधित कार्यों को किसी के पक्ष मे करने या करने क लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा अत्प्रेरित करेगा।

दण्डनीय हैं ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से।

धारा 9. लोकसेवक पर वैयक्तिक प्रभाव डालते के लिए पारितोषण लेना (Taking gratification for exercise of personal influence with public servant) कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई रिश्वत हेतु या ईनाम के रुप में किसी व्यक्ति से इसलिए स्वीकार करेगा, प्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा जिससे किसी लोकसेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा किसी

कार्य को करने या न करने क लिए उत्प्रेरित करेगा जो वह इस धारा के अर्तगत ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 10 धारा 8 एवं 9 में परिभाषित अपराधों के लिए लोकसेवक द्वारा उत्प्रेरण (punishment for abetment by public servant of offences defined in section 8 or 9)

कोई व्यक्ति अगर लोकसेवक होते हुए उपरोक्त धाराओं मे पारिभाषित अपराध को करने का दुष्प्रेरण करेगा चाहे उसके परिणाम स्वरुप अपराध घटित हुआ हो या नहीं तो इस धारा के अधीन ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 11 लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या व्यापार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना (Punishment servant obtaining valuatbel thing without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant)

जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या व्यापार से संबधित व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य के लिए प्रतिफल के बिना मूल्यवान वस्तु प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा या प्राप्त करने के एि सहमत होगा तो इस धारा के अंतर्गत ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 12 धारा 7 या धारा 11 मे परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड (Punishment for abetment of offences defined in section 7 or 11)

जो कोई धारा 7 या 11 के अधीन दण्डनीय अपराधों का दुष्पेरण करेगा भले ही ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरुप कोई अपराध हुआ हो या नहीं तो वह व्यक्ति इस धारा के भीतर ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। पदमा सैन बनाम राज्य ए आई आर 1959 के मामले मे यह निर्धारित किया गया कि यदि लोकसेवक से अपने पद का दुरुपयोंग करने के लिए रिश्वत देने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति धारा – 7 या धारा 11 के अधीन अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो इस धारा में दण्डित किया जाएगा।

धारा 13 लोकसेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण (Criminal misconduct by a public servnt)

एक लोकसेवक आपराधिक दुराचरण का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि वह

(ए/क) अपने लिए या किसी दूसरे के लिए रिश्वत हेतु या ईनाम के रुप में जैसा कि धारा 7 में बताया गया है किसी व्यक्ति से आदतन प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या

(बी/ख) कोई वस्तु अपने या किसी अन्य के लिए बिना या कम प्रतिफल के आदतन प्राप्त करता है या प्रयत्न करता है, या

(सी/ग) किसी ऐसी संपत्ति को जो लोकसेवक के नाते उसे सौंपी गई है या उसके नियंत्रण के अधीन है बेईमनी से उसका दुरुपयोग करता है या किसी को करने देता है या

(डी/घ) (1) भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या

(2) अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पद पर रहते हुए बिना किसी जनहित के अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है या

(3) उसके पास अपने आय के स्रोत के अधिक संपत्ति है जिसका वह संतोषजनक ढंग से विवरण नहीं दे सकता है।

कोई लोकसेवक जो आपराधिक दुराचरण का अपराध करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। यह धारा लोकसेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण के अपराध की संरचना करती है।

एस पी भटनागर बनाम महाराष्ट्र ए आई आर 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने का अभिप्राय जानबूझकर विभाग को हानि पहुचाकर किसी अन्य व्यक्ति के या स्वयं को लाभ प्राप्त करना हैं

यहां धारा 13(1) ग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 409 भा0द0सं0 का उल्लेख करना आवश्यक है। धारा 13 (1) ग के अनुसार यदि कोइ लोकसेवक ऐसी किसी संपत्ति का जो उसे लोक सेवक के नाते सौंपी गई है बेइमानी से उपयोग करता है। या किसी अन्य को करने देता है तो इस धारा 409 में किया गया है जिसके अनुसार लोक सेवक आपराधिक न्यास भंग के लिए उत्तरदायी होगा। तब यहां प्रश्न यह पैदा होता है। कि उपरोक्त दोनों धाराओं में क्या अंतर है? लोकसेवक के विरुद्ध कौन सी धारा लागू होगी आदि।

इस संबंध में सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 की धारा 26 के अनुसार अभियोजन को यह विकल्प होगा कि वह दोनो विधियों में से किसी एक विधि के अधीन संबंधित व्यक्ति को अभियोजित करे। ओम प्रकाश बनाम राज्य 1955 इलाहाबाद 275 क्र0 ला ज0 में कहा गया कि सामान्यत: ऐसी स्थिति में उसे विधि के अधीन कार्य विधि की जानीचाहिए जिसमें अभियुक्त का मामला ठीक से आता है। और उसे ज्यादा दण्ड मिल सकता है।

धारा 17 अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (Person authorised to investigate) द0 प्र0 स0 1973 में किसी बाते के होते हुए भी निम्नलिखित के नीचे का कोई भीपुलिस अधिकारी इस अभियोजन के अंर्तगत अपराध का अन्वेषण यथास्थिति मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारण्ट के बिना नहीं करेगा (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक (2) बम्बई कलकत्ता मद्रास और अहमदावाद तथा किसी अन्य मैट्रोपोलिटन क्षेत्र में जैसा कि द0 प्र0 सं0 की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त। (3) अन्य जगह उप पुलिस अधीक्षक या इसके बराबर पद का अधिकारी, परन्तु यदि पुलिस निरीक्षक के बराबर से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारण्ट के विना कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि धारा 13 (1) (डी) में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश से किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद का न हो।

धारा 18 बैंक बही खातों को देखने का अधिकार (Power to inspect bankers books) यदि प्राप्त जानकारी द्वारा या अन्य किसी तरीके से पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के होने के संदेह के कारण है जिनका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन प्राधिकृत है और वह यह जानता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंक बही खातों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकेगा।

परन्तु किसी व्यक्ति के खाते के संबंध में इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस अधीक्षक के बराबर या उससे वरिष्ठ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस हेतु विशेष रुप से सशक्त न किया गया हो।

अत: स्पष्ट है कि इस धारा के अनुसार अनुसंधान अधिकारी बैंक खातों पर रोक लगा सकता है। क्योंकि बैंक खाते में जमा पैसा संपत्ति है जिसे पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है जैसा कि धारा 102 द0 प्र0 सं0 1973 में है।

दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम हरनाम सिंह ए आई आर 1955 के मामले में बैंक खाते में जमा धन को संपत्ति माना गया जो धारा 102 द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत जब्त की जा सकती है।

स्टेट आफ महाराष्ट्र बनाम टपास डी नियोगी 4 (1999) सी सी आर 92 (सुको) क मामले में कहा गया कि पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान अभियुक्त या उसके संबंधियों के ऐसे बैंक खातों को अन्वेषण के दौरान जब्त कर सकता है या उनक लेन देन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जिनका अपराध के लिए जाने से सीधा संबंध है।

धारा 19 अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता (Previous senctions necessry for prosecution) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7, 10, 13, और 15 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान जिसके संबंध में यह कहा गया है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है निम्न कि पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा (1) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ या केन्द्र के मामलों के संबंध में नियोजित है सरकार (2) ऐसे व्यक्ति की दशा जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और अपने पद से राज्य द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना नहीं हटाया जा सकता है। राज्य सरकार (3) किसी अन्य व्यक्ति की दशा मे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

धारा 20 जहां लोक-सेवक वैद्य परिश्रमिक गृहण करता है। वहां उपधारणा (Presumption where public servant accept graification other than legal remuneration) जहां धारा 7 या 12 या 13 या 14 के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से वैद्य परिश्रमिक से भिन्न कोई पारितोषण का कोई मूल्वान चीज अपने लिए या किसी अन्य के लिए स्वीकार की है या प्राप्त की है या करने का प्रयत्न किया है वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यथा स्थिति उपरोक्त धाराओं में परिभाषित अपराध किया है।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत केस

वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध मे यह अत्याधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित ममला है। 12 अक्तूबर 2000 को पिछले 4 साल से चल रहे मामले में मुख्य अभियुक्त पूर्व प्रधानमत्री पी वी नरसिंहा राव एवं उनके मंत्रिमंडल सहयोगी बूटा सिंह को विशेष अदालत ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-3 कठोर कारावास की सजा एवं 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा न करने की स्थिति में उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

संक्षेप में इस केस के तथ्य इस प्रकार है।

26 जुलाई 1993 को राव की अल्पमत वाली सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 528 सदस्यीय सदन में सरकार को 251 सांसदों सका समर्थन प्राप्त था। 28 जुलाई 1993 को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (रा मु मो) के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत काण्ड में केंद्रीय जांच ब्यूरो से मुकदमा दायर करने की मांग की। जिसमें आरोप लगाया कि त्तकालिन प्रधानमंत्री नरसिंहाराव ने 28 जुलाई 1993 को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान झामुमो सांसदों को रिश्वत देकर अपनी सरकार बचायी थी। 25 मार्च 1996 को सीबी आई ने झामुमो के 4 सांसदों सर्वश्री सूरजमण्डल सिबूसोरेन साईमन मरांडी और शैलेंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की। 24 मई 1996 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रामुमो की शिकायत के आधार पर सी बी आई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में नए सिरे से प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करे। रामुमो की शिकायत में श्री राव का नाम भी था। 4 सितंबर 1996 को सीबी आई द्वारा श्री राव से पूछताछ की गई 30 अक्टूबर 1996 को सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री राव बूटा सिंह एवं अन्य आरोपी मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया। 8 अप्रैल 1997 को अदालत ने आरोप निर्धारित करने का फैसला किया। जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 12 सितंबर 1997 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के सुनवाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 17 अप्रैल 1998 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सांसद लोक सेवक है लेकिन साथ ही कहा कि यदि रिश्वत लेने के बाद उन्होनें संसद में मतदान किया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत वे मुकदमा न चलाने के हकदार हैं। इस आदेश के बाद विशेष अदालत ने 9 अभियुक्तों को जो कि राव सरकार को बचाने के लिए रिश्वत लेने के अभियुक्त थे बरी कर दिया। 29 सितंबर 2000 को विशेष अदालत ने नरसिंहाराव एवं बूटा सिंह को दोषी करार देते हुए 9 अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया। 11 अक्टूबर 2000 को बचाव पक्ष और सरकारी वकीलों की दलीं सुनी। 12 अक्टूबर 2000 को विशेष अदालत ने श्री राव और बूटा सिंह को सजा सुनाई जिसका उल्लेख शुरु में किया गया है।

विशेष अदालत ने श्री राव व बूटा सिंह को मुख्य तौर पर इसी मामले मे अभियुक्त एवं बाद में सरकारी गवाह बने शैलेंद्र महतो के ब्यानों एवं नौरोजी नगर स्थित पंजाब नैशनल बैंक की शाखा में जमा कराई गई रिश्वत की राशी की पुष्टि होने के आधार पर दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने कहा कि अभियुक्त बूटा सिंह ही झामुमों के चारों सांसदों को अभियुक्त राव से मिलवाने उनके निवास पर ले गये थे और मैहतो के बयान के अनुसार वहां रिश्वत संबंध ी बात हुई इसके अलावा मैहतो के ब्यानों से स्पष्ट है कि उन्हें रिश्वत मिली जिसकी पुष्टि बैंक रिकार्ड से होती है। श्री महतो ने अपने बयानों में कहा कि श्री राव ने हमसे कहा कि आप सभी मेरी सहायता करो मैं भी आपकी सहायता करुंगा। इसी कड़ी में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में उनके दल की ओर से मण्डल ने हिस्सा लिया और हमने सरकार के पक्ष में वोट दिया।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों के अपराध की प्रकृति एवं उस समय उनकी स्थिति को देखते हुए बचाव पक्ष के इन तर्कों को खारिज कर दिया कि अभियुक्तो के साथ सहानुभूति बर्ती जानी चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार कैंसर प्लेग एडस आदि के समान फैल रहा है यह लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देगा। अभियुक्तों द्वारा किया गया फायदा पहुचाने का षड्यंत्र रचा। अभियुक्त राव ने अभियुक्त बूटा सिंह की मदद से गैर कानूनी रुप से घूस देकर अधिकार एवं देश की सत्ता में रहने का अधिकार खरीदने का प्रयास किया है। यह कार्य भारतीय संविधान के द्वारा देय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के टी थौमस द्वारा मध्य प्रदेश बनाम राम सिंह के मामले में भ्रष्टाचार के संबंध में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति थौमस ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार एक सथ्य समाज में कैंसर के समान है

जिसका समय पर पता नहीं लगाया जाता तो निश्चित रुप से यह देश की राजनीति को विनाश के कगार पर ले जाएगा। भ्रष्टाचार प्लेग की तरह भी है जो गंभीर बीमारी ही नहीं परंतु नियंत्रण न करने पर जंगल की आग की तरह फैल जाता है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार को हतोस्साहित करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि भ्रष्टाचार मे लिप्त उच्च स्तर पर बैठे जन सेवको को कडी सजा दी जाय इससे समाज में संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार मात्र प्राप्ती का साधन ही नहीं बल्कि खतरनाक व्यवसाय भी है। सभी तथ्यों को देखने के बाद विशेष न्यायाधीश ने महसूस किया कि अभियुक्त राव एवं बूटा सिंह किसी भी प्रकार की सहानुभूति पाने के हकदार नही है। अत: इन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। आगे अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी गवाह के बयान को अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि के अभाव में अपर्याप्त माना गया एवं अभियुक्ते को दिए गए दण्डादेश का रद्द कर दिया गया।

****

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
The Prevention of Cruelty of animal Act 1960

उद्देश्य (Object) इस अधिनियम का उद्देश्य अनावश्यक रुप से पशुओं को पीडा या कष्ट पहुचाने से रोकने व पशुओं के प्रति कूरता निवारण संबंधी विधि को संशोधित करना है।

धारा 1 नाम विस्तार और प्रारंभ (Short title extent and commencement) यह अधिनियम पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 कहलाएगा। जम्मूकश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा।

धारा 2 परिभाषाएं (Definitions)

(क) पशु से तात्पर्य मानव से भिन्न किसी जीवित प्राणी से है।

(ख) फूका या दूमदेह में हवा द्वारा किसी पदार्थ द्वारा दूध देने वाले पशु के स्त्री अंग (Female organ) पर दूध निकालने के उद्देश्य से उपयोग में लाए जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।

धारा 11 पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना (Treating animals cruelly) (1) यदि कोई व्यक्ति –

(1) किसी पशु को पीटता है लात मारता है दौडा-दौडा कर थका डालता है बहुत बोझ लाद देता है शारिरीक यंत्रणा देता है अथवा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीडा या यातना देता है अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार कराता है अथवा स्वामी होते हुए होने देता है

(ख) किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में या किसी प्रयोजन के लिए लगाता है जो अपनी आयु या किसी रोग निर्बलता घाव फोडा फुन्सी के कारण अथवा अन्य किसी कारण से इस कारण से काम में लाये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा स्वाम होते हुए ऐसे किसी अक्षम पशु को इस प्रकार काम मे लाये जाने की अनुमति देता है अथवा

(ग) जान बूझकर तथा अयुक्तियुक्त रुप से (किसी पशु) को हानिकारक औषधियां या पदार्थ खिलाता पिलाता है अथवा

(घ) किसी पशु को चाहे यान से उस पर अथवा नहीं, इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि उसे अनावश्यक पीडा या यातना हो अथवा

(ड़) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या बंधन में रखता है या बंद करता है जिसकी कि ऊचाई लम्बाई और चौडाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने डुलने या युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके अथवा

(च) किसी पशु के अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बांधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रुप से छोटी या अयुक्तियुक्त रुप से भरी जंजीर या रस्सी से बांधकर रखता है। अथवा

(छ) स्वामी होते हुए किसी कुत्ते को जो हमेशा जंजीर से बंधा रहता है या संकीर्ण परिरोध में रखा जाता है युक्तियुक्त रुप से घुमाने फिराने या घुमवाने फिरवाने में अवहेलना करता है। अथवा

(ज) किसी पकडे हुए पशु का स्वामी होते हुए उस पशु को पर्याप्त खाना पीना या आश्रय नहीं देता है अथवा

(झ) युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करता है जिनसे यह सम्भाव हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीडा सहन करनी पड़े अथवा

(ञ) किसी पशु को जिसका किस वह स्वामी जान बूझकर किसी सडक से मुक्त रुप से जाने देता है जबकि वह पशु संसर्गजन्य (Cotagious) या संक्रामक रोग से ग्रस्त है अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोगग्रस्त या अपंग पशु को जिसका वह स्वामी है किसी सड़क पर मरने देता है। अथवा

(ट) किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त कारण विना अपने आधिपत्य में रखता है जो कि अंग विच्छेद भूख प्यास या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त है अथवा

(ठ) किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को (आवारा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए) हृदय में स्ट्राइकनाइन इजैक्शनों की पद्धति के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य आवश्यक रुप से निर्दयतापूर्वक रीति से मार डालता है अथवा

(ड) केवल मनोरंजन उपबंध कराने की दृष्टि से

(1) किसी पशु का निरोध करता है या कराता है (किसी टाइगर या अन्य अभयारण्य के चारे के रुप में किस पशु को बांधने को सम्मिलित करते हुए) जिससे कि वह किसी अन्य पशु का आहार बन सके या

(2) किसी पशु को लडने या अन्य पशु को सताने को उद्दीप्त करता है अथवा

(ढ) अपने व्यापार के पयोजनार्थ पशु को संत्रस्त करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान को विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके प्रबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोलि के लिए किसी स्थान का प्रयोग में लाये जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजनो के लिए रखे गये या प्रयोजित किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है अथवा

(ण) किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्ररित करता है या उसमें भाग लेता है जिसमें कि ऐसे लक्ष्यभेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बंदी अवस्था से मुक्त किया जाता है। (वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से जो दस रुपयें से कम नहीं होगा किंतु पचास रुपये तक का हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर कारित किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रुपये से कम नही होगा किंतु जो एस सौ रुपये तक का हो सकेगा या तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा)

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के लिए यह मान जायेगा कि उसने अपराध किया है यदि वह ऐसे अपराध की दृष्टि से युक्तियुक्त सावधानी तथा देख रेख करने में चूक करता है परन्तु जब स्वामी को निर्दयता की अनुमति देने के लिए केवल इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि ऐसी सावधानी बरतने में देखरेख करने में उससे हुई है तो वह अर्थ दण्ड के विकल्प के बिना कारावास के दण्ड का भागी होगा।

(3) इस धारा की कोई बात –

1) निर्दिष्ट रीति में किसी पशु क सींग काटने अथवा बधिया करने अथवा दाहांकित करने अथवा नकेल बांधने के प्रति अथवा

2) वघशालों प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु के उन्मूलन या विनाश के प्रति अथवा

3) त्तसमय प्रवृत किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु के उल्मूलन या विनाश के प्रति अथवा

4) अध्याय 4 विषयक किसी मामले के प्रति अथवा

5) मनुष्यों के लिए भोजन के रुप में किसी पशु के विनाश हेतु तैयारी के क्रम में किसी कार्य के लिए जाने या उसके लोप के प्रति, तब तक कि उस विनाश या तैयारी में अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाये जाने का योग्य न हो, लागू नहीं होगा।

धारा 12 फूंका या दूमदेह के प्रयोग के लिए दण्ड (Penalty for practising Phooka or doom) यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दूध देने वाले पर फूंका या दूमदेह कहलाने वाली क्रिया से दूध देने के सुधार कोई अन्य क्रिया (किसी पदार्थ के इंजेक्शन को सम्मिलित करते हुए) का प्रयोग करता है अथवा कब्जे के अधीन या नियंत्रित ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है दो वर्ष की अवधि के कारावास से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया की गई है सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जायेगा।

धारा 31 अपराध का संज्ञान (Cognizability of offences) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अर्न्विष्ट किसी भी बात के होते हुए धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) खण्ड (ढ) या खण्ड (ण) या धारा 12 के अधीन दण्डनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध होगा।

धारा 32 तलाशी और अभिगृहण की शक्ति (Power of search and seizure) (1) यदि उपनिरीक्षक (सब-इंसपेक्ट) की पंक्ति से ऊपर का पुलिस पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय कोई अपराध किसी स्थान पर किया जा चुका है या किया जा रहा है तो ऐसे स्थान में ऐसा पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर सकेगा और संबंधित पशुओं या खाल को अभिगृहित कर सकेगा और उसे पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

धारा 34 परीक्षण के लिए अभिगृहण की सामान्य शक्ति (General power of seizure for examination) सिपाही (आरक्षी) की श्रेणी से ऊंचा कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के विरुद्ध किसी पशु के संबंध में अपराध किया गया है या किया जा रहा है यदि उसके विचार में परिस्थितयां ऐसी अपेक्षा करती है उस पशु को अभिगृहीत द्वारा या ऐसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाये परीक्षण के लिए प्रस्तुत करा सकेगा और वह पुलिस पदाधिकारी या प्राधिकारी व्यक्ति पशु को अभिगृहीत करते समय उसके प्रभारी व्यक्ति से परीक्षण के स्थान तक उसके साथ चलने की अपेक्षा कर सकेगा।

****

लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम

(Prevention of Damage to public property Act)1984

उद्देश्य (Object) इस अधिनियम का उद्देश्य लोक संपति का हानि से निवारण करना हैं और उससे संबंधित विषयों के लिए प्रावधान करना है।

धारा 2 परिभाषाएं

(1) रिष्टी (mischief) हानि का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 में है। (धारा 425 भा0द0सं0 – जो कोई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को संदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पडता है वह रिष्टी कारित करता है)

(2) लोकसंपत्ति से अभिप्रेत है कोई चल या अचल संपत्ति (मशीनरी आदि को सम्मिलित करते हुए) जो निम्नलिखित के स्वामित्व में या उनके कब्जे में अथवा नियंत्रण में हो–

केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के या केन्द्रीय या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के या कम्पनी अधिनियम 1956 कीधारा 617 में पारिभाषित किसी कंपनी के या किसी संस्थान संस्था या उपक्रम के जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधि सूचना द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट करे।

परन्तु केंद्रीय सरकार इस खण्ड के अधीन किसी संस्थान (institution) संस्था (association) या उपक्रम को तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ये प्रत्यक्षत: या परोक्षत: केंद्रीय सरकार द्वारा या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा अशंत: केंद्रीय सरकार द्वारा अशंत: एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधि से पूर्णत: सहायता प्राप्त ना हो।

धारा 3 लोक संपत्ति को हानि पहुचाने वाले कार्य (Mischief causing damage to public property)

(1) जो कोई उपधारा 2 में उल्लिखित प्रकृति की लोक संपत्ति के सिवाय किसी लोक संपत्ति के संबंध में कोई कार्य करके हानि पहुंचाता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई निम्नलिखित प्रकार की किसी लोक संपत्ति को कोई कार्य करके हानि पहुचाता है – जल प्रकाश बिजलि या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या अपूर्ति के लिए प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य कोई संपत्ति कोई तेल प्रतिष्ठान कोई मल (sewage) कार्य, कोई खान (माइन) या कारखाना लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे संबंधित या प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान अथवा अन्य संपत्ति को तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छ: माह से कम की नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 4 अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को हानि करने वाले कार्य (Mischief cauing damege to public property by fire or explosive substance) जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या 2 के

अधीन परिभाषित अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा तो वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं किंतु दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 5 जमानत के संबंध में विशेष प्रावधान (special provisions regarding bail) धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का कोई अभियुक्त या सिद्धोष कोई व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है तो तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दिया गया हो।

धारा 6 व्यावृति (Saving) इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे ना कि उन्हें कम करने वाले तथा इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से (चाहे अनुसंधान के दौरान या अन्यथा) उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगी जो इस अधिनियम उसके विरुद्ध की जा सके।

धारा 7 निरसन और व्यावृति (Repeal and saving) लोक संपत्ति हानि निवारण अध्यादेश 1984 इस अधि नियम के द्वारा निरस्त किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

****

अनैतिक व्यापक (निवारण) अधिनियम, 1956

Immoral traffic(prevention) act 1956

उद्देश्य (वेश्यावृति) उतना ही पुराना अपराध है जितना की मानव जाति का इतिहास। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से वेश्यावृति का अपराध मानव के साथ किसी रुप में मौजूद रहा है। आज जबकि यह विशेष कानून इस अपराध को रोकने के लिए विद्यमान है, तब भी सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एवं कानूनी दृष्टि से भी यह महसूस किया जाता है। कि वेश्यावृति को समाप्त किया जा सकता है जिनसे मानव का शारीरिक शोषण होता है।

गौरव जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य ए आई आर 1997 एस सी 3021 एस सी 3021 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राज्य एवं गैर सरकारी संगठन जो अपनी इच्छा से सामजिक सेवा में समर्पित है उनका यह कर्तव्य है कि वेश्यावृति से पीड़ित व्यक्तियों को खाने पीने रहने शिक्षा और आर्थिक सहायता आदि की दिशा में कार्य करे और यदि संभव हो सके तो उनमें वैवाहिक संबंध बनाये जिससे वे समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके।
इस अधिनियम में कुल 25 धाराएं हैं

धारा 1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ (Short titel, name and extent) यह अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

धारा 2. परिभाषा (Definitions)

चकला (Brothel) इसके अंतर्गत मकान कमरा, स्थान या कोई वाहन जो वेश्यावृति के लिए या वेश्याओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है चकला माना जाएगा।

वेश्यावृति (Prositutution) इसका मतलब कामवासना का दुरुपयोग या शारिरीक शोषण से है जब ऐसा काम व्यापार बतौर (commercial) के लिए किया जाता है।

सार्वजनिक स्थान (Public Place) इसका मतलब ऐसे किसी स्थान से है जहां लोगों को आने जाने का अधिकार है और इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभा शामिल है।

बालक (Child) बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नही की है

अव्यस्क (Minor) अव्यस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

विशेष पुलिस अधिकारी (Special police Officer) इसका मतलब ऐसे पुलिस अधिकारी से है जो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। (धारा 13 के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का नही होगा)

ट्रेफिकिग पुलिस अधिकारी (trafficking police officer)से मतलब ऐसे पुलिस अधिकारी से है जो इस एक्ट की धारा 13 की उपधारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा एक या अधिक राज्यों में इस अधि नियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

इस अधिनियम के अंदर आनेवाले विशेष प्रावधान

1. इस अधिनियम के अंतर्गत पुरुष एवं महिला दोनों ही वेश्यावृति के लिए समान रुप से अपराधी है।

2. वेश्यावृति को तभी अपराध माना गया है जब वह व्यापारिक दृष्टि की जा रही है यदि कोई पुरुष या स्त्री एक दूसरे के साथ पति-पत्नि की तरह रहते है लेकिन वास्तव में वे पति पत्नी नहीं है तो वह वेश्यावृति का अपराध नहीं है क्योंकि वे दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के प्रति आत्म समर्पित है।)

3. इस अधिनियम में सभी संज्ञेय अपराध है (धारा 14)

4. इस अधिनियम की धारा 3 से लेकर 9 तक अपराध है।

धारा 3 वेश्यावृति बनाये रखने अथवा परिसर को वेश्या गृह के रुप में प्रयोग करने की स्वीकृति देने के लिए दण्ड (punishment for keeping a brothel or allowing premises to be used as a brothel) जो कोई वेश्या गृह का चलाता है या प्रबंध करता है या बनाये रखने का प्रबंध करने में सहायता देता है या कार्य करता है जो वह पहली बार दोषसिद्ध होने पर ऐसे कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी और तीन वर्ष से अधिक न होगी और जुर्माना जो दो हजार रुपये तक होगा तथा दूसरी एवं पश्चातवर्ती दोषसिद्धि होने पर कम से कम दो वर्ष तक कठोर कारावास व पांच वर्ष से अधि क न होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जो

(क) किसी परिसर का किरायेदार पट्टेदार अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रुप मे प्रयोग करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने देता है या

(ख) किसी परिसर का स्वामी पट्टादाता या भूस्वामी या ऐसे स्वामी पट्टादाता या भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए उसे या उसके किसी भाग को, यह जानते हुए कि वह परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के रुप मे प्रयोग किये जाने को आशयित है या प्रयोग करने देता है। या किसी पाटी को स्वेच्छा ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रुप में प्रयोग करने देता है वह पहली दोषसिद्ध होने पर ऐसे कारावास से दण्डनीय जिसकी अवधि में दो साल तक होगी और दो हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा तथा दूसरी व पश्चातवृत्ति दोषसिद्धि होने पर पांच साल तक कठोर कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 4 वेश्यावृति से प्राप्त आय जीवन निर्वाह करने पर (Punishment for living on the earning of prostittion)

(1) अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृति से प्राप्त धन पर पूरी तौर पर अंशत: जीवन निर्वाह करता है। वह ऐसे कारावास से जिसकी दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपयों तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा (और जहां ऐसी आय बालक या अव्यस्क से संबंधित हो वह कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक दस वर्ष तक की अवधि के

कारावास से दण्डनीय होगा)

(2) जहां कोई व्यक्ति अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक सिद्ध हो गया है यदि वह

(क) किसी वेश्या के साथ रह रहा हो या उसकी संगति में आदतन रहता हो या

(ख) किसी वेश्या के कार्य कलापों इस प्रकार नियंत्रण निर्देशन या प्रभाव डालता है जिससे यह प्रंतीत हो कि ऐसा व्यक्ति वेश्यावृति करने में सहायता दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है या

(ग) किसी वेश्याकी ओर से दलाल या ग्राहक खोजने वाले के रुप में कार्य कर रहा हो

तो जब तक प्रतिकूल सावित न हो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) जो अर्थो के लिए अन्य व्यक्ति के वेश्यावृति से प्राप्त आय पर जान बूझ कर जीवन निर्वाह कर रहा है

धारा 5 वेश्यावृति करने के लिए व्यक्ति को लेना उत्प्रेरित या या प्राप्त (उपार्जित) करना : (1) कोई व्यक्ति जो

(क) वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को उसकी संमति से या उसकी संमति के विना उपार्जित (हासिल) करता है या उपार्जित करने का प्रयत्न करता है

(ख) व्यक्ति को किसी स्थान को जाने को उत्प्रेरित करता है ताकि वह वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए बार - बार आ-जा सके या

(ग) किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसके द्वारा वेश्यावृति करने या उस पर वेश्यावृति कराने की दृष्टि से ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है या ले जाया जाने देता है

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृति कराता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है।

तो यह दोषसिद्धि होने पर ऐसे कठोर कारावास से दण्ड नीय होगा जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष होगी और जो सात वर्ष से अधिक न होगी तथा वह दो हजार रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि इस धारा के अधीन कोइ अपराध उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया है तो कारावास की अवधि सात वर्ष से चौदह वर्ष बढाई जा सकती है

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है (1) बालक है तो इस धारा के अधीन उपबंधित दण्ड कम से कम सात वर्ष और आजीवन तक की अवधि के कारावास तक बढाया जाएगा और

(2) अव्यस्क है तो इस धारा के अधीन उपबंधित दण्ड कम से कम 7 वर्ष और 14 वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास तक बढाया जाएगा।

धारा 6 किसी व्यक्ति का परिसर में निरोध जहां वेश्यावृति की जा रही हो (detaining a person in premises were prostitution is carried of) (1) कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को उसकी संमति से या विना संमति से निरुद्ध करता है

(क) किसी वेश्यागृह में या

(ख) किसी परिसर में या उस पर आशय से किसी से कि ऐसा वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो उसकी पति या पत्पी नहीं है मैथुन कर सके

सिद्धोष होने पर किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नही होगी किंतु जो आजीवन तक की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा

धारा 7 सार्वजनिक या उसके आस पास वेश्यावृति (prostitution in or in the viciity of public

place) (1) कोई व्यक्ति वेश्यावृति कराता है और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृति की गई है किसी परिसर में

(क) जो कि उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के भीतर है या

(ख) जो कि लोक धार्मिक पूजा शिक्षण संस्था होस्टल चिकित्सालय प्रसूति गृह या किसी प्रकार के अन्य लोक स्थानों से 200 मी0 की दूरी के भीतर हो जैसे निमित्त पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति में अधिसूचित किए जाए ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कारित अपराध बालक या अव्यस्क की बाबत हो तो अपराध कारित करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी या जिसकी अवधि की वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का दायी होगा

परन्तु न्यायालय अपने निर्णय मे विशेष कारण लिखकर सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

धारा 8 वेश्यावृति के परियोजन के लिए बहकाना या मोहित करना (Seduction or soliciting for purpose of prostitution) जो कोई किसी लोक स्थान में या उसके संबंध क्षेत्र में या ऐसी रीति मे जिसे लोक स्थान से देखा या सुना जा सके चाहे किसी भवन में या मकान में या कहीं और से

(क) शब्दों हाव-भावों उसके शरीर के जानबूझकर प्रदर्शन (चाहे खिडकी या बालकनी पर बैठकर किसी अन्य तरीके से) या अन्यथा द्वारा वेश्यावृति के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभित करता है प्रलोभित करने का प्रयास करता है अथवा उसका ध्यान आक्रषित कराता है या आक्रर्षित करता है या

(ख) वेश्यावृति के परियोजन के लिए किसी व्यक्ति याचना करता है या पीड़ा पहुचाता है या इध र उधर घूमता है या ऐसी रीति में कोई कार्य करता है जिससे ऐसे लोक स्थान के समीप रहने वालों या गुजरने वालों को क्षोम या बाधा कारित हो या लोक शिष्टता के विरुद्ध कारित हो वह प्रथम दोष सिद्धि पर छः मास तक की अवधि के कारावास से पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा मे एक वर्ष की अवधि के कारावास और पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा

जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी **पुरुष** किया गया हो तो कम से कम सात दिन किंत तीन मास तक कि हो सकने वाली कलावधि के लिए, कारावास दण्डनीय होगा

धारा 9 अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को बहकाना (seduction of a person in custody) कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को वेश्यावृति के लिए फुसलाने का दुष्प्रेरण करता है या सहायता करता है या कराता है (दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक के कारावास या आजीवन तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 14 अपराधों कासंज्ञेय होना - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध उस संहिता के अभिप्रायों में संज्ञेय अपराध समझा

जाएगा।

परन्तु उस संहिता में किसी बात के होते हुए भी

(1) बिनावारण्ट गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी अथवा उसके निर्देशों या मार्ग दर्शन के अधीन अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अधयाधीन ही की जा सकेगी

धारा 15 वारण्ट बिना तलाशी (search without warrant) त्तसमय प्रवत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब भी कभी विशेष पुलिस अधिकारी या ट्रेफीकिंग पुलिस अधिारी को यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी परिसर में रह रहे किसी व्यक्तिके संबंध में किया जा सकेगा या हो रहा है और वारण्ट के साथ परिसर की तलाशी बिना अनुचित विलब के नहीं की जाा सकती तो ऐसा व्यक्ति उसके विश्वास करने के कारणों के लिखने के बाद परिसर में बिना वारण्ट के प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

ऐसी तलाशी लेने से पूर्व पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र के जिसमें तलाशी लिये जाने वाला स्थान स्थित है। दो या दो से अधिक सम्मनित निवासियो को जिनमे कम से कम एक महिला होगी तलाशी के समय उपस्थित रहने और साक्षी/गवाह होने को बुलाएगा और वैसा करने के लिए उनको या उनमें से किसी को लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

धारा 16 किसी व्यक्ति को छुडाया जाना(1) जहां मजिस्ट्रेट पुलिस से या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा प्राप्त सूचना पर विश्वास करने के कारण हो कि कोई व्यक्ति वेश्या गृह में रह रहा है या वेश्यावृति कर रहा है या करने के लिए मनाया जा रहा है तो वह उप निरिक्षक की पंक्ति से निमितत्त को ऐसे वेश्यागृह मे प्रवेश करने और वहां ऐसे व्यक्ति को हटाने और उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दें सकेगा।

(2) वह पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को हटाने के पश्चात त्तकाल उसे आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

धारा 22 क - विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी जिले में या महानगर क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराधों का तीव्रगति से विचारण करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे जिले या महानगर क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के यथा स्थिति एक या अधिक न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

****

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

Protection of Civil Right Act, 1955

उद्देश्य (Object) अस्पृश्यता का प्रचार और आचारण करने और उनसे किसी निर्योग्यता को लागू करने और उससे संबंधित बातो के लिए दण्ड करने का अधिनियम।

यह एक विशिष्ट कानून है जो विशिष्ट प्रकार में अपराधों के कानून के बारे में लागू होता है। जबकि भारतीय संविधान का अनु. 14 के अनुसार ''राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र मे किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियो के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।'' यथार्त कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है और सबके लिए एक समान कानून होगा इस दृष्टि से यह अधिनियम जो विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में बनाया गया है संविधान के अनुसंधान 14 का उल्लंघन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि:-

सविधान के अनु 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त (abolition of untouchability) किया जाता है। और उसका किसी रुप में आचरण निश्चित किया जाता है अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 46 के अनुसार - राज्यका यह कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति सभी प्रकार के शोषण और अन्याय का निवारण करें उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया जिसकी अनुमति संविधान के अनु. 17 से प्राप्त होता है

स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम अप्पा बालु इग्ले, ए आई आर 1993 सू को 1126 के मामले में कहा गया कि अधिनियम केवल दण्डात्मक अपराधों को निर्धारित नहीं करता ह अपितु दलित के नागरिक अधिकारो को भी संरक्षण प्रदान करता है इस अधिनियम की व्याख्या संविधान के प्रावधानो विशेषकर अनुच्छेद 17 के उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर की जानी चाहिए।
इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं हैं।

धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ (short title name and extent)

(1) यह अधिनियम नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 कहलाएगा।

(2) इस अधिनियम संपूर्ण भारत पर है।

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) सिवित अधिकार (Civil rights) से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रत है जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है।

(क-क) होटल (Hotel) अन्तर्गत जलपान गृह भोजनायह वासा काफी हाऊस और काफे भीर शामिल है।

(ख) स्थान (Place) के अंर्तगत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर और उसके अंतर्गत तम्बू यान और जलयान भी शामिल है।

(ग) **लोक मनोरंजन (Place of public entertainment)** स्थान के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान आता है। जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है। और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है।या मनोरंजन किया जाता है।

स्पष्टीकरण : मनोरंजन के अंतर्गत कोई प्रदर्शनी नाटक खेलकूद क्रीडा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी शामिल है।

(घ) **लोक पूजा स्थान (Place of public worship)** से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहां कोई धार्मिक सेवा प्रार्थना के लिए किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके विभाग के व्यक्तियों को साधारतणत: समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणत: उपयोग में लाया जाता है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है।

(1) ऐसे किसी स्थान के साथ या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र स्थान

(2) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुत: उसे लोक पूजास्थान के रुप मेंउपयोग में लाने की आज्ञा देता है, और

(3) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजास्थान से जुडी ऐसी भूमि का गौण पवित्र स्थान जिसका स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा स्थान के रुप मेंउपयोग में लाने की आज्ञा देजा है।

(घ-ख) अनुसूचित जाति (Scheduled castes) का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में उसे दिया गया है।

(ड) **दुकान (Shop)** से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है और इसके अंर्तगत निम्नलिखित हैं।

(1) कोई ऐसा स्थान जहां फेरी वाले या विक्रेता द्वारा या चलती फिरती गाडी (रेहडी) से माल का विक्रय किया जाता है।

(2) लांड्री और बाल काटने का हेयर कटिंग सेलून

(3) कोई अन्य स्थान जहां ग्राहकों को सेवायें प्रदान की जाती है।

धारा 3 धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड (Punishment for inforcing religious disabilities) जो कोई किसी व्यक्ति को

(क) किसी ऐसे लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से रोके, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका वह व्यक्ति हो अथवा

(ख) किसी लोक पूजास्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा किसी पवित्र तालाब कूएं जलस्त्रोत या जल सारणी नदी या झील के किसी घाट पर स्नान उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से रोके जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले या उसके

किसी विभाग से अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो जिसका वह व्यक्ति हो,

''अस्पृश्यता'' के आधार पर मना करेगा वह कम से कम एक माह और अधिक से अधिक छह माह की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

स्पष्टीकरण – इस धारा और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध सिक्ख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिंदु धर्म के किसी भी रुप या विकास को मानने वाले व्यक्ति जिनके अंतर्गत वीरशैव, लिंगाायत, आदिवासी, ब्रम्ह समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी शामिल हैं हिंदू समझे जाएंगे।

धारा 4 सामाजिक निर्योगिता लागू करने के लिए दण्ड (Punishment for inforcing social disabilities) जो कोई व्यक्ति के विरुद्धनिम्नलिखित के संबंध निर्योग्ता ''अस्पृश्यता'' के आधार पर लागू करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1) किसी दुकान, लोक अल्पाहारगृह (Public restaurant), होटल या लोक मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने से रोके, अथवा

(2) किसी लोक अल्पाहारगृह होटल धर्मशाला सराय या मुसाफिरखाने में जनसाधारण या उनके करने सेरोके अथवा

(3) कोई व्यवसाय या आजीविका या किसी काम में नियोजित करने से रोके अथवा

(4) ऐसा किसी नदी जलधारा जलस्त्रोत कूएं तालाब हौज पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नानघाट कब्रिस्तान या शमशान स्वच्छता संबंधी सुविधा सड़क या रास्ते या लोक अभिगमन के अन्य स्थान का जिसका उपयोग करने के लिए या जिसका प्रयोग करने का अधिकार रखता है या उपयोग करने या उसमें प्रवेश करने से रोके, अथवा

(5) राज्य निधियों से पूर्णत: या अंशत: संचालित पूर्त (धमार्थ) या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या जनसाधारण के या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए समर्पित स्थान का, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करने से रोके अथवा

(6) जनसाधारण या उसके किसी विभाग के व्यक्तियो के जिसका वह व्यक्ति हो फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्व न्यास के अधीन किसी फायदे का उपयोग करना अथवा

(7) किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना अथवा

(8) किसी भी परिक्षेत्र में किसी निवास परिसर को बनाने प्राप्त करने या प्रवेश करने से रोके अथवा

(9) किसी ऐसी धर्मशाला सराय या मुसाफिरखाने का जो जनसाधारण याउसके किसी विभाग के व्यक्तियों के लिए, जिसका वह व्यक्ति हो, खुला हो, उपयोग ऐसे व्यक्ति के रुप में करने से रोके अथवा

(10) किसी सामाजिक या धार्मिक रुढि प्रथा या कर्म या अनुपालन या किसी धार्मिक सामाजिक या सांस्कृतिक जलूस निकालने से रोके, अथवा

(11) आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करने से रोके।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कोई निर्योग्यता लागू करना'' के अंतर्गत के ''अस्पृश्यता'' के आधार पर विभेद करना है।

धारा 5 अस्पतालों आदि में प्रवेश करने से इंकार करने के लिए दण्ड (Punishment for refusing to admit person to hospitals, etc.) जो कोई ''अस्पृश्यता'' के आधार पर

(1) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल औषधालय शिक्षा संस्था या किसी छात्रा वास में यदि वह अस्पलाल औषधालय शिक्षा संस्था या छात्रवास जन साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो प्रचेश करने देने से अंकार करेगा अथवा

(2) उपरोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण कार्य करेगा

जो वह कम से कम एक मास और अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 6 - माल बेचने से या सेवा करने से इंकार करने के लिए दण्ड (Punishment for refusing to sell goods are render servives)

जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निर्बन्धनों और शर्तो पर जिन पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से ''अस्पृश्यता'' के आधार पर इंकार करेगा, तो वह कम से कम एक एक माह और अधिक से अधिक छः माह की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 7 अस्पृश्यता से उत्पन्न अन्य अपराधों के लिए दण्ड (Punishment for other offences arising of untouchability)

(1) जो कोई

(क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्पृश्यता'' के अंत होने से उसको प्राप्त होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से रोकेगा अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीडन करेगा, क्षति पहुंचाएगा क्षुब्ध करेगा बाधा डालेगा या बाधा कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के कोई ऐसा अधिकार प्रयोग

करने के कारण उसे उत्पीडित करेगा क्षति पहुंचाएगा क्षुब्ध करेगा या उसका वहिष्कार करेगा, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या जन साधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दुष्यरुपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रुप में ''अस्पृश्यता'' का आचरण करने के लिए उत्तेजिक या प्रोत्साहित करेगा (अस्पृश्यता का इस खण्ड के लिए वही अर्थ होगा जो आगे इस धारा के स्पष्टीकरण 2 के अंर्तगत दिया गया है) अथवा

(घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का ''अस्पृश्यता'' के आधार पर अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा,

तो वह कम से कम एक एक माह और अधिक से अधिक छः माह की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति का बहिष्कार करता है यदि वह

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई गृह भूमि पट्टे पर देने से इंकार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी गृह या भूमि के उपयोग या अधिभोग के लिए आज्ञा देने से इंकार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहर करने से उसके लिए भाडे पर काम करने से या उसके साथ कारबार करने से या उसकी कोई रुढिगत सेवा करने से या उससे कोई रुढिगत सेवा लेने से इंकार करता है या उक्त बातो में से किन्हीं ऐसी शर्तो पर करने से इंकार करता है जिन पर ऐसी बातें कारबार के साधारण अनुक्रम में सामान्यतः की जाती अथवा,

(ख) ऐसे सामाजिक व्यवसायिक या कारोबारी संबंधों से पृथक कर लेता है जैसे वह ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ साधारणतया बनाए रखता।

स्पष्टीकरण 2 खण्ड (ग) के प्रयोजनो के लिए यदि कोई व्यक्ति -

(1) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ''अस्पृश्यता'' का या किसी रुप में इसके आचनण का प्रचार करेगा अथवा

(2) किसी रुप में ''अस्स्पृश्यता'' के आचरण को चाहे ऐतिहासिक दार्शनिमक या धार्मिक आधारों पर या जाति व्यवस्था की किसी परम्परा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर न्यायोचित ठहराएगा।

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह ''अस्स्पृश्यता'' के आचरण को उत्तेजित या प्रोत्साहित करता है।

(1-क) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग किये जाने के कारण जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्स्पृश्यता'' का अन्त करने के कारण उसे प्राप्त हुआ है प्रतिशोध के रुप में या बदला लेने की भावना से करेगा, तो वह जहां अपराध जो किया गया है दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा

(2) जो कोई इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने ''अस्स्पृश्यता'' का आचरण करने से इंकार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है

(1) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधि

कार से वंचित करेगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो अथवा

(2) ऐसे व्यक्ति जो जाति से अलग करने में कोई भाग लेना

तो वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छः मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 7-क- अवैध अनिवार्यश्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा (Unlawful compulury labour when to be deemed to be a practive of untouchability)-

(1) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु की खाल खीचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए ''अस्पृश्यता'' के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ''अस्पृश्यता'' से उत्पन्न निर्योग्यता को लागू किया है।

(2) जो कोई अस्पृश्यता से उत्पन्न निर्योग्यता को लागू करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 माह से कम नहीं लेकिन छः माह तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से भी जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा लेकिन 500 रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 10 अपराधो का दुष्प्रेरण (Abetment of offences) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जायेगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई लोक सेवक जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

धारा 10 क - सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति (Power of State government to impose collective fine) (1) यदि निर्धारित रीति में जांच करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से संबंधित है या उसका दुष्प्रेरण कर रहे, या ऐसे अपराध किये जाने से संबंधित व्यक्तियों को आश्रय दे रहे हैं या अपराध या अपराधियों का पता लगाने या पकड़ जाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के लिए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं तो राज्य सरकार सरकरी गजट में से अधिसूचना द्वारा ऐसे निवासियों पर सामूहिक रुप से ऐसा जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

धारा 11 - पश्चातवर्ती अपराधों में बढी हुई सजा (enhanced punishment for subsequent offences) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दोषसिद्ध होने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का पुनः दोषसिद्ध होने पर -

(क) द्वितीय अपराध के लिए, कम से कम छह माह और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम दो सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए कम से कम एक

वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम पांच सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 12- कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा (Presumption by court in certain cases) जहां इस एक्ट के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किए जाए वहां तब तक कि इसके विपरीत न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है।

धारा 15- अपराध संज्ञेय होने (Offences to be cognizable)

(1) इस धारा के अनुसार द0प्र0सं0 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा।

(2) जब किसी लोक सेवक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हुए किया है। तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान (ए) केंद्र के कार्यों में नियोजित व्यक्ति की दशा केंद्र सरकार की और (बी) किसी राज्य के कार्यों में नियोजित व्यक्ति की दशा मे संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

धारा 16- अधिनियम के अन्य विधियों पर अधिभावी होगा (This is act to over write other laws) इस अधिनियम के उपबंध किसी त्तसमय प्रवृत्त विधि अथवा किसी प्रथा या रीति या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखित आदेश के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

धारा 16 क - अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होगा (Probation of offenders Act, 1958 not to apply to persons above the age of fourteen years) अपाराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 (1958 का 20) के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो चौदह वर्ष की आयु से अधिक आयु का है और इस अधि नियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है।

****

महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986

indecent representation of Women (prohibition) Act, 1986

उद्देश्य (Object) इस अधिनियम के द्वारा विज्ञापन या प्रकाशन, लेखन, चित्रण, रुपण या किसी अन्य प्रकार से महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन का प्रतिषेध किया है।

धारा 1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (Short title, name & ccommencement) यह अधिनियम महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम 1986 कहलाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर होगा।

धारा 2 - परिभाषाएं (Definitions)

(क) विज्ञापन (Advertisement) के अंतर्गत कोई सूचना पत्र, परिपत्र, लेबल, रेपर, या अन्य कोई दस्तावेज अथवा ध्वनि, या कष्ट के माध्यम से किया गया कोई दृश्य-प्रदर्शन अभिप्रेत है।

(ख) वितरण (Distribution) वितरण के अंतर्गत, नमूने के रुप में चाहे मुक्त अथवा शामिल होगा।

(ग) महिलाओ का अशिष्ट-प्रदर्शन (Indecwent representation of women) से अभिप्रेत है, वह स्त्री की या आकृति, उसके रुप या शरीर अथवा उसके भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने का या अल्पीकृत करने पर या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव रुप में हो या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अपदूषण (nuisence)अथवा नैतिकता को हानि पहुचाने की संभावना हो,

(घ) लेबल (Label) से किसी पेकेट या चिपकाई या दृश्य कोई लिखित, चिन्हित, सील द्वारा मुद्रित, मुद्रित की गई या रेखा चित्र कोई सामग्री अभिप्रेत है।

(द) पैकेज(Package) के अंतर्गत, कोई बॉक्स, कार्टून, टीन या अन्य पैकेट है।

धारा 3- महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन करने वाले विज्ञापनों का निषेध (Prohiviton of advertisements containing indecent representation of women.) कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा और न ही कराएगा अथवा ऐसी किसी प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग ही लेगा, जिसमे किसी भी प्रकार से महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन अन्तर्विष्ट हो।

धारा 4 - महिलाओ का अशिष्ट प्रदर्शन करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रदर्शन और डाक से भेजने का निषेध (Probibition of publication or sending by post of books, pemplets, etc. containing indecent representation of women) कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर स्लाईड, लेखन फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र प्रदर्शन या चित्र जिसमें महिलाओं के किसी रुप मे अशिष्ट पदर्शन किया गया हो, न तो उत्पादित कराएगा न तो विक्रय कराएगा, और न किराए पर देगा, तथा न उसका वितरण या परिचालन करेगा या डाक द्वारा भेजेगा -

परन्तु इस धारा कोई बात तब तक लागू नहीं होगी

(क) किसी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाईट्स फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रोपण या आकृति पर

1) जिसका प्रकाशन लोकहित में न्यायोचित होना इस आधार पर सिद्ध हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर स्लाईड, लेखन फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, छाया चित्र, रोपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या सामान्य प्रयोग की विद्या या उद्देश्यों के लिए है, या

2) जो धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है,

(ख) कोई मूर्ति या उत्कीर्ण किया गया चित्र या अन्यथा कोई रुपण हो जो–

1) प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 244) के अर्थो में किसी प्राचीन स्मारक पर या उसमें हो, अथवा

2) किसी मंदिर या मंदिर की मूर्ति के प्रवहण के लिए प्रयुक्त या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई या प्रयुक्त किसी वाहन पर हो या उसमें हों,

(ग) कोई फिल्म जिस पर सिनेमेटाग्राफी अधिनियम 1952 (1952 का 37) के दो उपबंध लागू होते हैं।

धारा 5 - प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति (Power to enter and search) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं।

धारा 6 - दण्ड (Panalty) कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, प्रथम बार दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास के जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि छह माह से कम न होगी किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रुपयों से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

धारा 8 - अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना (Offences to eb cognizable and bailable.)

1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध जमानतीय होगा।

2) इस अधिनियम के अधीन के अपराध संज्ञेय होंगे।

****

रेलवे संपत्ति (विविधविरुद्ध) कब्जा) अधिनियम, 1966

(The Railway property (unlawful possession) Act, 1966

उद्देश्य (object) रेलवे संपति के विधिविरुद्ध कब्जे से संबंधित विधि को समेकित व संशोंधित करने के लिए अधि नियम।

धारा 1 - संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारम्भ (Sort title name & commencement) -
यह अधिनियम रेलवे संपत्ति (विधिविरुद्ध) कब्जा अधिनियम 1966 कहलाएगा।
यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

धारा 2 - परिभाषाएं (Definitions)
रेलवे सम्पत्ति (Railway Property) रेलवे संपत्ति मे कोई भी वस्तु धन या मूल्यवान वस्तु या जानवर जो रेलवे प्रशासन से संबंधित हो या जो रेलवे के कब्जे में हो।

धारा 3 - रेल संपत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे के लिए दण्ड (Penalty for unlawful possession of railway, property)
जब किसी व्यक्ति के कब्जे में रेलवे संपत्ति पाई जाती है। यह साबित हो चुका हैं कि युक्तियुक्त रुप से संदेह है कि संपत्ति या तो चुराई हुई है या विधिविरुद्ध तरीके से प्राप्त की गई है (जब तक किस वह इसके विरुद्ध साबित न कर दे) तो -
दण्ड - प्रथम दोषसिद्धि के लिए पांच साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
दोबारा दोषसिद्धि करने पर पांच वर्ष के कारावास एवं जुर्माना।

धारा 4 - अपराधों की मौनातुकुलता (Connivance) के लिए दण्ड (Punishment for cnnivance at offences) भूमि या बिल्डिंग का स्वामी या भूमि का उपयोग करने वाले या उस भूमि की देखभाल करने वाले ऐजेंट द्वारा जानबूझकर इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध के अर्थात रेल संपत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे के बारे में) प्रति मौनानुकुलता दर्शाता है तो -
दण्ड - पांच साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

धारा 5- इस अधिनियम के अंर्तगत किया गया कोई अपराध संज्ञेय नही है (Offences under the act not be cognizable)

धारा 6 - बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति (Power to arrest without warrant) रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1954 की धारा 4 में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी (Superior officer) या रेल सुरक्षा बल का सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अधिनियम के अंर्तगत अपराध करने के लिए युक्तियुक्त रुप से संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 7- गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपना (Disposal of persons arrested) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले अभियुक्त को रेल सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाये जो ऐसा व्यक्ति अविलम्ब निकटतम रेल सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य को सौंप दिया जाएगा।

धारा 10- तलाशी वारण्ट का जारी किया जाना (Issue of search&warrang) रेल सुरक्षा बल का अधिकारी तलाशी वारन्ट के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट रेल सुरक्षा बल के अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है -

कि वह आवश्यक सहायता सहित वान्छित स्थान मे प्रवेश करे

कि यह वारन्ट में दिये गये तरीके से तलाशी ले

वह तलाशी में प्राप्त रेल संपत्ति को कब्जे में ले लेवे।

ऐसी संपत्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे।

धारा 11- तलाशी व गिरफ्तारी कैसे की जावे (Searches and arrest how to be made) इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी व गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

धारा 12- सहायता के लिए आबद्ध अधिकारी (Offices required to asist) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए सभी सरकारी अधिकारी एवं ग्राम के अधिकारी रेल सुरक्षा बल के अधिकारी को सहायता देने के लिए सशक्त एवं आबद्ध है।

****

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914
Punjab Excise Act, 1914

उद्देश्य (Object)

इस अधिनियम का उद्देश्य नशीले द्रव्य और शराब के आयात निर्यात परिवहन बनाने विक्रय करने एवं कब्जे में रखते से संबंधित विधि को संकलित करना है।

1905 तक आबकारी से संबंधित सामान को खरीदने बेचने बनाने आयात निर्यात करने के बारे में नियंत्रण आबकारी 1895 के तहत किया जाता था। 1905-06 में एक आबकारी कमेटी गटित की गई जिसने अपनी सिफारिशें कारणों सहित पंजाब सरकार को पेश की जिसके आधार पर यह अधिनियम अस्तिव में आया।

यह अधिनियम 1, फरवरी 1914 से लागू हुआ जो पंजाव सरकार ने गजट (राजपत्र) मे नोटिफिकेशन नं 112 दिनांक 23.1.1914 को प्रकाशित हुआ। यह अधिनियम नोटिफिकेशन नं जी एस आर 1114 दिनांक 30 सितम्बर 1959 के द्वारा प्रकाशित होकर दिल्ली संघीय क्षेत्र (Union Territory) में लागू हुआ। वर्तमान में यह अधिनियम पंजाब, दिल्ली, चण्डीगढ़ व हरियाणा में भी लागू है।

B. Bharucha V/S The Excise Commissioner Ajmer 1954 SCR 873 :-

इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) में व्यापार व्यवसाय पेशा व वाणिज्य की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। परन्तु यदि इस अधिकार से लोक हित में बाधा उत्पन्न होती है जो राज्य सरकार या केन्द्र उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अत: शराब का व्यापार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 298 में केंद्र व राज्य सरकार दोनों को व्यापार आदि करने के बारे में कानून बनाने की शक्ति है।
पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 संविधान के अनुच्छेद 305 द्वारा सुरक्षित है।

धारा 3 - परिभाषाएं (Definitions)-

मदिरा - मदिरा से तात्पर्य मादक मदिरा या हर प्रकार की मदिरा जिसमें मद्यसार मिला हुआ होता है तथा दूसरे पदार्थ जो राज्य सरकार गजट द्वारा प्रकाशित करे।

स्थान - ''स्थान'' से तात्पर्य कोई निर्माण, दुकान टैंट, बाड से घिरा स्थान, यान, नाव तम्बू पोत लट्ठो का बेडा।

ताड़ी - ''ताडी'' से तात्पर्य ताडी के पौधे से जूस के रुप में उबली हुई या बिना उबली हुई मदिरा।

धारा 4 - देशी मदिरा और विदेशी मदिरा (country liquor and Foreign liquor) राज्य सरकार सरकरी गजट द्वारा इस अधिनियम के अधीन जैसा भी उचित समझे देशी मदिरा और विदेशी मदिरा को दर्शाएगी।

धारा 5 - विक्रय फुटकर विक्रय और थोक विक्रय की सीमा निर्धारित करने की राज्य सरकार की शक्ति

(Power of state Government to declare limit of sale by retail and by wholesale) राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना द्वारा वह निर्धारित क्षेत्र की सीमाओं में आम ग्राहकों को या किसी वर्ग विशेष के ग्राहको को या किसी साधारण या विशेष अवसर पर यह घोषणा कर सकती है कि आवकारी मात्रा अधिक से अधिक या कम से कम कितनी मात्रा में थोक, फुटकर विक्रय में बेची जाएगी।

सरकारी गजट नं (27)/2001/fub, (E-I) 1137/excise dated 01.7.2001) के द्वारा दिल्ली सरकार ने इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आबकारी की निम्नलिखित वस्तुओं की थोक या फुटककर विक्रय की मात्रा निम्न प्रकार से निर्धारित की है।

1.	विदेशी शराब एवं देशी शराब	–	20 लीटर
2.	बीयर	–	दो पेटी (एक पेटी में 12 बोतल होती है।)
3.	रैक्टीफाइट स्पिरिट	–	नहीं रख सकता।
4.	नाजायज शराब (कच्ची शराब)	–	किसी भी मात्रा में नहीं रख सकता।

धारा 17 – राज्य सरकार के मादक द्रव्यों (शराब) के आयात- निर्यात और परिवहन को रोकने की शक्ति (Power of state govt. to prohibit import-export and transport of intoxiants) इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मादक द्रव्य या पदार्थ का आयात निर्यात या परिवहन किसी स्थान विशेष या संपूर्ण राज्य में निषेध कर सकती है।

इसी धारा के अंतर्गत ही हरियाण राज्य में शराबबंदी हुई थी। राज्य सरकार को शक्ति है कि वह ऐसे मादक पदार्थ को अपने क्षेत्र में निषेध कर सकती है।

कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा लागू होने पर संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार जिसमें व्यापार आदि का मौलिक अधिकार है को इस अधिनियम पर लागू नहीं रख सकता।

धारा 18 – आयात निर्यात व परिवहन के लिए पास (Passes necessary for import export and transport) इस धारा के अंतर्गत शराब का आयात निर्यात या परिवहन करने वाले व्यक्ति कलैक्टर द्वारा जारी किया गया पास लेकर आयात निर्यात व परिवहर करेगा।

धारा 24 मादक (शराब) का कब्जा (Possession of intoxiants) कोई भी व्यक्ति धारा 5 Excise Act, 1914 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचना द्वारा दी गई मात्रा से ज्यादा शराब नहीं रख सकता।

वर्तमान में कोई व्यक्ति दिल्ली क्षेत्र में 20 लीटर तक देशी व विदेशी शराब बिना लाइसैंस के अपने कब्जे (Possession) में रख सकता है।

इस धारा का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को धारा 61(1) (ए) के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्सल के माध्यम से शराब मिलती है तो उस शराब का कब्जा अवैध माना जाएगा वह व्यक्ति इस बात का फायदा नहीं ले सकता कि मुझे तो पार्सल मिला था।

धारा 29 - 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना निषेध (Prohibition of sales to person under the age 25 years) इस धारा के अंतर्गत कोई भी लाइसैंस धारी या उसका नौकर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा।

नोट:- अगर वह 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब बेचता है तो धारा 62 (ए) का अपराध करता है।

धारा 30 - 25 वर्ष से कम उम्र के युवक व किसी महिला को लाईसैंसधारी नियोजित नहीं करेगा। (Prohibition of employment of men under the age 25 years and of women)

अगर लाईसैंसधारी ऐसा करता है तो वह धारा 62 (बी) के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

धारा 45 - उस स्थान में प्रवेश जहां शराब बनाई व बेची जाती है (Power of inter and enxpect palaces of manufacturer and sale) इस धारा के अंतर्गत कोई भी आबकारी अधिकारी (इसमें पुलिस हैड कॉंस्टेबल तक शामिल है) उस स्थान में प्रवेश कर सकता है, वहां निरीक्षण कर सकता है जहां शराब बनाई व बेची जाती है। जहां शराब बनाई जाती है वहां किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा जहां शराब बेची जाती है वहां ऐसे समय में प्रवेश कर सकता है जो बेचने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रवेश के बाद आबकारी अधिकारी लेखों, रजिस्टरों को चैक कर सकता है तथा ऐसे सब सामान को जो वहां रखा है निरीक्षण कर सकता है। आबकारी अधिकारी लेखों को सील कर सकता है रजिस्टरों को कब्जे में रख सकता है किसी उपकरण का भार नाप सकता है अगर वह ऐसा करना उचित समझे।

धारा 47 - गिरफ्तारी निरोध व सील करने की शक्ति (Power of arrest] sciaer and detention) कोई भी Excise officer पुलिस तथा Land Revenue Deptt. का अधिकारी जिसे राज्य सरकार शक्ति प्रदान करे, किसी भी व्यक्ति को धारा 61 व 63 के अनुसार बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है तथा शराब सील व निरोध कर सकता है तथा ऐसे सभी स्थानों वाहनों, पशुओं, पैकेटों की तलाशी ले सकता है। जहां कोई व्यक्ति शराब लेकर छुपा हुआ है।

धारा 48 - मजिस्ट्रेट को वारण्ट (तलाशी व गिरफ्तारी) जारी करने की शक्तिं (Power of magistrate to issue warrant for search or arrest)

तलाशी के लिए धारा 51(1), 51(2) 100(1)(4)(5)(6), 103 165 तथा 166 द0प्र0स0की प्रक्रिया अमल मे लानी जरुरी है।

धारा 165 सी आर पी सी के अनुसार तलाशी से पहले उसके कारणों को रिकार्ड किया जाना जरुरी है। (State of Rajastjan v/s Rehman AIR 1960 SC-210)

धारा 49 - बिना वारण्ट के तलाशी लेने की शक्ति (Power of Excise officer to search without warrant) कोई भी आबकारी अधिकारी धारा 61, 62, 63 और 64 का अपराध होने की आशंका से उस स्थान की तलाशी बिना वारण्ट ले सकता है।

अगर द.प्र.स. की धारा 165 व 166 की सही प्रक्रिया न अपनाई गई हो तो ऐसी तलाशी अवैध समझी जाएगी और उस तलाशी में पहुचाइ गई बाधा धारा 186 या धारा 353 भा.द.संहिता का अपराध सर्जित नहीं कर सकती।

धारा 93(3) द.प्र.सं. के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी दस्तावेज जैसे पार्सल या अन्य दस्तावेज की तलाशी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है।

धारा 52 - स्थान के मालिक के कर्तव्य और दूसरी सूचनाएं देना (Duty of landhoders and others to give information) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक Land Holder या मलिक या एजेन्ट या अन्य प्रबंधक, सरपंच गांव का लेखाकार गांव का सन्तरी का यह कर्तव्य है कि वह शराब के बारे में सही सूचना आबकारी अधिकारी को देंगे।

धारा 54 - लोकशान्ति के लिए दुकान बन्द करने की शक्ति (Power to close shops for the sake of public peace) जिला मजिस्ट्रेट या एस डी एम लिखित नोटिस लाईसेंसधारी को देकर आदेश कर सकता है कि वह अपनी दुकान को उस समय तक (निर्धारित कर सकता है) बन्द करे।

धारा 57 - सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के लिए सिविल वाद दायर नहीं किया जायेगा। (War of certain suits)

धारा 61 - गैर कानूनी तरीके से आयात निर्यात बनाने व कब्जे मे रखने इत्यादि के लिए दण्ड (Penalty for unlawful import, export, transport, manufacturer, possession etc.)

1. यदि कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत intoxicating Liquor or Drugs का आयात निर्यात करेगा याबनाएगा या अपने कब्जे में ऐसे औजार या मशीन रखेगा जो ऐसा Liquor बनाने में काम आता हो तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकेगा।
2. अगर कोइ शराब चुआने (Distilling) का कार्य कर रहा है तो उसे 1 वर्ष का कारावास व 500 रु जुर्माना किया जा सकेगा।
3. अगर कोई अपने कब्जे में लाहन Lahan रखता है तो उसे 6 मास का कारावास, व 1000 रु जुर्माना।
4. अगर कोई व्यक्ति 10 बोतल तक जो प्रति बोतल 750 मिली लिटर मात्रा की हो रखता है तो उसे 3 महीने की कारावास व 500 रु जुर्माना।
5. अगर कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस शराब चुआता है या शराब की भट्टी भारत में बनाता है या भारत में आयात करता है तो वह 6 मास का कारावास और 200 रु जुर्माने के दण्ड का भागी होगा।
6. अगर कोई व्यक्ति शराब चुआता है या को भट्टी बनाता है जो 10 बोतल से ज्यादा न होगी आबकारी चुंगी या अन्य कोई कर नहीं देता है तो वह 6 महीने के कारावास और 2000 रु के जुर्माने का भागी होगा।

धारा 62- 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति और स्त्री को शराब बेचना और नियोजित करने के लिए दण्ड (Penalty fir unlawful selling to person under twenty five or employing them or women) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 29 और 30 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह इस धारा के तहत 500 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

इस धारा का उद्देश्य वयस्क नौजवानों को नशे की लत से बचाना है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति को जो 25 साल से कम आयु का है 500रु तक जुर्माना हो सकेगा।

धारा 63- मानव उपयोग के लिए हानिकारक देशी कच्ची शराब बनाने या बनाने का प्रयास करने के लिए दण्ड (Panelty for rendering or attempting top render denatured spitit fit for human consumption) जो कोई व्यक्ति मानव उपभोग के लिए हानिकारक कोई सिपरिट बनायेगा या बनाने का प्रयास करेगा या कब्जे में रखेगा जो ऐसा व्यक्ति 1 साल के कारावास और 1 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

इस धारा का उद्देश्य सस्ती देशी शराब जो एक जहर है से समाज को बचाना है तथा ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करना है जो ऐसी शराब बेचते हैं या सौंपते है जो किसी व्यक्ति के उपभोग करने से हानि पहुंचे तो वह एक साल के कारावास व 1000 रु तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि -

1) धारा 61 व 63 आबकारी एक्ट 1914 के तहत पुलिस अफसर बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है।
2) ऐसा पुलिस अफसर intoxicant Liquor को सील कर सकता है तथा ऐसे किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है जहां कि उसे पर्याप्त विश्वास हो जाए कि ऐसी शराब उसे मिल सकती है (धारा 47)
3) एस आई रैंक से नीचे का आफीसर अन्वेषण नहीं कर सकता (धारा 46) परन्तु **पुलिस का हैड कान्स्टेबल** Ist class excise officer की शक्ति का प्रयोग करके अन्वेषण कर सकता है परन्तु वह इस बारे में रिपोर्ट तुरन्त एम एम को देगा। (धारा 47)
4) प्राइवेट व्यक्ति ऐसा कोई निरोध या सील शराब के बारे मे नहीं कर सकता (धारा 47)
5) पुलिस डिर्पाटमेंट Excise Department की आबकारी के तहत सहायता करने के लिए बाध्य होगा अगर ऐसी सहायता की मांग की जाती है तब (धारा 51)

धारा 63 (ए) धारा 24-ए के उल्लंघन में छपाई चिन्ह, डाट इत्यादि जिनका उपयोग नहीं किया गया है को कब्जे मे रखने के लिए दण्ड (Panalty for possession of unused and printed lables, corks etc. in contervention of Sec 24&A) जो 6 महीने का कारावास व जुर्माना होगा।

धारा 64 - लाईसैंस धारी या विक्रेता या किसी नौकर द्वारा कोई धोखा देने पर दण्ड (Penelty for fraud by licensed manufacturer or venor or his servant)

इस धारा का उद्देश्य धोखे को रोकना है जैसे लाईसेंस धारी कोई धोखा देकर कोई गलत कार्य करे या कोई विक्रेता किसी भारतीय आबकारी मे विदेशी आबकारी मिलाकर बेचे या अन्य कोई दूसरी शराब मिलाकर बेचे या कोई नौकर जो आबकारी के काम के लिए नियुक्त किया है, कोई धोखा देकर काम करे।
सजा :- 3 महीने तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना।

धारा 65 - किसी लाईसेसी या उसके नौकर द्वारा लाईसैंस या परमिट के संबंध में कोई अपराध करने पर दण्ड (Panelty for certain Acts by license or his servant) अगर कोई लाईसैंस न दिखाए या उसे प्रस्तुत करने में फेल होता है या धारा 58 व 59 के नियमो का पालन नहीं करता या किसी दूसरे नियमों का उल्लंघन करता है जो परमिट या लाईसैंस में दिए गए हैं तो वह 500 रुपये जुर्माने का भागी होगा।

धारा 68 - किसी भी प्रकार के आबकारी अधिनियम का उल्लंघन जिसकी सजा अन्य कही नहीं है (Panelty for offence not otherwise provided for) इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दण्डनीय कार्य या लोप करता है जिसका दण्ड इस अधिनियम में निर्धारित नहीं किया गया है ऐसे कार्य और लोप के लिए ऐसा व्यक्ति 5000 रुपये तक के दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 69 - इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के प्रयास के लिए दण्ड (Attemt to commit offence punishable under the act) इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रयास करेगा तो उसे उस अपराध के अनुसार दण्डित किया जाएगा जिसका उसने प्रयास किया था।

धारा 70 - आबकारी अधिकारी द्वारा दुर्भावना की नीयत से किसी स्थान की तलाशी लेने पर दण्ड (Penalty for excise officer making Vexatius search etc.) अगर कोई आबकारी अधिकारी दुर्भावना की नीयत से किसी स्थान की तलाशी लेता है तो ऐसा अधिकारी 3 महीने के कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 72 - जमानतीय अपराध (Offense to be bailable) इस अधिनियम के अंदर आने वाले सभी अपराध जमानतीय है। परन्तु धारा 61 की उपधारा (1) का अपराध अजमानतीय है तथा अगर 10 बोतल शराब जो 750 मिली लिटर की Capacity की है जो अपराध अजमानतीय है। परन्तु दिल्ली क्षेत्र में इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जमानतीय है।

धारा 75 - अपराधों का संज्ञान (Cognizance of offences) अधिनियम के अनुसार मजिस्ट्रेट मुकदमें की सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक धारा 61 या धारा 66 का अपराध आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर न हे और धारा 62, 63, 64, 68, 68 व 70 की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक ब्व्ससमबजवत या टगबपेम वर्पिबमत जो बवससमबजवत द्वारा नजीवतपेमक किया गया है के द्वारा शिकायत न हो। राज्य सरकार के स्पेशल सैंक्शन की विशेष मंजूरी के अलावा इस एक्ट में आने वाले अपराधों की सुनवाई न्यायालय में तब तक नही होगी तब तक कि अभियोजन (Prosecution) अपराध होने की तारीख से एक साल के अंदर न किया गया।

कुछ विशेष :-

(1) जिस व्यक्ति के पास थोक विक्रय का लाईसेंस है वह फुटकर विक्रया नहीं कर सकता। (धारा 20)
(2) अगर कोइ लाईसैंस धारी व्यक्ति लाईसैन्स में निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर सेल करता है तो अपराध करता है। (धारा 20)
(3) अगर कोई लाईसैंस धार विक्रय निषेध समय में करता है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदार होगा (धारा 20)
(4) अगर कोई लाईसैंस धारी या उसका नौकर शराब को किसी व्यक्ति के घर पर सप्लाई करता है और पैसे लेता है जो अपराध करता है (धारा 20)
(5) अगर कोई व्यक्ति धारा 24-ए (जिसमे बिना प्रयोग की हुई बोतले या काक्र या अन्य सामान बिना लाइसैंस

के रखता है) का उल्लंघन करता है तो वह धारा 63-ए में उत्तरदायी होगा।

(6) कोई भी प्राइवेट व्यक्ति शराब को सील नहीं कर सकता तथा न ही जब्त कर सकता है (धारा 47)

(7) सभी अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय है। (धारा 73)

(8) इस अधिनियम की धारा 47 के अनुसार प्रधान सिपाही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्वेषण कर सकता है।

Do's & Don'ts (क्या करना है एवं क्या नहीं करना है)

Do's (क्या करना है)

(1) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन का ज्ञान रखना।

(2) नोटिफिकेशन की कापी चालान के साथ संलग्न करे।

(3) शराब के गंध व रंग आदि का ज्ञान होना।

(4) नमूने से संबंधित सी एफ एस एल रिपोर्ट के चालान के साथ संलग्न करे।

(5) किसी भी प्रकार से मिली सूचना को गोपनीयता के साथ रोजनामचे में दर्ज करना अर्थात रोजनामचा में रवानगी करना।

(6) Raiding Party में जन साधारण को शामिल करना।

(7) Raiding Party के सभी सदस्यों को सूचना से अवगत कराना।

(8) अपराधी या अवैध शराब मिलने पर तुरंत रुक्का तैयार कर किसी अन्य अधिकारी को आगे के अन्वेषण के लिए बुलाना।

(9) घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करना।

(10) बरामद की गई शराब मे से नमूना निकालकर नमूना एवं बची हुई शराब को सील करके कब्जे में लेना।

(11) परीक्षण हेतु लिए गए नमूनो जल्दी से जल्दी प्रयोगशाला में भेजना एवं परिणाम प्राप्त करना।

(12) मालखाना मोहरर व नमूना ले जाने वाले अधिकारी के ब्यान धारा 161 सी आर पी सी के अनुसार लिखना।

(13) एक्साइज फार्म पर मोहर लगाकर पूरा करना तथा मोहर को गवाह के हवाले करना।

(14) यदि शराब किसी वाहन मे पकड़ी जाती है तो से भी कब्जे में लेना व आवश्यक कार्यवाही करना।

(15) यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। तब धारा 167 सी आर पी सी के अनुसार चालान 60 दिन की अवधि में जमा कर्रे। यदि अभियुक्त जमानत पर तब आरोप पत्र एक वर्ष की अवधि के भीतर अदालत में दिया जाए। इसके बाद केवल प्रशासक की अनुमति से ही दाखिल हो सकता है।(धारा 75)

(16) जहां तक संभव हो पब्लिक के गवाह शामिल किए जाएं।

(17) समय से अन्वेषण पूरा करके चालान को न्यायालय में भेजना।

Don'ts (क्या नहीं करना है)

(1) नमूना लेते समय बिल्कु भी असावधान न रहे।

(2) किसी भी स्थिति में झूठे गवाह शामिल न करे।

(3) किसी स्थान की तलाशी लेते समय तलाशी के नियमो का कडाई से पालन करे। एवं मकान के सामान की तोड़फोड न करें।

(4) नमूना लेने के बाद बची शराब को सही स्थान पर भिजवाएं।

(5) नोटिफिकेशन की कापी संलग्न करना न भूले।

(6) किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को आगे का अनुसंधार सौंपना न भूले।

(7) माल मुकदमें के प्रति असावधानी न बरते।

****

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Scheduled Caste And Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)Act, 1989

उद्देश्य (Object) - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण हेतु ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्त्यिों को राहत देने का और उनके पुर्नवास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यह एक विशिष्ट कानून है जो विशिष्ट प्रकार के अपराधों के बारे में लागू होता हे।

जबकि भारतीय संविधान का अनु. 14 के अनुसार ''राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'' अर्थात कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और सबके लिए एक समान कानून होगा। इस दृष्टि से यह अधिनियम जो विशिष्ट व्यक्तियो के संबंध में बनाया गया है संविधान के अनु. 14 का उल्लंघन करता है लेकिन ऐसा नही है क्योकि अनुच्छेद 14 ही ऐसे विशेष वर्गीकरण की अनुमति देता है जो बोधगम्य अंतरक पर आधारित पर आधारित हो। और साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रति किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय व शोषण को रोकने के लिए विशिष्ट कानून बना सकता है। उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

धारा 2- परिभाषाएं (Dafination) 'अत्याचार' (atrocity) से धारा 3 क अधीन दण्डनीय; अपराध अभिप्रेत है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनु, 366 के खण्ड (24) और खण्ड (25) में है।

धारा 3 - अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड (Punishemetn for offences of atrocities)

(क) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा,

(2) कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिवार या पडोस में मलमूत्र कूडा, पशु शव या कोई कोई अन्य घृणजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा,

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपडे उतारेगा या उसे नंगा करेगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमायेगा या इसी प्रकार कोई अन्य ऐसा कार्य

करेगा जो मानव सम्मान के विरुद्ध हैं।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को अधि भोग में ले लेगा या उस पर खेती करेगा या उस आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर मे सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसर या जल पर उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा।

(6) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बलातश्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर करेगा या अभित्रस्त करेगा।

(8) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या दोषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक कार्यवाही या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा।

(9) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा ताकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचायी जा सकें

(10) लोक दृष्टि के किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से अभित्रस्त करेगा।

(11) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कि किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अभित्रस्त करेगा।

(12) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का उपयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए जिसके लिए वह अन्यथा सहमत ना होती, करेगा,

(13) किसी स्त्रोत जलाशय को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग मे लाया जाता है दूषित या गंदा करना,

(14) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मार्ग के अधिकार का उपयोग करने में बाधा पहुचाना जिसके उपयोग करने का उसे अधिकार है।

(15) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या करवायेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से

कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देग या गढ़ेगा यदि उसका ऐसे सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो उस समय लागू विधि द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है दोषसिद्ध कराने का आशय है या सम्भाव्य जानता है तो मिथ्या साक्ष्य के आधार पर फांसी की सजा हो जाये, तो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने वाला भी मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

(2) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदण्ड नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है दोषसिद्ध कराना है या वह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना सम्भाव्य है वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति की अग्नि या किसी विस्फोट पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, तो ऐसे कारावास से जो छः माह से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(4) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की ऐसी संपत्ति को जिसका उपयोग उपासना स्थान के रुप में या मानव निवास के रुप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रुप में होता है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा तो आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(5) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी संपत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा,

(6) यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उपरोक्त प्रकार का कोई अपराध किया गया है किसी साक्ष्य को गायब करेगा, या अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने के लिए मिथ्या जानकारी देगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या उसे विश्वास है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा या

(7) लोक सेवक होते हुए धारा के अधीन काई अपराध करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा

धारा 4 कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड (Punishment for neglect of duties) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि के छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक का हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

धारा 5 - पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दण्ड (Enhanced punishment for subsequent conviction) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्धि किया जा

चुका है दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा।

धारा 6 - भारतीय दण्ड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू होना (applicationof certain provisions of the indian penal code) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भा0द0सं0 की धारा 34, अध्याय 3 (दण्ड के विषय में) अध्याय 4 (साधारण अपवाद) अध्याय 5 (दुष्प्रेरण के विषय में), अध्याय 5-क (आपराधिक षडयंत्र) धारा 149 और अध्याय 23 (अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में) के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होगे जिस प्रकार वे भा0द0सं0 के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

धारा 7 - कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण (forfeiture of property of certain person) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय 2 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय कोई दण्ड देने के अतिरिक्त लिखित रुप में यह आदेश घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है सरकार को समपहृत हो जायेगी।

धारा 8 - कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा (Presumption as to offences) इस अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय (अध्याय 2, अत्याचार के अपराध) के अधीन अपराध को करने में अभियुक्त व्यक्ति की वित्तीय सहायता की है जो विशेष न्यायालय जब तक कि त्तप्रति कूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति ने अभियुक्त की वित्तीय सहायता की है उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

धारा 10 - ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है (Removal of person likely to commit offence)

(1) जहां विशेष न्यायालय को परिवाद या पुलिस पर यह समाधान हो जाता है कि यह सम्भावना है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र मे इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोइ अपराध करेगा वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं और दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के एि जो आदेश मे निर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय उपधारा 2 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन किए जाने पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकेगा या परिवर्तन कर सकेगा।

धारा 11- किसी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने

की दशा में प्रकिया (procedure on failure of person to remore himself from ara and enter thereon after removal) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन ऐसे क्षेत्र से हटने का आदेश दिया गया है

(1) हटने मे असफल रहता है या

(2) विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है जो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकता है और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा मे हटवा सकेगा।

धारा 13 - धारा 10 के अधीन आदेश के उल्लंघन के लिए दण्ड (Penalty for non cmmpliance fo order under section 10) वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अधिनियम की अन्य मुख्य विशेषताएं (Other Special features of the act)

(1) धारा 14 विशेष न्यायालय (Special court) इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा प्रत्येक जिले कें लिए एक सेंशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रुप में गठित किया जायेगा।

(2) धारा 15 - विशेष अभियोजन (Special proesecutor) एक विशिष्ट लोक अभियोजक जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिक्कता के रुप मे कार्य कयिा हो मामलों के संचालन के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(3) धारा 16 - राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति (Power of State government to impose collective fine)- नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 (1955 का 22) की धारा 10-क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 लागू नहीं हागी (धारा 18)

(5) इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किये गये व्यक्तियों के संबंध में जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के उपबंध परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध लागू नहीं होंगे (धारा 19)

(6) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, पुलिस अधिकारीकी ऐसी शक्तियां जो गिरफ्तारी अन्वेषण और अभियोजन से संबंधित है प्रदान कर सकेगी (धारा 9)

(7) इस अधिनियम के उपबंध त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रुढि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उसके असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे(धारा20 अधिनियम अन्य विधियों पर प्रभावी होगा)

(8) राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियो को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओ की जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था कर सकेगी। धारा 21 एवं धारा 304 द0प्र0सं0)

(9) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान सक्षियों के जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी है, यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था कर सकेगी (धारा 21)

(10) राज्य सरकार अत्याचारों से पीडित व्यक्त्यिों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था कर सकेगी (धारा 21)

(11) इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूवर्ग की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्व नहीं होगी (धारा 22)

****

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999

(Maharastra Control of organised Crime Act) 1999

उद्देश्य (Object) इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकना एवं नियंत्रण करना है जो संगठित अपराधी मण्डली या ग्रुप (organised crome syndicate or group) और उनसे संबंधित या जुडे हुए व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ (Short titele Extent and commencement) यह अधि नियम महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 कहा जा सकेगा।

इसका विस्तार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है। यह 10 जनवरी 2002 से दिल्ली मे लागू हुआ। (Notification no. F/11/21/2000/hp-II /(I)/59-254 dATED 10.1.2002)

धारा 2 परिभाषाएं (Definitions)

(ए) दुष्प्रेरण (Abetment) का जो अर्थ है वह होते हुए इसमें शामिल है।

(1) किसी व्यक्ति के साथ रहना, उसके संपक्र में रहना, इस वास्तविक ज्ञान के साथ या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह ससे संगठित अपराध मण्डली की सहायता करने के लिए सम्मिलित है ।

(2) विना किसी विधिक प्राधिकार के ऐसी सूचनाओं को प्रकाशित करना जिससे संगठित अपराध मण्डली को सहायता मिलती है और ऐसी सामग्री या दस्तावेजो को आगे बढ़ाना या प्रकाशित करना या वितरित करना जो संगठित अपराध मण्डली से लिये गये है।

(3) संगठित अपराध मण्डली को किसी प्रकार से आर्थिक हो या अन्यथा मदद करना।

(डी) चलत विधि-विरुद्ध क्रिया कलाप (Countinuing unlawful activity) से त्तसमय प्रवृत्त विधि द्वारा निषिद्ध ऐसा क्रियाकलाप जो संगठित अपराध मण्डली के सदस्य के रुप में या तो अकेले या संयुक्त रुप में करना, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय एक संज्ञेय अपराध है या ऐसी मण्डली के निमित्त जिसके बारे में एक से अधिक आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये, इससे ठीक पूर्व दस वर्ष की अवधि के अंदर और न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ले चुका है।

(ई) संगठित अपराध (Organised crime) से अभिप्रेत संगठित अपराध मण्डली के सदस्य के रुप में या ऐसी मण्डली के निमित्त हिंसा के प्रयोग द्वारा या हिंसा करने की धमकी द्वारा या अभित्रास या प्रपीडन (दबाव) या अन्य विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप द्वारा अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए अर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना।

(एफ) संगठित अपराध मण्डली (Organised crime syndicate) से अभिप्रेत ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है जो संयुक्त रुप से, मण्डली या गिरोह के रुप में सेगठित अपराध के क्रियाकलापों में संम्मिलित होते है।

धारा 3 संगठित अपराध के लिए दण्ड (Punishment for organised crime)

(क) जो कोई संगठित अपराध करता है

(1) यदि ऐसे अपराध का परिणाम किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो वह मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो कम से कम एक लाख रुपये का होगा।

(2) किसी अन्य मामले में ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा लेकिल आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी हेगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(ख) जो कोई संगठित अपराध का षड़यंत्र करता है या करने का प्रयत्न करता है या पैरवी करता है दुष्प्रेरित करता है या जानते हुए संगठित अपराध की तैयारी करने वाला कोई अन्य कार्य करता है। ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो पांचा वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो कम से कम पांच लाख रुपये तक का होगा।

(ग) जो कोई संगठित अपराधी मण्डली के सदस्य को संश्रय देता है या छिपाता है या छिपाने या संश्रय देने का प्रयत्न करता है ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और कम से कम पांच लाख रुपये तक के लिए दायी होगा।

(घ) ऐसा कोई भी सदस्य जो संगठित अपराध मण्डली का सदस्य है ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और जुर्माना जो कम से कम पांच लाख रुपये तक का होगा, के लिए भी दायी होगा

(ड) जो कोई ऐसी संपत्ति धारण करता है जो संगठित अपराध से उदभूत या प्राप्त की गई है या संगठित अपराध मण्डली निधि से अर्जित की गई है, ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और कम से कम दो लाख रुपये जुर्माने के लिए दायी होगा।

धारा 4 - संगठित अपराध मण्डली के सदस्य के निमित्त विना हिसाब का धन रखने के लिए दण्ड (Punishment for possession unaccountable wealth of behalf of memeber of organised crome syndicate)

यदि कोई व्यक्ति अपराध मण्डली के सदस्य के निमित्त जिसके पास ऐसी चल या अचल संपत्ति के कब्जे में है या रह चुकी है जिसका उसके पास संतोषजनक उत्तर नहीं है वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु दस वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कम से कम एक लाख रुपये तक का हो सकेगा। ऐसी संपत्ति कुर्की और समपहृत किये जाने के दायित्वाधीन होगी जैसा की धारा 20 द्वारा उपबंधित है।

धारा 5 विशेष न्यायालय (Special court)

1) राज्य सरकार दिल्ली गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए जैसा अधिसूचना मे निर्दिष्ट किया जाए, एक या अधिक न्यायालयों का गठन कर सकती है।

2) विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जायेगी।

3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रुप में तब तक नियुक्त नही किया जब तक ऐसी नियुक्ति के त्तकाल पूर्व वह सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न रहा हो।

धारा 7 अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्ति (power of special court with respect to other offences) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध काविचारण करते समय विशेष न्यायालय किसी अन्य ऐसे अपराध का भी जो ऐसे अपराध से जुडा है विचारण कर सकता है जिसके लिए अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr P.C.) के अधीन एक ही विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

धारा 8 लोक अभियोजक (Public prosecutor)

(1) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

(2) कोई व्यक्ति लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिए तब तक योग्य न होगा जब तक कि अधिवक्ता के रुप में 10 वर्ष का अनुभव न हो।

धारा 12 अपील (Appeal)

(1) संहिता में किसी बात के होते हुए विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दण्डादेश या आदेश से (जो अर्न्तवर्ती नहीं है।) कोई अपील उच्च न्यायालय को होगी।

(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील निर्णय दण्डादेश या आदेश का तारीख से 30 दिन के अंदर होगी

धारा 13 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति (Appointment of comptetent authority) राज्य सरकार गृह विभाग के किसी भी ऐसे अधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो।

धारा 14

कानूनी हस्तक्षेप

	तार	इलैक्ट्रानिक	मौखिक सूचना
(1)	पुलिस उपायुक्त से नीचे की पंक्ति के पुलिस अधिकारी का पर्यवेद्वक्षण के लिए अधिकृत न होना।		
		आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।	

धारा 14 (2) आवेदन की अन्तर्वस्तु -

	ए	बी	सी	डी	ई	एफ
(1)	अन्वेषण अधिकारी की पहचान	तथ्यों एवं परिस्थितियों का संक्षिपत वर्णन	जांच और सर्तकता का विवरण कोशिश और विफलता हस्तक्षेप में अपराधी की पहचान करने में खतरा और परेशानी	हस्तक्षेप की समयाविधि	पूर्ववर्ती आवेदन के तथ्यों का कथन अनुमोदन, साधन समय प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर की गई कार्यवाही	हस्तक्षेप की समय सीमा बढाने के लिए आवेदन और आवेदन समय सीमा बढाने हेतु युक्तियुक्त आधारों का वर्णन करना होगा। या ऐसा परिणाम प्राप्त करने की असफलता का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण।
(2)	विभागाध्क्ष (डी.सी.पी)	आदेश के लिए आवेदन के आधार				

धारा 14(3) सक्षम अधिकारी आवेदन के समर्थन में मौखिक या लिखित दस्तावेज की अपेक्षा कर सकता है

धारा 14(4) (1) सक्षम अधिकारी कारण लेखबद्ध करते हुए आवेदन को खारिज कर सकता है। या

(2) निम्नलिखित आधारों पर सक्षम प्राधिकारी आदेश जारी कर सकता है।

(ए) अपराध होने की सम्भावना का विश्वास।

(बी) विशिष्ट संसूचनाओं की संभावनाओं का विश्वास।

(सी) जांच व सतर्कता के सामान्य तरीके, अभियुक्त की पहचान में प्रक्रिया कोशिश और असफलता।

(डी) जिन व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाने की संभावना उन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना तथा उन स्थान को भी सूची बद्ध करना जहां अपराध हुआ है।

(1).	संगठित अपराधों का विवरण	(2) जहां सूचानाओं में हस्तक्षेप किया जाना है। उनकी प्रकृति व स्थानीयता का संक्षिप्त वर्णन	(3) संसूचनाओं का प्रकार

धारा 14 (5) सक्षम अधिकारी के आदेश में निम्नलिखित बातें होंगी

(ए) व्यक्ति की पहचान यदि ज्ञात हो जिसकी संसूचना में हस्तक्षेप किया जाना हो।

(बी) संसूचानाओं की प्रकृति और क्षेत्र

(सी) अभिकरण के प्रकार जो संबधित अपराध से संबंध रखती हो।

(डी) अभिकरण (agency) की पहचान जिसको हस्तक्षेप के लिए अधिकृत कियाा गया है।

(ई) हस्तक्षेप के लिए अधिकृत करने के लिए समय सीमा हस्तक्षेप की समय सीमा स्वत: समाप्त होगी या नहीं

धारा 14 (6) सक्षम प्राधिकारी को सात दिन के भीतर आदेश पारित करना होगा और एक प्रति धारा 15 के अनुसार पुर्नविलोकन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

धारा 14 (7) अपीलार्थी के आवेदन पर हस्तक्षेप का आदेश पारित किये जाने पर, तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं में न्यूनतम अवरोध करके ही हस्तक्षेप करना है।

धारा 14 (8) हस्तक्षेप की समयाविधि 60 दिन से अधिक नहीं होगी। हस्तक्षेप के समय की गणना, हस्तक्षेप करने से एक दिन पहले या आदेश जारी करने के ठीक 10 दिन बाद से जो भी पहले हो प्रारम्भ होगी। समयावधि का विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा, जो युक्तियुक्त निष्कर्ष पर आधारित होगा।

धारा 14 (9) हस्तक्षेप करने का आदेश प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही की समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

धारा 14 (10) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो युक्तियुक्त रुप से निश्चित करता है कि - अपातिक स्थिति विद्यमान है जिसके अंर्तगत सम्मिलित है।

(1) (क) किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का तात्कालिक खतरा

(ख) राजधानी की सुरक्षा के विरुद्ध षडयंत्रकारी क्रियाकलापों की धमकी

(ग) षडयंत्रकारी क्रियाकलाप संगठित अपराध के लक्षण के मामलों में सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना युक्ति युक्त रुप से संभव नहीं है। तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं में हस्तक्षेप करने का आदेश जारी कर सकता है।

(2) इस धारा के अंतर्गत हस्तक्षेप का आदेश जारी करने के आधारों का वर्णन करना होगा और इन आधारों पर अपर पुलिस आयुक्त 48 घण्टों के अंदन हस्तक्षेप करने का आदेश पारित करेगा।

धारा 14 (11) हस्तक्षेप करने का आदेश जो उपधारा (10) के अंर्तगत पारित किया गया है ऐसे हस्तक्षेप का पर्यावसान हो जायेगा जब हस्तक्षेप करने के लिए किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाता है या जब हस्तक्षेप करने के अनुमोदन करने के लिए रखा जाता है और वह खारिज हो जाता है इनमें से जो भी पहले हो।

धारा 14 (12) (क) हस्तक्षेप सामग्री की अंर्तवस्तु, यदि सम्भव हो तो, टेप या सीडी में रिकार्ड किया जाये। उपरोक्त सामग्री को सील करने के बाद सक्षम प्राधिकारी को पेश किया जाएगा। और उपरोक्त सामग्री की संरक्षा या नष्ट किया जाना सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार होगा। ऐसी सामग्री को 10 साल तक रखा जा सकता है।

(ख) इस धारा के अंतर्गत किये गये आवेदन और उन पर जारी किये गये आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुहरबंद होगी।

धारा 14 (13) ऐसी सभी सामग्री विचारण के दौरान साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

धारा 15 प्राधिकार प्रदान करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन (Consti-

tutions of review committee for review of authorisation orders) धारा 14 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आदेश का पुर्नविलोकन करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति होगी

(क) पुनर्विलोकन समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे अर्थात्

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव.....चेयरमैन।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह विभाग का प्रधान सचिव या सचिव ....सदस्य।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कानून और न्यायिक विभाग का सचिव ....सदस्य

(ख) धारा 14 के अंर्तगत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पुनर्विलोकन समिति के सामने रखा जायेगा, ऐसे आदेश की प्राप्ति के 10 दिन क अंदर पुनर्विलोकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा कि धारा 14 की उपधारा (4) के अंतर्गत विघ्न डालने के लिए प्राधिकृत या अनुमोदन न करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, आवश्यक, युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(ग) पुनर्विलोकन समिति समर्थ अभिलेख या परीक्षण करने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई आवश्यक समझे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का या तो अनुमोदन कर सकती है या अनुमोदन पारित कर सकती है। पुनर्विलोकन समिति द्वारा विघ्न डाले के अनुमोदन न करने पर यदि ऐसा विघ्न डाला गया है यदि किसी टेप तार या अन्य यंत्र में है किसी मामले में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और उसे नष्ट करने का निदेश दिया जायेगा।

धारा 16 – धारा 14 में जैसा उपबंधित है इसके सिवाय यदि कोइ पुलिस अधिकारी उस सामग्री को प्रकट करता है जो हस्तक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास से और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 17 साक्ष्य के विशेष नियम (Special Rules of Evidence)

(1) संहिता मे या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय इस अधि नियम के आदेशों का या संबंधित अपराधों के विचारण के उद्देश्य के लिए, सदाचरिक मूल्य के तौर पर विचार कर सकता है यह तथ्य के अभियुक्त

(क) किसी पूववर्ती अवसर पर संहिता की धारा 107 या धारा 110 के अंतर्गत बाध्य किया गया

(ख) इस अधिनियम से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया गया।

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय मे किसी पूर्ववर्ती अवसर पर अभियोजित किया गया था।

(2) जहां यह साबित किया जाता है कि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में सम्मिलित रहा है या इस निमित्त किसी चल या अचल के कब्जे मे है या रह चुका है। जिसके लिए उसके पास सन्तोषजनक कारण नहीं है कि ऐसी संपत्ति या आर्थिक स्त्रोत विधि विरुद्ध क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त किये गये है।

(3) जहां साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने व्यपहरण अपहरण किया है वहां न्यायालय यह उपध ारित करेगा कि यह मुक्तिधान (ranson) के लिए था।

धारा 18 पुलिस अधिकारी से की गई कुछ संस्वीकृति को विचारण मे लेना (CErtain confession made to police officer to be taken in to consideration)

(1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए कोई संस्वीकृति जो डिप्टी पुलिस कमीश्नर से अनिम्न पंक्ति के पुलिस के समक्ष की गई है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित में या किसी तकनीकी पद्वति (ढंग) से जैसे, कैसेट, टेप, या साउण्ड ट्रेक जिससे ध्वनि या कल्पना पुनः उत्पन्न की जा सकती है। लेखबद्ध की गई है ऐसे व्यक्ति या सह अभियुक्त दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी के विचारण में साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

परन्तु यह तब जबकि सह-अभियुक्त दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी अभियुक्त के साथ विचारित किया जाता है।

(2) संस्वीकृति स्वतंत्र वातावरण में उसी भाषा में लेखबद्ध की जायेगी जिसमें अभियुक्त द्वारा वर्णन किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत कोई संस्वीकृति पुलिस अधिकारी लेखबद्ध करने से पहले संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति से यह स्पष्ट करेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है और यदि वह ऐसी संस्वीकृति करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लायी जायेगी, यदि ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करने पर पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि यह स्वेच्छया से की गई है तब वह ऐसी संस्वीकृति लेखबद्ध करेगा। संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले पुलिस अधिकारी संस्वीकृति के नीचे अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि को सत्यापित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अंर्तगत लेखबद्ध स्वीकृति अधिकारिता रखने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को त्तकाल भेजी जायेगी

(5) वह व्यक्ति भी जिसकी संस्वीकृति अभिलिखित की गई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश करेगा।

(6) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेश किये गये अभियुक्त का कोई कथन यदि कोई हो बारीकी से लेखबद्ध करेगा और यदि उसे प्रताड़ित किया गया है तब अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजा जायेगा जो सहायक सिविल सर्जन से अनिम्न पंक्ति का न होना।

धारा 23 अपराधों का संज्ञान और अपराधो मे अन्वेषण (Cognizence fo, of and investigation into, an offence)

(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी ,

1. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के बारे में कोई सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना लेखबद्ध नहीं की जायेगी।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अन्वेषण ए सी पी (सहायक पुलिस आयुक्त) से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(2) विशेष न्यायालये इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का सज्ञान विशेष पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

धारा 24 लोक सेवकों के अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहने पर दण्ड (Punishment for public servant failing in the dischargeof their duties)

जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 2 की उपधारा (ई) मे पारिभाषित संगठित अपराध के किये जाने में किसी प्रकार की सहायता या जो अपराध किये जाने से पहले या अपराध किये जाने के पश्चात् प्रदान करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत विधिपूर्ण कदम उठाने से विरत रहता है या किसी न्यायालय के निर्देशों का पालन करने से साशय बचता है, तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

****

महिलाओं का घरेलु हिंसा के संरक्षण अधिनियम, 2005

(Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

उद्देश्य (Object) जो महिलाएं घरों के भीतर होने वाली होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है उन्हें संविधार के तहत प्रदत्त एवं गारंटीकृत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण को उपबंधित करने के लिए अधि नियम।

इस अधिनियम में कुल 37 धाराएं एवं 5 अध्याय हैं।

अध्याय 1

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent and commercement) इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 होगा। यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

धारा 2 परिभाषाएं (Definitions)

(क) पीड़ित व्यक्ति (Aggrived person) - कोई महिला जो प्रत्युत्तरदाता के साथ घरेलू रिश्ता रखती है तथा जो आरोप लगाती है कि प्रत्युत्तरदाता के किसी कार्य द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई है।

(ख) बालक (Child) कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तथा इसके अंर्तगत गाद लिया हुआ, सौतेला या पाया हुआ बच्चा भी आता है।

(ग) घरेलू घटना प्रतिवेदन (Domestiv incident report) तात्पर्य ऐसा प्रतिवेदन जो कि पीडित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकायत प्राप्त होने पर विहित प्रारुप में लिखा जाएगा।

(घ) घरेलू रिश्ता (Domestic relationship) तात्पर्य ऐसा रिश्ता जिसमें दो लोग किसी समय पर किसी मकान में आपस में सहायता करने के लिए विवाह या विवाह सदृश संबंध में या दत्तक संबंध में या संयुक्त परिवार के सदस्यों के रुप में एक साथ रहत हैं या रहते थे।

(छ) प्रत्युत्तरदाता (प्रत्यर्थी) (Respondent) कोई भी वयस्क पुरुष जो पीडित व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्ते में संबंधित है और जिससे पीडित व्यक्ति इस अधिनियम के अतर्गत राहत चाहता है। कोई पीड़ित व्यक्ति या महिला जो किसी व्यक्ति के साथ विवाह सदृश संबंध मे है वह अपने पति या पुरुष साथी के रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती है।

अध्याय - 2
घरेलू हिंसा

धारा 3 घरेलू हिंसा (Domestic Violence) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए काई कार्य, लोप या आचरण द्वारा घरेलू हिंसा गठित करता है यदि उससे

(क) पीडित व्यक्ति को स्वास्थ, सुरक्षा, जीवन, अंगो को संकट या चोट या क्षति (चाहे मानसिक या शारिरीक) कारित हो या कारित करने की संभावना हो और इसके अंतर्गत शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, मौखिक शोषण भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण आता है या पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना।

(ख) पीड़ित व्यक्ति को प्रपीडित करने के लिए सताना, चोट कारित करना, या क्षति कारित करना या संकठ कारित करना या उससे संबंधित व्यक्ति से किसी अवैध मांग को जो दहेज, या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए हो, के लिए मिलना।

(ग) खण्ड (क) या (ख) में दिये गये कार्यो को कारित करने या पीडित या उससे संबंधित व्यक्ति को धमकी देना।

स्पष्टीकरण - इस धारा के लिए

(1) शारीरिक शोषण (physical abuse) का तात्पर्य कोई ऐसा कार्य या आचरण जिससे किसी व्यक्ति को शारिरीक दर्द, चोट, जीवन, स्वास्थ्य अंगों को संकट कारित हो या पीडित व्यक्ति के विकास या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े तथा इसमें हमला, आपराधिक अभियास एवं आपराधिक बल सम्मिलित हो।

(2) लैंगिक शोषण (Sexual abuse) कोई भी ऐसा आचरण जो लैंगिक स्वरुप का हो तथा जिसकी प्रवृति महिला को शोषित करने, नीचा दिखाने या गरिमा का हनन करने की हो।

(3) मौखिक या भावनात्मक शोषण (Verbal and emotional abuse) का तात्पर्य

(क) किसी महिला को अपमानित करना, हसी उडाना, नीचा दिखाना, ताना मारना, खासकर बांझ कहना या लडका न पैदा न करने के लिए ताना मारना।

(ख) स्त्री के किसी संबंधी को शारीरिक क्षति पहुंचाने की बार-बार धमकी देना।

(4) आर्थिक शोषण (Economic abuse)

(क) किसी पीडित व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से या अन्यथा किसी ऐसी आर्थिक या वित्तीय संसाधन से जो कि किसी विधि या प्रथा द्वारा प्राप्त करने की अधिकारिणी हो, या कोई स्त्रीधन, संपत्ति या पीडित व्यक्ति द्वारा संयुक्त या स्वतंत्र रुप से धारित संपत्ति से या संयुक्त आवास के किराये व भरण पोषण से वंचित करना।

(ख) चल या अचल संपत्ति - मूल्यवान प्रतिभूति शेयर, बाण्ड या इनके सदृश अन्य का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करना या पीड़ित व्यक्ति को या उसके बालक को स्त्रीधन या परिवार की संपत्ति से वंचित करना था

(ग) पीड़ित व्यक्ति अपने घरेलू रिश्ते के कारण संयुक्त रुप से जिस वित्तीय संसाधन का उपयेाग करने की अधि कारी हो उसके निरंतर उपयोग को बंधित करना या प्रतिषध करना।

उपरोक्त किसी प्रकार के कार्य लोप या आचरण करने वाले पुरुष सदस्य महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का अपराध कारित करने का दोषी होगा। इस धारा में महिलाओं के शारिरीक, लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक और आर्थिक शोषण को भी घरेलू हिंसा की परिभाषा मे सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 3
संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदायकर्तागण इत्यादि की शक्तियां और कर्तव्य
(Power and duties of protection officers, service providers etc.)

धारा 5 पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्य (Duties of police officers service provider and magistrate) जब किसी पुलिस अधिकारी संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है या उसकी उपस्थिति में घरेलू हिंसा होती है तो वह उस पीड़ित व्यक्ति को -

(क) इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत के लिए आदेश अभिरक्षा आदेश निवास हेतु आदेश क्षतिपूर्ति आदेश या उनमें से एक से अधिक आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के अधिकार के बारे में बताएगा।

(ख) सेवा प्रदाता की सेवा की उपलब्धता के बारे में बतलाएगा।

(ग) संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता के बारे में बतलाएगा।

(घ) विधिक सेवा प्राजिक्रण अधिनियम 1987 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बतलाएगा।

(ड) यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के अधीन शिकायत दर्ज कराने के अधिकार के बारे में बतलाएगा।

धारा 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of protection officers)

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में इतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जितने वे आवश्यक समझे और इसके साथ उनके कर्तव्य पालन के क्षेत्र को भी अधिसूचित कर सकती है जहां वे इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो सके महिला होगी और उसमें वह योग्यता व अनुभव होगा जो विहित किया जाए।

धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य एवं कार्य (Duties and functions of protection officers)

(1) संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि –

(क) मजिस्ट्रेट को अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में सहायता प्रदान करे।

(ख) घरेलू घटना प्रतिवेदन को विहित प्रपत्र में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें।

(ग) पीड़ित व्यक्ति द्वारा मांगे गए संरक्षण आदेश के आवेदन को विहित प्रपत्र में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे।

(घ) इस बात को सुनिश्चित करें कि पीडित व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त हो।

(ड़) मजिस्ट्रेट के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर सभी सेवा प्रदाताओं, आश्रय स्थलों व उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की सूची रखे।

(च) पीडित व्यक्ति को सुरक्षा आश्रय स्थल उपलब्ध कराएं।

(छ) पीडित व्यक्ति को यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी संबंद्ध पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट को भेजें।

(ज) और ऐसा कोई कार्य जो विहित किया जाए।

(2) संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण एवं अधिक्षण में रहेगा एवं वो सभी कार्य करेगा जो उसे मजिस्ट्रेट और शासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत करने के लिए कहा जाए।

धारा 10 सेवा प्रदाता (Service providers) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी स्वैच्छिक संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के आधीन या त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि के आधीन महिलाओं के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए या महिलाओ को विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा या वित्तिय या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रजिस्टर्ड हो, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदान कहलाएगी।

धारा 11. सरकार के कर्तव्य (Duties of Government) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी कि–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को सार्वजनिक मीडिया जिसमें शामिल है दूरदर्शन आकाशवाणी ओर प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अन्तरालों पर व्यापक रुप से प्रचारित किये गये है।

(ख) केंद्रिय सरकार और राज्य सरकार अधिकारीगण जिसमें शामिल हैं पुलिस अधिकारीगण और न्यायिक सेवाओं के सदस्यगण को कालिक रुप से इस अधिनियम द्वारा संबोधित मुद्दो पर ज्ञान, जागृति और प्रशिक्षण प्रदान किया गया जाएगा।

अध्याय 4

अनुतोषों के आदेशों को अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया
(Procedure for obtaining orders of reliefs)

धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन करना (Application to Magistrate)

(1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम को तहत एक या एक से अधिक अनुतोषों की इच्छा करते हुए मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
परन्तु ऐसे आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट इस संबंध में प्राप्त कोई घरेलू घटना प्रतिवेदन प्राप्त हो तो उसे पहले विचार में लेगा।

(2) उपधारा (1) मे वांछित अनुतोष (उपचार) प्रत्यर्थी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कारण होने वाली क्षतियों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिकर या नुकसानी के संदाय के लिए कोई आदेश पारित करने के लिए अनुतोष सम्मिलित हो सकेगा।
परन्तु यदि सिविल प्रक्रिया संहिता या अन्य त्तसमय प्रवृत किसी विधि के अधीन यदि व्यथि व्यक्ति को कोई अनुतोष या प्रतिकर दिया गया है तो ऐसे अनुतोष या प्रतिकर का इस अधिनियम के तहत दिये जाने वाले अनुतोष या प्रतिकर से मुजरा कर लिया जाएगा।
मजिस्ट्रेट न्यायालय मे आवेदन की प्राप्ति के तीन दिन के अंदर प्रथम सुनवाई की तिथि निश्चित करेगा।
मजिस्ट्रेट प्रथम सुनवाई के दिनांक से 60 दिन के भीतर आवेदन पत्र का निपटान का प्रयास करेगा

धारा 13 सूचना पत्र की तामील (Service of notice)

(1) धारा 12 के तहत सुनवाई दिनांक का सूचना पत्र संरक्षा अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा जो प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट किया गया हो इसकी प्राप्ति दिनांक से दो दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर या ऐसे अधिरिक्त समय के भीतर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसे माध्यमों से इसे तामील कराएगा जैसे विहित किया जाए।

(2) संरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररुप में यथा विहित किया जाए दिए गए सूचना पत्र की तामील की घोषणा, सबूत होगी कि ऐसा सूचना पत्र प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट किया गया हो, तामील किया गया था, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।

धारा 14 परामर्श देना (Counselling) (1) मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या संयुक्त रुप से सेवा प्रदायकर्ता के किसी भी सदस्य के साथ जो ऐसी योग्यताएं ओर अनुभव मंत्रणा देने में धारण करता है मंत्रणा करने के लिए निदेशित कर सकेगा।

(2) जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के तहत कोई निदेश जारी किया है, वह प्रकरण की सुनवाई का, दो माह से अनधिक अवधि के भीतर अगली दिनांक नियत करेगा।

धारा 16 कार्य वाहियों को बंद कमरे मे करना (Proceeding to be held in camera) यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि प्रकरण की परिस्थितियां इस प्रकार आवश्यक करती है और यदि कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार इस प्रकार वांछा करता है तो वह इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों को बंद कमरे में कर सकेगा।

धारा 17 सहभागी कौटुम्बिक गृह मे निवास करने का अधिकार (Right to reside in a shared household)

(1) त्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में समाहित किसी भी बात के होते हुए, घरेलू नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को शामिलाती कौटुम्बिक गृह मे निवास करने का अधिकार होगा, चाहे उसका उसमें कोई अधिकार स्वत्व या लाभकारी हित है या नहीं।

(2) व्यथित व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर प्रत्यर्थी द्वारा शामिलाती कौटुम्बिक गृह या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं किया जाएगा या निकाला नही जाएगा।

धारा 18 संरक्षा आदेश (Protection orders) मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और प्रथम दृष्टयता उसका समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है। या घटित हाने की संभावना है व्यथित व्यक्ति के हित में सरक्षा आदेश पारित कर सकेगा और प्रत्यर्थी को निषिद्ध कर सकेगा–

(क) घरेलू हिंसा का कोई कृत्य कारित करने से,

(ख) घरेलू हिंसा के कृत्य में मदद करने या उसके कारित करने में दुष्प्रेरित करने से

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन वाले स्थान या यदि व्यथित व्यक्ति कोई बालक है तो उसे विद्यालय में या कोई अन्य स्थान जहां व्यक्ति के साथ जहां व्यथित व्यक्ति अक्सर जाता है मे प्रवेश करने से,

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ किसी भी रुप में किसी भी प्रकार से संपर्क करने के प्रयास करने जिसमें शामिल है व्यैक्तिक, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रोनिक दूरभाषित संपर्क से,

(ड) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किंही आस्तियों को अन्यसंक्रामण करने से दोनो पक्षकारगण द्वारा या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले धारित या उपयोग में या प्रयुक्त बैंक लाकर्स या बैंक खातों, जिसमें शामिल है उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति, पक्षकारगण द्वारा या जो संयुक्त रुप से या उनके द्वारा पृथक पृथक धारित हो को संचालित करने से।

(च) आश्रितगण अन्य नातेदारगण या कोई व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध मदद करता है के प्रति हिंसा करने से।

(छ) कोई अन्य कृत्य संरक्षण आदेश में यथा विनिर्दिष्ट को करने से।

धारा 19 निवास आदेश (Residence order)

(1) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत आवेदन पत्र का निपटान करते समय मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाने पर कि घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है निवास आदेश पारित कर सकेगा

(क) सहभागी कौटुम्बिक गृह, चाहे प्रत्यर्थी उस शमिलाती कौटुम्बिक गृह मे कोई विधिक या साम्या हित रखता है या नहीं से व्यथित को बेकब्जा करने से या उसके कब्जे में किसी भी रीति में बाधा डालने से प्रत्यार्थी को अवरुद्ध करते हुए कहेगा।

(ख) प्रत्यर्थी को शामिलाती कौटुम्बिक गृह से उसे स्वयं को हटने के लिए निदेशित करते हुए।

(ग) शामिलाती कौटुम्बिक गृह जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है में या उसके किसी भाग मे प्रवेश करने से प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदार को अवरुद्ध करते हुए।

(घ) शामिलाती कौटुम्बिक गृह को अन्यसंक्रामण करने या उसका व्यसन करने या उसका विल्लंगम करने से प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करते हुए।

(ड़) मजिस्ट्रेट की अनुमति से को छोडकर शामिलाती कौटुम्बिक गृह मे उसके अधिकारो का अभित्यजन करने से प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करते हुए।

(च) यदि परिस्थितयां इस प्रकार अप्रक्षित करती हो तो व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर पर वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के लिए तथा उसके द्वारा शामिलाती कौटुम्बिक गृह में उपभोग किया जाता या उसके लिए किराया देते संदान करने के लिए निदेशित करते हुए।

परन्तु यह तप जबकि, खण्ड (ख) के तहत कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा जो महिला है।

(2) मजिस्ट्रेट कोई अतिरिक्त शर्ते अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा, जो वह व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की संतान की सुरक्षा के लिए उपबंधित करने के लिए या उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त रुप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी से घरेलू हिंसा कारित करने से निवारित करने के लिए प्रतिभूओ सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा

(4) उपधारा (3) के तहत किसी भी आदेश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के तहत एक आदेश होना समझा जाएगा और उसे तदनुसार व्यहृत किया जाएगा

(1) व्यथित व्यक्ति साथ ही साथ उसकी संतान, यदि कोई, के लिए भरण पोषण इसमें शामिल है दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या त्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत कोई आदेश या इसके अतिरिक्त भरण पोषण का आदेश

(2) इस धारा के तहत मंजूर किया गया मौद्रिक अनुतोष पर्याप्त उचित और युक्तियुक्त और जीवन स्तर जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है के अनुरुप होगा।

(3) मजिस्ट्रेट भरण पोषण की समुचित एक मुश्त धनराशी का संदाय करने के लिए या मासिक संदाय करने के लिए यथा प्रकरण की प्रकृति और परिस्थितियां अपेक्षित करें, आदेशित करने की शक्ति रखेगा।

(4) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के तहत दिए गए मौद्रिक अनुतोष के आदेश की ऐक प्रति आवेदन पत्र के पक्षकार गण को और उस पुलिस थाना के भार साधक को प्रेरित करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्यर्थी निवास करता है।

(5) प्रत्यर्थी उपधारा (1) के तहत आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को मंजूर किया गए मौद्रिकी अनुतोष का संदाय करेगा

(6) प्रत्यर्थी के द्वारा उपधारा (1) के तहत आदेश के निबंधनों में संदाय करने में विफल होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या देनदार को, प्रत्यक्ष रुप से मजदूरियों या वेतनों के किसी भाग को

या देय ऋण को या प्रत्यर्थी के जमा में प्रोदभूत को व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए या न्यायालय में निक्षेपित करने के लिए निदेशित कर सकेगा जिस राशी का प्रत्यर्थी द्वारा संदेय मौद्रिक अनुतोष के प्रतिसमायोजित किया जा सकेगा।

धारा 21 अभिरक्षा आदेश (Custody orders) मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के लिए या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन पत्र की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर किसी संतान या संतानों की अभिरक्षा व्यथित व्यक्ति को दे सकेगा या उस व्यक्ति को दे सकेगा जो उसकी ओर से आवेदन कर रहा हो और विनिर्दिष्ट कर सकेगा, यदि आवश्यक हो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के लिए प्रबंधों के बारे में।

परन्तु यह तब जबकि, मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रत्यथी का भेंट करना संतान या संतानों के हित मे नुकसानदायी हो सकेगा तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट अनुज्ञात करने से इंकार करेगा।

धारा 22 प्रतिकर आदेश (ब्वउचमदेंजपवद वतकमते) अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत यथा मंजूर किय जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कृत्यों द्वारा कारित मानसिक प्रताडना और भावनात्मक कष्ट सहित क्षतियों के लिए प्रतिकर और नुकसान का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेशित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा।

धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति (Power to grant interm and es parte order)

(1) इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी कार्यवाही में, वह ऐसा अंतरितम आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता कि आवेदन पत्र दृष्टया प्रकट करता है। कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कृत्य कारित कर रहा है। या कारित कर चुका है यह कि संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलूहिंसा का कृत्य कर सकेगा तो वह शपथ पत्रों के आधार पर ऐसे प्ररुप में यथा विहित किया जो व्यथित व्यकित को धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या यथास्थिति हो धारा 22 के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश मंजूर कर सकेगा।

धारा 24 न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां नि: शुल्क देना (Court to give copies of order free of cost) मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां वह इस अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित कर चुका है, आदेशित करेगा कि ऐसे आदेश की प्रति आवेदन पत्र के पक्षकारगण को उस पुलिस थाना के भार साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुचा गया है और किसी सेवा प्रदायकर्ता जो घरेलू घटना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कर चुका है तो उस सेवा प्रदायकर्ता को निशुल्क प्रदाय की जाएगी।

धारा 25 आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन (Duration and alteration of orders)

(1) धारा 18 के तहत दिया गया कोई भी संरक्षा आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा उन्मोचन के ऐसे आवेदन करने तक प्रभाव में बना रहेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधि नियम के तहत् दिए गए किसी आदेश में परिवर्तन उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित करते हुए परिस्थितियों मे बदलाच आया है जो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह समुचित समझता हो।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग करने के लिए दण्ड (Panalty for breach of protection order by respondent) किसी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्ष्ण आदेश का प्रत्यर्थी द्वारा भंग करने पर किसी भी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेता या जुर्माना जो 20000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

आरोप लगाते समय मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए या भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य धारा या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी इस अधिनियम की धाराओं के साथ लगा सकते हैं।

धारा 32 संज्ञान और सबूत (Cognizance and proof) (1) धारा 31 के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे।
(2) केवल पीड़ित व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रत्यार्थी को दोषी मान सकता है

धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के भगीकरण के लिए दण्ड (Penalty for not descharging by protection officer) यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित विना किसी उचित कारण अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने से विरत रहता है। या मना कर देता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक का होगा या जुर्माना 20000 रुपये या दोनों से दण्डित होगा।

धारा 34 संरक्षा अधिकारी द्वारा कारित अपराधी का संज्ञान (Cognizance of offence committed by protection officer) किसी भी संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई परिवाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति न ले ली जाए।

धारा 35 सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण (Protection of avtion taken in good faith) संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावना पूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी चाहे उसके कार्य से कितना ही नुकसान हुआ हो।

धारा 36 अधिनियम का किसी विधि के अल्पीकरण में नहीं होना (Act not in derogationof any other law) इस अधिनियम के साथ किसी अन्य त्तसमय प्रवत अधिनियमों के प्रावधानों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

धारा 37 केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति (Power of central Government to make rules) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नियम बना सकती है।

****